डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2021-2023
लाइसेंस क्र. WPP/Tech/23-04/08/2021-2023
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

यूथ महापंचायत

मध्यप्रदेश में एक साल में एक लाख सरकारी नौकरियां पंद्रह अगस्त से आरंभ होगी भर्ती प्रक्रिया - मुख्यमंत्री

भोपाल, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी। प्रतिमा के आधार में, आजाद के जन्म-स्थल भाभरा से लायी गई मिट्टी का उपयोग होगा और प्रतिमा स्थल को प्रेरणास्रोत के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में एक साल में एक लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती होगी, जिसकी प्रक्रिया 15 अगस्त से आरंभ हो जाएगी। साथ ही प्रतिमाह 2 लाख युवाओं को स्व-रोज़गार से जोड़ा जाएगा। प्रतिमाह रोज़गार दिवस मनाकर योजनाओं का लाभ युवाओं को दिया जाएगा। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत के शुभारंभ-सत्र को संबोधित करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के शौर्य, वीरता और समर्पण का उल्लेख करते हुए युवाओं से कहा कि राज्य सरकार ने कई अनाम स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को प्रकाश में लाने का कार्य किया है। राज्य में विभिन्न स्थानों पर स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में स्मारक स्थापित किए गए हैं। वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला भारत, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयः के विचार को व्यवहारिक रूप दे रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री की पहल पर कोरोना का टीका भारतवासियों के साथ विश्व के कई गरीब देशों के नागरिकों को भी उपलब्ध कराया गया।

श्री चौहान ने कहा कि मेरा यह मानना है कि युवा कल का नहीं, आज का नागरिक है। यूथ महापंचायत से युवाओं को नीति-निर्माण की प्रक्रिया में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि यह महापंचायत युवाओं को सरकार और समाज से जोड़ने का प्लेटफार्म बने। प्रदेश में नए स्टार्टअप शुरू कर युवाओं ने चमत्कार किया है। राज्य की क्रिकेट टीम ने रणजी ट्राफी जीत कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। प्रदेश के युवा अपनी योग्यता और क्षमता को प्रत्येक क्षेत्र में सिद्ध कर रहे हैं। युवाओं के सहयोग से हम, देश और प्रदेश के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं, इसका रोडमैप बनाना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सीएम राइज स्कूल आरंभ किए जा रहे हैं। मेधावी विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता के लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना क्रियान्वित है। सिंगापुर के सहयोग से आरंभ किए जा रहे ग्लोबल स्किल पार्क में युवाओं के प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन की व्यवस्था है। युवाओं के दक्षता संवर्धन के लिए हरसंभव प्रयास जारी हैं, इससे उनके रोज़गार का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना स्व-रोज़गार के लिए सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। युवाओं के विकास और आगे बढ़ने में जो बाधाएं हैं, उन्हें दूर करने राज्य सरकार हरंसभव प्रयास कर रही है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत के युवाओं के लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। देश में आरंभ 102 स्टार्टअप को अब यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त है, जो भारत के युवाओं की सामर्थ्य का प्रमाण है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में ही कोविड वैक्सीन बनाकर तथा सैन्य सामग्री में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ कर भारत ने अपनी क्षमता सिद्ध की है।

संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण कार्यक्रमों के कार्यकारी निदेशक रहे श्री एरिक सॉल्हिम ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के योगदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में युवाओं के सम्मुख प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण मुख्य चुनौती है। मध्यप्रदेश को सोलर स्टेट और नेचुरल स्टेट के रूप में विकसित कर पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। श्री सॉल्हिम ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रतिदिन पौधा लगाते हैं। प्रदेश के युवाओं को इसका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने सौर ऊर्जा अपनाने और प्लास्टिक का उपयोग कम करने का आह्वान भी किया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुये।

मध्यप्रदेश में तैयार की जायेगी युवा नीति

मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में युवाओं के सुझावों को शामिल करते हुए नई युवा नीति तैयार की जाएगी, जिसे स्वामी विवेकानंद की जयंती, युवा दिवस 12 जनवरी से लागू किया जाएगा। युवाओं की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने युवा पुरस्कार की स्थापना और राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन भी किया जाएगा। प्रदेश में प्रतिवर्ष युवा पंचायत होगी। युवा पंचायत के जिला स्तरीय विजेताओं को 'मां तुझे प्रणाम' योजना में देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भेजा जाएगा।

समाज और प्रदेश के प्रति बनें संवेदनशील

श्री चौहान ने कहा कि युवा अपने कॅरियर के बारे में अवश्य सोंचे। साथ ही अपने परिवेश, समाज और प्रदेश के प्रति संवेदनशील बनें। मुख्यमंत्री ने युवाओं से पौध रोपण करने, अपने क्षेत्र की आंगनवाड़ी के संचालन में भागीदारी, अपने गांव/नगर का गौरव दिवस मनाने, बेटी बचाओ अभियान, जल संरक्षण तथा नशामुक्ति संबंधी गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह से भाग लेने की अपील की।

खास खबर

शिवपुरी की साख्य सागर झील रामसर साइट में शामिल

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी की साख्य सागर झील को रामसर साइट का दर्जा मिलने पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। यह प्रदेश में भोजताल, भोपाल के बाद दूसरी रामसर साइट है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में जारी संदेश में कहा कि 'साख्य सागर झील को यह दर्जा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में जैवविविधता पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों का पारितोषिक है।'

उल्लेखनीय है कि वेटलैंड संरक्षण के संबंध में ईरान के रामसर नगर में वर्ष 1971 में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड साइट्स की सूची संधारित की जाती है।

अंदर के पृष्ठों पर

- **खेल चर्चा-** प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी-** देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं
- **चर्चा में-** प्रमुख चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **पिछला सप्ताह-** देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण

वित्तीय समावेशन

सुखी और निरोगी जीवन के लिए वित्तीय समावेशन की आवश्यकता

भोपाल, वित्तीय समावेशन आज की आवश्यकता है। जब दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तब भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कुशल वित्तीय प्रबंधन किया गया। इससे भारत में कोई आर्थिक संकट नहीं आया। प्रधानमंत्री जन-धन योजना बना कर गरीबों के बैंक खाते खोल कर सामाजिक क्रांति लाए हैं। बैंकों से बिचौलियों को खत्म किया है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा तैयार की गई जिलेवार वित्तीय समावेशन सूचकांक रिपोर्ट का विमोचन एवं वित्तीय समावेशन संगोष्ठी को संबोधित करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक कुशल वित्तीय प्रबंधन कर रही है। इससे मध्यप्रदेश का वित्तीय प्रबंधन भी बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की यह पहली वित्तीय समावेशन रिपोर्ट है। इसे तैयार करने में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की सराहनीय भूमिका रही है। इसके लिए उन्होंने संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट प्रदेश के विकास में मार्गदर्शन का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबका साथ-सबका विकास होने से देश सशक्त होगा। सभी सुखी हों, निरोगी हों, सबका मंगल और कल्याण हो, इसके लिए वित्तीय समावेशन जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जिस तरह से भारत को आगे ले जा रहे हैं, उसमें मध्यप्रदेश का योगदान भी बेहतर रहेगा। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में प्रदेश में बैंक सखी, महिला स्व-सहायता समूहों से महिला सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों में केवल खाता खोलना ही पर्याप्त नहीं है, उसका सभी कार्यों में उपयोग भी जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर माह रोज़गार दिवस आयोजित कर हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। अमीरी और गरीबी की खाई खत्म करने का कार्य हो रहा है। पीएम स्व-निधि और उद्यम क्रांति योजना ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सभी प्रमुख हितग्राहीमूलक योजनाओं में प्रत्यक्ष खाता हस्तांतरण डीबीटी को शामिल कर डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया गया है।

पात्र वंचित किसानों को अभियान चला कर प्रदान करें केसीसी

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित करते हुये।

भोपाल, मजबूत बैंकिंग तंत्र के द्वारा ही मध्यप्रदेश को तेजी से विकास के पथ पर बढ़ाया जा सकता है। सभी बैंकर्स शासन की योजनाओं का लक्ष्य प्राप्त करने में अपना सक्रियता से योगदान दें और बैंकिंग कार्य-प्रणाली को मजबूत बनाएं। पात्र वंचित किसानों को अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान किए जाएं। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक की अध्यक्षता करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनोमी में मध्यप्रदेश तेजी से योगदान देना चाहता है। इसके लिए लोगों की आमदनी बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए। आमदनी बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ेगी। शासकीय योजनाओं के लक्ष्य माहवार तय कर लिए जाएं और उन्हें पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोगों के लिए वरदान है। पीएम स्वनिधि योजना लोगों की जिंदगी बदल रही है। उन्होंने महिला स्व-सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। श्री चौहान ने कहा कि यह गरीब बहनों की जिंदगी बदलने का क्षेत्र है। जन-धन योजना के शेष खाते खोलने का लक्ष्य पूरा करें। स्वामित्व योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के लिए हितग्राहियों को प्राथमिकता से ऋण उपलब्ध करायें। बैठक में रोज़गार दिवस के लिए 22 अगस्त की तिथि निर्धारित करने के निर्देश दिए।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

23 जुलाई

नीति आयोग ने लॉन्च किया ई-अमृत एप

● नीति आयोग ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिये एक नई पहल करते हुये ई-अमृत एप लॉन्च किया है। अभी तक ई-अमृत नाम से एक पोर्टल संचालित किया जा रहा था। ई-अमृत एप में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं और लाभ की जानकारी दी जायेगी। ई-अमृत एप में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदों का आंकलन करने, बचत तय करने और भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार और उद्योग में विकास आदि जानकारियां आसानी से मिल सकेंगी। इसके अलावा नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की है।

● नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने विदेश से लौटे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भारतीय चिकित्सा संस्थानों या विश्वविद्यालयों में समायोजित करने की अनुमति नहीं दी है। यह जानकारी स्वास्थ्य राज्यमंत्री सुश्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में दी। सुश्री पवार ने बताया कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 और नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में इसका प्रावधान नहीं है। उन्होंने बताया कि विदेशों से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र या स्नातक स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021 के तहत आते हैं, इसलिये एनएमसी ने अनुमति नहीं दी है।

24 जुलाई

एक सितम्बर से शुरू होगी नीट पीजी की काउंसलिंग

● स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिये राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी) 2022 की काउंसलिंग एक सितम्बर से शुरू होगी। नीट पीजी 2022 के लिये काउंसलिंग प्रक्रिया का संचालन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) करेगी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने नीट पीजी परीक्षा का रिजल्ट रिकॉर्ड 13 दिन में घोषित किया है। इसके बाद से परीक्षा में सफल विद्यार्थी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। नीट पीजी 2022 परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थी ऑल इंडिया कोटा सीटें, राज्यों के मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों, सेंट्रल एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान कोर्सेज और कॉलेज के संबंध में अपनी पसंद भर सकेंगे।

● एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने हिमाचल प्रदेश में पेयजल एवं स्वच्छता परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिये 9.63 करोड़ डॉलर (लगभग 770 करोड़ रुपये) के कर्ज को मंजूरी प्रदान की है। एडीबी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की 90 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादी की पेयजल तक पहुंच है, लेकिन जलापूर्ति ढांचा काफी पुराना और खस्ताहाल है। इस राशि के उपयोग से हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी।

25 जुलाई

केंद्र सरकार ने दूरसंचार नियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया जारी

● केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने प्रौद्योगिकी में हो रहे बदलावों के साथ तालमेल बैठाने, कानूनों को सरल बनाने और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दूरसंचार नियमों में बदलावों पर परामर्श पत्र जारी किया है। परामर्श पत्र में कहा गया है कि दूरसंचार पर नया कानून लाने का उद्देश्य नई प्रौद्योगिकियों की तैनाती और दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिये भविष्य का ढांचा स्थापित होना चाहिये। इस तरह के कानून को दूरसंचार क्षेत्र के लिये बने मौजूदा कानूनों को भी साथ लेना चाहिये। साथ ही वैश्विक चलन का भी ध्यान में रखना होगा। नये कानूनी ढांचे को साधारण भाषा में तैयार किया जाये, ताकि वह प्रत्येक नागरिक को इसे समझने में आसानी हो।

● केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने सभी राज्यों से खरीफ कटाई से पहले ताप बिजली संयंत्रों में कोयले के साथ ईंधन के रूप में बायोमास का भी इस्तेमाल करने के लिये एक समयबद्ध योजना बनाने को कहा है। मंत्रालय के अनुसार इससे न केवल पराली जलाने में कमी आयेगी, बल्कि वायु प्रदूषण को भी कम किया जा सकेगा। वायु प्रदूषण की समस्या के हल तथा ताप बिजली संयंत्रों के कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिये ऊर्जा मंत्रालय ने पिछले वर्ष अक्टूबर में कृषि अपशिष्ट आधारित बायोमास के इस्तेमाल की नीति में संशोधन किया था।

26 जुलाई

यूरोपीय देश गैस संकट से निपटने के लिये खपत में करेंगे कटौती

● रूस के द्वारा यूरोपीय देशों को गैस आपूर्ति कम करने की घोषणा करने के बाद यूरोपीय देशों में हलचल बढ़ गई है। यूरोपीय देशों के संघ ईयू ने प्राकृतिक गैस की खपत में कटौती करने पर सहमति जताई है। यूरोपीय देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक गैस की मांग में 15 प्रतिशत कमी लाने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयेन ने कहा कि ईयू ने रूस की गैस आपूर्ति बंद करने की धमकी के जवाब में यह कदम उठाया है। रूस द्वारा गैस आपूर्ति में कमी करने की घोषणा को यूरोपीय देश यूक्रेन हमले के विरोध में रूस पर लगाये गये प्रतिबंधों पर रूस की प्रतिक्रिया मान रहे हैं।

● जापान के कागोशिमा प्रांत में स्थित सकुराजिमा ज्वालामुखी में जबरदस्त विस्फोट हुआ है। जापान की मौसम एजेंसी के अनुसार सकुराजिमा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ, जिससे लगातार राख और पत्थर बाहर निकल रहे हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के चलते आसपास के घरों को खाली करा लिया गया है। एजेंसी के अनुसार ज्वालामुखी से किसी बड़े पैमाने पर विस्फोट की संभावना नहीं है, फिर भी एजेंसी ने अपने अलर्ट स्तर को पांच गुना तक बढ़ा दिया है।

27 जुलाई

रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हथियार खरीद प्रस्तावों को दी मंजूरी

● रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र ड्रोन, कार्बाइन और बुलेट प्रूफ जैकेट सहित रक्षा बलों के

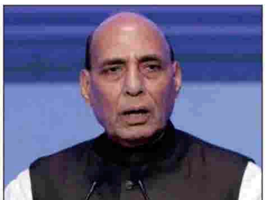

लिये 28,732 करोड़ रुपये से अधिक के हथियारों की खरीद को मंजूरी प्रदान की है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में यह मंजूरी दी गई। बैठक में एलओसी पर तैनात सैनिकों के लिये दुश्मन के स्नाईपर्स के खतरे से निपटने और आतंकवाद विरोधी अभियानों में निकट युद्ध अभियानों के मद्देनजर बुलेट प्रूफ जैकेट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों के लिये हथियार खरीदने की स्वीकृति प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

● रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस के प्रमुख यूरी बोरिसोव ने कहा कि उनका देश वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से अलग हो जायेगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 के बाद रूस अंतरिक्ष में खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। बोरिसोव ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के बाद आईएसएस से हटने का निर्णय लिया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार 24 वर्ष पुराने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से रूस के हटने से इसे संचालित करना मुश्किल होगा, वहीं अमेरिका वर्ष 2030 तक आईएसएस को संचालित रखना चाहता है।

28 जुलाई

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिये लॉन्च किया पोर्टल

● केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों सहित सभी आधिकारिक पुरस्कारों की सिफारिशों और नामांकन के लिये एक कॉमन पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल को बनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय पुरस्कारों में पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। यह पोर्टल प्रत्येक नागरिक या संगठन को भारत सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिये व्यक्तियों या संगठनों को नामांकित करने की सुविधा प्रदान करेगा। सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल विकसित किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने इस वर्ष पद्म पुरस्कारों के अधिसूचना जारी कर दी है। पद्म पुरस्कारों के लिये नामांकन या सिफारिश की अंतिम तिथि 15 सितम्बर निर्धारित है।

● श्रीलंका की संसद ने आपातकाल के नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है। पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के मालदीव भाग जाने और देश में भड़के विद्रोह के बीच तात्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 13 जुलाई को आपातकाल लगाया था। आपातकालीन नियमों के अनुसार 14 दिनों के भीतर आपातकाल को श्रीलंकाई संसद की मंजूरी की आवश्यकता थी। 225 सदस्यीय श्रीलंकाई संसद में 120 सांसदों ने आपातकाल के पक्ष में मतदान किया। संसदीय मंजूरी के साथ यह आपातकाल 14 अगस्त तक लागू रहेगा।

29 जुलाई

नौसेना को मिला पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत

● देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत 'विक्रांत' भारतीय नौसेना को मिल गया है। कोच्चि स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में इसे नौसेना को सौंपा गया। इस विमान वाहक पोत का निर्माण सीएसएल ने किया है, वहीं इसका

डिजाइन नौसेना डिजाइन निदेशालय ने तैयार किया है। नौसेना ने कहा कि विक्रांत को जल्द ही नौसेना बल में शामिल किया जायेगा। विक्रांत के आने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत होगी। नौसेना ने बताया कि इस विमान वाहक पोत का नाम भारत के पहले विमान वाहक पोत विक्रांत के नाम पर रखा गया है। 262 मीटर लंबे नवनिर्मित विमान वाहक पोत की क्षमता 45 हजार टन है। यह पुराने विक्रांत की तुलना में काफी बड़ा और उन्नत है। इस पोत के निर्माण में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये खर्च हुये हैं, इसके निर्माण में 76 प्रतिशत सामाग्री स्वदेशी है। यह पोत 88 मेगावॉट बिजली की चार गैस टर्बाइन से संचालित होगा। माना जा रहा है कि विमान वाहक पोत विक्रांत को 15 अगस्त को नौसेना में कमीशन किया जा सकता है।

● भारत में अब 17 वर्ष से अधिक उम्र के युवा भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिये अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अहम निर्णय लिया है। अभी तक देश में हर वर्ष एक जनवरी या इससे पहले 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिये पात्र होते थे। एक जनवरी के बाद 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में आवेदन करने के लिये एक वर्ष का इंतजार करना पड़ता था। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि यह फैसला देश के युवा मतदाताओं की लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

ARIHANT COLLEGE
Approved by NCTE, MP Higher Education, Affiliated with DAVV
"NAAC Accredited"
Selection Under College Code 28
Invites applications for B.Ed., M.Ed., BCA, BSW, BBA (Plain), BBA (H.A.), B.Com & B.A. Programmes
Principal, HOD, Professor, Associate & Assistant Professors
Minimum qualification as per NCTE/ UGC regulations
Interested candidates can send their resume with relevant documents & experience certificates to the below address within 8 days.
453 Khandwa Road, Opp. Radha Soami Satsang, Indore (M.P.)
Email: arihantcollege@gmail.com, Ph.: 0731-2461303, 9302333650
R-47318/2022

MADHYANCHAL PROFESSIONAL UNIVERSITY
JOIN Ph.D. in Central India's Best University
Entrance Exam Registration Fees: Rs. 2100/- | Last Date for Registration: 10.08.2022
Applications are invited Ph.D. Program in the following courses
Available Streams: Hindi | Sanskrit | Sociology/MSW/Social Science | Political Science | Economics | History | Geography | Psychology | Education | Mass Media and Communication | Commerce | Management | Botany | Zoology | Environmental Science | Biotechnology | Physics | Chemistry | Mathematics | Mechanical Engineering | Electronics and Communication Engineering | Civil Engineering | Electrical Engineering | Agriculture Science
For detailed information, and registration please visit our website
Call: 9425605211
Registrar
R-47315/2022

साप्ताहिक
रोज़गार और निर्माण
में विज्ञापन के लिए दरें
टैरिफ

क्रमांक	ब्लैक एंड व्हाइट रेट प्रति वर्ग सेमी (sq Per cm)	रंगीन रेट प्रति वर्ग सेमी (sq Per cm)
1. डीएवीपी (DAVP) रेट	13.36	18.70
2. कॉन्ट्रैक्ट रेट	70.00	98.00
3. कमर्शियल रेट	80.00	112.00

फुल पेज का आकार

चौड़ाई	-	25 सेंटीमीटर
लंबाई	-	37 सेंटीमीटर
कुल वर्ग सेंटीमीटर	-	925 वर्ग सेंटीमीटर

संपर्क करें :
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नंबर : 0755-2551330, 0755-2760006
ई मेल : madhyam.rojgar@gmail.com Website : www.mpmadhyam.in
नोट : 1. 5% जीएसटी (GST) शुल्क अलग से देय होगा।
2. 4.5x5 सेमी (cm) से कम का विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वर्ष 39, अंक 31 01.08.2022 से 07.08.2022
रोज़गार और निर्माण
www rojgaraurnirman.in

- प्रबंध संचालक - राघवेन्द्र कुमार सिंह
- सम्पादक - पुष्पेन्द्र पाल सिंह
- कार्यकारी सम्पादक - राजीव तिवारी
- प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
- प्रबंधक - सुभाष चन्द्र जोशी (मुद्रण)
- आकल्पन - आशा रोमन, अरविन्द टोप्पो, सुशील लांडगे
- वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.डी., मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें :-
रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011
फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, **e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com**
रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है।

रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उनसे सहमत हों। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

सम्पादकीय

'हर घर तिरंगा' अभियान

राष्ट्र ध्वज तिरंगे की गौरव गाथा

आजादी के अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 'हर घर तिरंगा अभियान' लोगों को अपने-अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों में तिरंगा लहरा कर भारत के गौरव को पहचानने और इसकी रक्षा के लिए तन-मन-धन से समर्पित होने को सन्नद करने की एक अभिनव पहल है। राष्ट्रीय ध्वज संपूर्ण राष्ट्र की गरिमा एवं प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधते हुए धर्म और क्षेत्रवाद से परे हमारा राष्ट्रीय तिरंगा 'यूनिटी इन डायवर्सिटी' की सबसे प्रबल अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगे' का गौरवशाली इतिहास रहा है, यह अनेक दौर से गुजरा है। पहले भारतीय ध्वज की बात करें तो भारतीय इतिहास में 1905 से पहले पूरे भारत की अखंडता को दर्शाने के लिए कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1905 में स्वामी विवेकानंद की शिष्य सिस्टर निवेदिता ने पहली बार पूरे भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना की थी। सिस्टर निवेदिता द्वारा बनाए गए ध्वज में कुल 108 ज्योतियां बनाई गई थीं। यह ध्वज चौकोर आकार का था। ध्वज के दो रंग थे- लाल और पीला। लाल रंग स्वतंत्रता संग्राम और पीला रंग विजय का प्रतीक था। ध्वज पर बंगाली भाषा में वंदे-मातरम् लिखा गया था और इसके पास वज्र (एक प्रकार का हथियार) और केंद्र में एक सफेद कमल का चित्र भी था। वर्तमान में इस ध्वज को आचार्य भवन संग्रहालय, कोलकाता में संरक्षित रखा गया है। इसके बाद 7 अगस्त, 1906 को कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) के पारसी बागान चौक में ध्वज को फहराया गया। कोलकाता ध्वज प्रथम भारतीय अनाधिकारिक ध्वज था। इसकी अभिकल्पना शचिन्द्र प्रसाद बोस ने की थी। नारंगी, पीले और हरे रंग की पट्टियों वाले इस झंडे के बीच में 'वंदे-मातरम्' का नारा अंकित था। शीर्ष पट्टी पर ब्रिटिश-शासित भारत के आठ प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते 8 आधे खुले कमल के फूल थे और निचली पट्टी पर बाईं तरफ सूर्य और दाईं तरफ एक वर्धमान चांद की तस्वीर अंकित थी। वहीं पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज मैडम भीकाजी कामा द्वारा 22 अगस्त, 1907 को अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस के स्टटगार्ट में फहराया गया था। इस ध्वज को 'सप्तर्षि झंडे' के नाम से जाना जाता है। यह ध्वज काफी कुछ वर्ष 1906 के झंडे जैसा ही था, लेकिन इसमें सबसे ऊपरी पट्टी का रंग केसरिया था और कमल के बजाए सात तारे सप्तऋषि के प्रतीक थे। भारतीय धरती पर तीसरे प्रकार का तिरंगा होम रूल लीग के दौरान फहराया गया था। 'होम रूल आंदोलन' के दौरान कोलकाता में एक कांग्रेस अधिवेशन के दौरान यह ध्वज फहराया गया था। उस समय ध्वज स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का प्रतीक था। इसमें 9 पट्टियां थीं, जिसमें 5 लाल रंग और 4 हरे रंग की थी। इसके पश्चात वर्ष 1921 में आंध्रप्रदेश के पिंगले वेंकय्या ने बिजावाड़ा (अब विजयवाड़ा) में गांधीजी के निर्देशों के अनुसार सफेद, हरे और लाल रंग में पहला 'चरखा-झंडा' डिजाइन किया था। इस ध्वज को 'स्वराज-झंडे' के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1931 में तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। आजादी के बाद ध्वज को अंतिम रूप देने के लिए एक तदर्थ ध्वज समिति का गठन किया गया। श्रीमती सुरैया बद्र-उद्दीन तैयबजी द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को 17 जुलाई, 1947 को ध्वज समिति द्वारा अनुमोदित और स्वीकार किया गया था। समिति की सिफारिश पर 22 जुलाई, 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। तिरंगे में तीन समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियाँ हैं, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है, बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के विकास और उर्वरता को दर्शाती है। तिरंगे के केंद्र में सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है, जिसमें 24 आरे (तीलियां) होते हैं। यह चक्र एक दिन के 24 घंटों और हमारे देश की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। इस तरह कई परिवर्तन के बाद हमें अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज प्राप्त हुआ। भारतीय राष्ट्र ध्वज के निर्माण की यह गौरवशाली गाथा अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाती हुई दिखाई देती है।

स्वस्थ जीवन शैली से स्ट्रोक का खतरा कम

मनुष्य यदि अपनी जीवन शैली व्यवस्थित तरीके से जीता है, तो वह अनेक तरह की स्वास्थ्यगत परेशानियों से दूर रह सकता है। इंसान की जीवनशैली का असर काफी हद तक उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है, एक नये अध्ययन में बताया गया है कि यदि आपकी जीवनशैली धमनियों और दिल के लिहाज से स्वस्थ या अनुकूल हैं तो आनुवांशिक जोखिम होने के बावजूद स्ट्रोक का खतरा 45 प्रतिशत तक कम हो सकता है। अमेरिका के टेक्सास स्थित 'यूटी हेल्थ ह्यूस्टन' विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किये गये इस शोध के निष्कर्ष अमेरिका में प्रकाशित हुये हैं। शोध में 45 से 64 आयु वर्ग के 11,568 लोगों को शामिल किया गया, जो बेसलाइन पर स्ट्रोक फ्री थे। उसके बाद औसत 28 वर्षों तक उनकी निगरानी की गई। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन दिल की सेहत के लिये जीवनशैली में सात सामान्य बातों का ध्यान रखने की सलाह देता है। इनमें धूम्रपान बंद करना, खान-पान की बेहतर आदत, शारीरिक सक्रियता, वजन सही रखना, रक्तचाप मैनेज करना, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखना और डायबिटीज कम रखने की बातें शामिल हैं। जीवन में स्ट्रोक के जोखिम का आंकलन स्ट्रोक पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर के आधार पर किया गया। शोध के अनुसार जिन लोगों में स्ट्रोक का आनुवांशिक जोखिम अधिक था तथा दिल की सेहत कमजोर थी, उन्हें जीवनभर स्ट्रोक का रिस्क 25 प्रतिशत अधिक होता है। जबकि बताई गई सलाह मानने वालों में स्ट्रोक की दर 6.2 प्रतिशत रही। खासकर रक्तचाप को नियंत्रित रखने से लाभ होता है।

- देवेश तिवारी

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर लिखते हैं)

नागासाकी दिवस | 9 अगस्त

भीषण तबाही जिसने मानवीयता के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगाया

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी शहरों पर 06 और 09 अगस्त, 1945 को अमेरिका द्वारा किये गये परमाणु हमले से पूरी दुनिया दहल गई थी। इस एक भीषण सामरिक त्रासदी की वर्षगांठ प्रतिवर्ष विश्व के लगभग सभी देशों में मनाई जाती है और इस मौके पर जापान सहित समूचा विश्व संवेदना व्यक्त करता है और विश्व समुदाय की आंखें नम हो जाती हैं। हिरोशिमा और नागासाकी दिवस मनाये जाने पर भारत के राष्ट्रपति और विख्यात दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि इस दिवस को मनाये जाने की सार्थकता इसी बात में निहित है कि समूचा विश्व इस दिन इस बात का संकल्प ले कि हम वैसी भीषण तबाही फिर कभी नहीं होने देंगे। इस एक भीषण तबाही ने मानवीयता के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगाया और इसे मानवीय इतिहास की सबसे भयावह त्रासदी निरूपित किया। उस भीषण तबाही के 77 साल बाद आज भी जापान के पीस मेमोरियल पार्क, हिरोशिमा में प्रतिवर्ष 06 अगस्त को हजारों लोग एकत्रित होते हैं और हिरोशिमा और नागासाकी हमले में मारे गए अपने प्रियजनों को भारी मन से मार्मिक श्रद्धांजलि देते हैं। विश्व भर में इस हमले को बीसवीं सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना बताते हुए दुख जताया जाता है और इस त्रासदी का पुनर्स्मरण इस एक संकल्प के साथ किया जाता है कि ऐसी त्रासदी की कभी पुनरावृत्ति न हो। इस उम्मीद में यह आयोजन होता है कि दुनिया में अब कभी इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। बीसवीं सदी की इस सबसे दर्दनाक घटना का अपराधी देश अमेरिका था और उसके तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने यह कहकर इस विनाशलीला का बचाव किया था कि मानव इतिहास के सबसे खूनी द्वितीय विश्वयुद्ध को खत्म कराने के लिए ऐसा करना जरूरी था, जो उस कालखण्ड का सबसे शर्मनाक कथन था।

युद्ध की विभीषिका का चरम था हिरोशिमा पर परमाणु हमला

प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध में भीषण संघर्ष में लाखों लोग हताहत हुए और इन दो विश्वयुद्धों के बाद भी विभिन्न देशों के बीच जो द्विपक्षीय युद्ध हुए उसमें भी हजारों लोग मारे गये, मगर द्वितीय विश्वयुद्ध में अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से किया गया हमला युद्ध की विभीषिका का चरम था। दो दिनों के अन्तराल में हुए इन हमलों से बसे बसाए दो शहर पूरी तरह नष्ट हो गए। हिरोशिमा पर हुए हमले में करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत हुई थी जबकि नागासाकी पर हुए हमले में करीब अस्सी हजार लोग मारे गए थे। अमेरिका के इन दो हमलों ने द्वितीय विश्वयुद्ध की सूरत बदल कर रख दी थी। हमले के बाद जापान ने तुरंत युद्धविराम की घोषणा कर दी थी। अमेरिका द्वारा किए गए यह दोनों हमले ऐसी जगह किए गए थे जहां न तो कोई बड़ा सैन्य अड्डा था न वहां कोई बड़ी सैन्य गतिविधि चल रही थी। यह इलाके पूरी तरह से रिहायशी थे। हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग के पूर्व उपाध्यक्ष श्रीलंका के न्यायमूर्ति सी.जी. वीरामंत्री, जो दुनिया में प्रख्यात न्यायविदों में गिने जाते हैं, उन्होंने विश्व शान्ति के लिये परमाणु निरस्त्रीकरण अभियान की अगुवाई की। उनका तर्क था कि परमाणु हथियार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून एवं तमाम धर्मों के सिद्धांतों के खिलाफ हैं और बौद्ध, ईसाई, हिंदू या इस्लामी धर्मग्रंथों में भी जन-संहारक हथियारों का विरोध किया गया है।

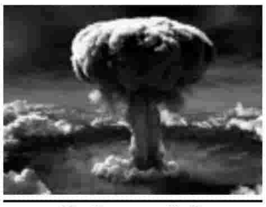

जब कवि की कल्पनाओं में झलका इन हमले का दर्द

हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए इस भीषण परमाणु हमले पर तत्समय और बाद में भी बीसियों कवियों ने इस त्रासदी पर मार्मिक कविताएं लिखीं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम की त्रासदी पर - 'हिरोशिमा की पीड़ा' नामक कविता लिखी थी। इस कविता में उन्होंने लिखा था -

'किसी रात को मेरी नींद
अचानक उचट जाती है
आँख खुल जाती है
मैं सोचने लगता हूँ कि
जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का
आविष्कार किया था
वे हिरोशिमा-नागासाकी के भीषण
नरसंहार के समाचार सुनकर
रात को कैसे सोए होंगे?
क्या उन्हें एक क्षण के लिए सही
ये अनुभूति नहीं हुई कि
उनके हाथों जो कुछ हुआ
अच्छा नहीं हुआ'

गौरतलब है कि अटलबिहारी वाजपेयी के निधन के बाद उत्तरप्रदेश सरकार ने उनकी कविताओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए निर्देश दिए थे। सुप्रसिद्ध कवि अज्ञेय की कविता- 'हिरोशिमा' भी बेहद चर्चित रही है। परमाणु बम पर उनकी यह पंक्तियां तो उस विभीषिका का भाष्य बनकर उभरीं -

'मानव का रचा हुआ सूरज
मानव को भाप बनाकर सोख गया।
पत्थर पर लिखी हुई यह
जली हुई छाया
मानव की साखी है।'

ऐसी बीसियों रचनाओं में हिरोशिमा की विभीषिका और उसके दुष्परिणाम पर काव्यात्मक टिप्पणियां की गई थीं जिन्हें पढ़कर आँखें नम हो जाती हैं।

भारत सहित नौ देशों के पास हैं परमाणु आयुध

हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमले के बाद भी विश्व में परमाणु हथियारों की जमा करने की स्थिति चिन्ताजनक है। परमाणु हथियारों से लैस देश अपने अस्त्रों को आधुनिक बनाने में जुटे हैं, हालांकि परमाणु हथियारों की संख्या में पिछले कुछ दशक में कमी आई है मगर अभी भी विश्व के कई देशों के पास परमाणु हथियार हैं। विश्व में नौ देशों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इज़राइल और उत्तर कोरिया के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति शोध संस्थान (सिपरी) ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि वर्ष 2020 के आरम्भ में इन नौ देशों के पास लगभग 13,400 परमाणु हथियार थे जिनमें से 3,720 उनकी सेनाओं के पास तैनात थे। सिपरी के अनुसार इनमें से लगभग 1800 हथियार हाई अलर्ट पर रहते हैं यानी उन्हें कम समय के भीतर दागा जा सकता है। इन हथियारों में अधिकांश अमेरिका और रूस के पास हैं। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पास 2020 तक 5,800 और रूस के पास 6,375 परमाणु हथियार थे।

सिपरी की ताजा रिपोर्ट कहती है कि भले ही दुनिया के परमाणु शक्तिसंपन्न देश अपने हथियारों को आधुनिक बनाने में जुटे हैं, लेकिन उनकी संख्या घट रही है। एक साल पहले के मुकाबले परमाणु हथियारों की संख्या में कमी हुई है। इसकी बड़ी वजह अमेरिका और रूस के बीच हुई स्टार्ट संधि है जिसके तहत दोनों देशों ने अपने परमाणु हथियार घटाए हैं। रूस के पास अभी 5,977 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,428 परमाणु हथियार हैं। इनमें से एक चौथाई हथियारों को तैनात भी किया गया है। स्टार्ट समझौते के तहत रूस और अमेरिका ने अपने भण्डार घटाए हैं, मगर तैयार परमाणु हथियारों का सबसे ज्यादा हिस्सा आज भी इन दो देशों के पास है यहां चिन्ता का विषय है।

विश्व शान्ति के लिये गांधी दर्शन आज भी प्रासंगिक है

भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि जब तक विश्व में हिरोशिमा जैसे परमाणु हमले का खतरा रहेगा विश्व शांति का सपना कभी पूरा नहीं हो पायेगा। महात्मा गांधी यह भी मानते थे कि विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैं। उनका कहना था कि "यदि हम इस विश्व को वास्तविक शान्ति की सीख देना चाहते हैं और यदि हम युद्ध के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत हमें बच्चों से करनी होगी।" यदि महात्मा गाँधी इस युग में जीवित होते तो वह हमारे विश्व को गरीबी, अशिक्षा, आतंक, एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र को परमाणु शस्त्रों के प्रयोग की धमकियों तथा विश्व के पौने तीन अरब बच्चों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए जूझ रहे होते। महात्मा गांधी के जन्म दिवस 02 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में सारे विश्व में मनाया जाता है और आज जब हम हिरोशिमा और नागासाकी दिवस के माध्यम से युद्ध की विभीषिका की बात कर रहे हैं तो महात्मा गांधी का दर्शन सर्वाधिक प्रासंगिक है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी लगभग छः साल पहले 27 मई, 2016 को जापान की ऐतिहासिक यात्रा की थी तब यात्रा के दौरान उन्होंने हिरोशिमा परमाणु हमले के पीड़ितों को जापान के हिरोशिमा में स्थित पीस मेमोरियल पार्क में जाकर श्रद्धांजलि दी थी। हिरोशिमा में दुनिया के पहले परमाणु हमले के करीब इकहत्तर साल बाद पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने उस स्थल का दौरा किया। इस दौरान ओबामा ने कहा कि इकहत्तर साल पहले आसमान से मौत गिरी थी और दुनिया बदल गई थी। ओबामा के बयानों में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम हमलों के लिए दुख और पछतावा साफ दिखा मगर उसे नाकाफी बताया गया। शांति, निरस्त्रीकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यरत भारतीय संस्थान - 'नो मोर हिरोशिमाः नो मोर नागासाकी : पीस म्यूजियम' और रमन साइंस सेंटर भी परमाणु हमलों के खिलाफ सतत क्रियाशील हैं। चार साल पहले इन संस्थानों ने 06 से 09 अगस्त 2018 तक 'नो मोर हिरोशिमा : नो मोर नागासाकी : पीस एक्जीबिशन' का आयोजन किया था। उसके बाद से ही यह संस्थान इस दिशा में सतत आयोजन कर रहा है। संस्थान ने छात्रों के साथ-साथ लोगों को भी अहिंसा के मूल्यों को सिखाने की अपील की। दुनियाभर में शांति संग्रहालय की मदद से हम परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के प्रति जनमत बना सकते हैं।

राजा दुबे

(लेखक, जनसम्पर्क विभाग से सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक हैं)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया - इंदौर
सहायक कुलसचिव परीक्षा - 2022

विज्ञापन क्रमांक 04/2022/25.07.2022	**परीक्षा तिथि**	**ऑनलाइन आवेदन करने की**
उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन	**25.09.2022**	**अंतिम तिथि 25.08.2022**

महत्वपूर्ण

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, **मध्यप्रदेश शासन** हेतु **सहायक कुलसचिव** के कुल 13 पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है :-
   शैक्षणिक अर्हता
   किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों ग्रेड/स्केल के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि उत्तीर्ण
   रोज़गार पंजीयन -
   (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
   (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र दिनांक 06.08.2022 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 25.08.2022 (दोपहर 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in**, तथा **https://mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
   आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में दिनांक 09.08.2022 से दिनांक 27.08.2022 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम पी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
3. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा दिनांक 25.09.2022 को इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर के परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध है।
   परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 19.09.2022 से **www.mponline.gov.in** तथा **https://mppsc.mp.gov.in** पर Download हेतु उपलब्ध रहेंगे।
4. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही आवश्यक होने पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए e-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर e-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें।
5. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता/अनुभव/वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है, वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है। जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे विभाग को अपनी शिकायत अग्रेषित कर सकते हैं।
6. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्त भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।
7. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा सेंटर आवंटन हेतु शहर की च्वाइस फीलिंग एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार च्वाइस फीलिंग उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना विवर्जित रहती है अतएवं औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार भुगतान प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है। जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है, अतएवं इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, अतएवं इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
13. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें, ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन**, के अंतर्गत निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या				कुल पदों की संख्या
		UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD	
1	सहायक कुलसचिव	4	2	3	3	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	13

Abbreviations: **UR-** Unreserved, **SC-** Scheduled Caste, **ST-** Scheduled Tribe, **OBC-** Other Backward Classes **EWS-** Economically Weaker Sections **OH-** Orthopedic Handicapped, **VH-**Visual Handicapped, **HH-** Hearing Handicapped, **MD-** Multiple Disability

दो पद का विवरण

01	**पद का नाम**	:	**सहायक कुलसचिव**
	विभाग का नाम	:	**उच्च शिक्षा विभाग**
	श्रेणी	:	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	रुपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। **नोट-** उपरोक्त वेतनमान छठे वेतन आयोग अनुसार है। सातवें वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान देय होगा।
	पद के कर्तव्य	:	विश्वविद्यालय से संबंधित प्रशासनिक कार्य।

तीन शैक्षणिक अर्हता : किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों ग्रेड/स्केल के साथ स्नातकोत्तर उपधि या समकक्ष उपाधि उत्तीर्ण।

टीप- (1) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हताएं अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

(2) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि लिखित परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(3) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(4) किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी हेतु आरक्षित है। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के रूप में मान्य हैं, आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमीलेयर में नहीं आते हैं।

(6) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(7) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

(8) दिव्यांगता श्रेणी के केवल वे अभ्यर्थी आरक्षण तथा छूट हेतु पात्र हैं जो दिव्यांगता हेतु जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करते हैं।

चार मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें जुड़वा या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। परीक्षा हेतु प्रवेश

पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी। नियुक्ति के पश्चात भी यदि सेवाकाल के दौरान किसी भी समय उसकी अनर्हता प्रमाणित होती है तो उसका चयन निरस्त कर सेवा से पृथक किया जाएगा।

छः **आयु सीमा :** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

सात **आयु संगणना तिथि :** 01.01.2023

आयु सीमा में दी गयी अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट-1** देखें।

आठ **अधिवार्षिकी आयु :** 62 वर्ष

नौ **चयन प्रक्रिया :**

(1) चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्न पत्र की परीक्षा का आयोजन दिनांक 25.09.2022 को किया जाएगा। परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** पर इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित किए गए हैं।

(2) परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जाएगा। परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रश्न-पत्र के दोनों भाग में पृथक-पृथक कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, इस प्रकार उनके लिए परीक्षा के प्रश्न-पत्र के दोनों भाग में पृथक-पृथक कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

ऋणात्मक मूल्यांकन:- प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र का मूल्यांकन ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति से किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 3 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1 अंक कम किया जाएगा।

(3) परीक्षा परिणाम तथा आरक्षण प्रक्रिया :

(क) अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु :
प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर संबन्धित प्रवर्ग हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित किया जाएगा।

(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु :
मध्यप्रदेश के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार आरक्षण प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का समायोजन :
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की भांति बिना किसी छूट के चयनित होते हैं, उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध चयनित किया जाएगा।

(4) परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबन्धित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच उपरांत अर्ह पाए जाएंगे। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है।

(5) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से SMS/आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** पर सूचित किया जाएगा।

(6) उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के श्रेणीवार गुणानुक्रम के आधार पर होगा।

(7) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(8) चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **फोटो पहचान-पत्र :** प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को निम्नांकित में से कोई एक मूल फोटो पहचान-पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। फोटो परिचय-पत्र से अभ्यर्थी के पहचान की पुष्टि होने पर ही उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

1. पासपोर्ट	6. शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र
2. मतदाता पहचान पत्र	7. बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
3. ड्रायविंग लायसेंस	8. शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
4. पैन कार्ड	9. राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय-पत्र
5. आधार कार्ड	

ग्यारह **आवेदन प्रक्रिया :** उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

बारह विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए e-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यक होने पर e-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा उसे अंतिम चयन परिणाम तक अपरिवर्तित रखें एवं आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

तेरह **अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :**

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-1**

(ii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**

(iii) परीक्षा से संबन्धित अन्य निर्देश **परिशिष्ट-3**

सचिव

परिशिष्ट-1

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें :

(1) **मध्यप्रदेश शासन**, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई, 2019 अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/दिव्यांगजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा **उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।**

(2) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हों, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट :

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।
(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट -1 (एक) (1 से 2) (दो) (1 से 2) मे उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।
(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देय होंगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

परिशिष्ट-2

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी :

1. सहायक कुलसचिव के पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र **www.mponline.gov.in**, तथा **https://mppsc.mp.gov.in** वेबसाइट पर भरे जा सकेंगे।

3. अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

4. अभ्यर्थी आवेदन भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन आवेदन भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है, उसी प्रकार जानकारी भरें।

6. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है, वही प्रामाणिक जानकारी है, अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़-समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

7. आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले pop-up window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात् उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः आवेदन में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर आवेदन सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा, जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8. **त्रुटि सुधार सुविधा :** अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 09.08.2022 से 27.08.2022 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क ₹ 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु ₹ 250 निर्धारित है। अतः आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि ₹ 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/दिव्यांगता) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। **विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।**

2 **परीक्षा तथा आवेदन शुल्क :**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹ 250/-	₹ 500/-

सभी श्रेणी के आवेदकों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रु. 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा।

आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबर पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

हेल्पलाइन :- 0755-6720200

केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा, किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

3 **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि :**
(अ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 25.08.2022** है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4 **अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नही करने हैं, किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**

आयु संबंधी प्रमाण के लिए : केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मैट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र : हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र : यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवशयक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।

जाति के प्रमाण-पत्र : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत हैं, द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है। अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं .... के विज्ञापन क्रमांक 04/2022, दिनांक 25.07.2022 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मैं .... पिता श्री .... निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/......................... जिला ...., मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। मैं .... जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा मध्यप्रदेश हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है।
2. मै यह भी घोषित करता/करती हूं कि मैं शासन के नवीनतम परिपत्रों द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूं।

हस्ताक्षर ....
नाम ....
रोल नंबर ....

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति केवल साक्षात्कार के पूर्व प्रस्तुत किए जाने वाले अनुप्रमाणन-पत्र के साथ संलग्न करें)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु : सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जो वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु जारी किया गया हो, ही मान्य होगा।

शासकीय सेवकों हेतु : नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5 जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह अभिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

6 **अनुशासनिक निर्देश :**
यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-
1 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
2 प्रतिरूपण किया हो; या
3 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
4 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
5 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या
6 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
7 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
8 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या
9 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हो; या
10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :
(क) उसे उस परीक्षा के लिए जिसके लिए वह उम्मीदवार है, निरर्ह ठहरा सकेगा
और/या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसपर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।
एवं तब शासन द्वारा :-
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **परीक्षा की पश्चात्‌वर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :**
1. परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।
2. परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अतः सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात् एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।
3. साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को विना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :**
(अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) तथा दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।
(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।
(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्नांकित अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-
1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी दृष्टिबाधित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित हो।
3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।
(द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर) तथा दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना एवं साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की पठनीय स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक विवरण में कोई त्रुटि/विसंगति होने के कारण भुगतान निरस्त होने की दशा में आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
(इ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

परिशिष्ट- तीन

ऑप्टिकल स्केनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

टीप - ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन ऑप्टिकल स्केनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जाएगा अतः ओ.एम.आर. शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानी पूर्वक करें।
1. आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल पाईन्ट पेन अवश्य लाएं।
2. गोले भरने के लिए केवल काला बाल पाईन्ट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्केनर द्वारा नहीं जांची जा सकेगी।
3. ओ.एम.आर. शीट पर किसी प्रकार का रफ कार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्न पत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थाउन का ही उपयोग करें।
4. ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/ऑप्टिकल स्केनर उसे रद्द कर देगा।
5. उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियां सही रूप से की गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट ए.बी.सी.डी. अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
6. आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने के केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (×) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/ऑप्टिकल स्केनर द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी।
7. **ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिए - सामान्य निर्देश -**
(अ) प्रश्नों के उत्तर : ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़े। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए.बी.सी.डी. बने हैं। प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए.बी.सी.डी. दिए हैं। इनमें से एक सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाईन्ट पेन से गहरा काला करें। एक से अधिक गोलों को काला करने पर प्रश्ने का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने/मिटाने/वाईटनर लगाने से उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।
(ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्न पत्र कोड आदि भरने के लिए बने खानों में प्रविष्टि के लिए काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A, B, C, D set में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।
(स) हस्ताक्षर- ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।
(द) ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्न पत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिए काला बाल पाईन्ट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात् ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए

गए कोड (ABCD के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाएगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गए सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आवश्यक प्रविष्टियां सही स्थान पर उचित रूप से न भरने पर अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य नहीं किया जाएगा।

8. रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)

रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ हैं। पहला स्तम्भ का लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़े का, पांचवां स्तम्भ दहाई का एवं छटा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है, तो आप पहले ऊपर की लाइन में चौकोर खानों में दर्शाए अनुसार रोल नम्बर काला बाल पाईन्ट पेन से लिखें तत्पश्चात् पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवें स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल पाईन्ट से गहरा काला करें।

रोल नं. चित्र 1

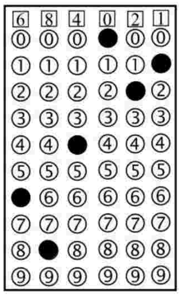

अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

एक - प्रवेश

1. परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।
2. परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
3. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटोयुक्त परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।
4. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जांच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल पाईन्ट पेन, प्रवेश पत्र एवं मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएं। इसके अतिरिक्त मोबाइल, केलक्युलेटर, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

दो - निर्गमन

1 सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।

2 किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही उसने प्रश्न पत्र हल कर लिया हो।

3 प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किए जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।

4 निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा (केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे आवेदकों को प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा में 20 मिनट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन- नाम और अनुक्रमांक

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिए गए A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्न पत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें। आपके द्वारा प्रश्न पत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट-B को काला किया है।

चित्र- चार

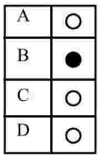

चार - अनुचित साधन

परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित करें कि उनकी सीट के निकट, उनके पास कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या अनावश्यक कागज Electronic Gadget इत्यादि जो परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करने में सहायक हो, न हों। परीक्षार्थी अनुचित साधन के प्रयोग से बचें।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएं आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर. शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जाएगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

परीक्षा की गोपनीयता : परीक्षा पूर्व/दौरान/पश्चात् प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों/व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाकर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पांच- प्रश्न संबंधी शिकायत

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा की प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के **07 दिवस के अंदर** निर्धारित अभ्याक्षेपण शुल्क (100 रुपये प्रति प्रश्न तथा रुपये 40 प्रति सत्र पोर्टल चार्ज अवापसी योग्य (Non refundable) जमाकर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराएं। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के **07 दिवस के अंदर** ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। इसके पश्चात् एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा।

छः - ओ.एम.आर. शीट का लौटाना -

परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जाएगा और इस हेतु उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

सात- ओ.एम.आर. शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियां

1. ओ.एम.आर. शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरें। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें। इस संबंध में दिए गए निर्देशों को गम्भीरतापूर्वक पढ़ने के पश्चात् ही आवश्यक प्रविष्टियां की जाएं।
2. ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/चिन्ह न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

आठ- प्रश्न पत्र पर अंकन

परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर भी अनुक्रमांक लिखे तथा रफ कार्य प्रश्न पत्र में दिए गए पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्न पत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ - उपस्थिति पत्रक

प्रत्येक प्रश्न पत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

दस- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम

अ. अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी :

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट-1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
5. उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

ब. प्रदान की जाने वाली सुविधाएं :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जाएगा।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए। (अर्थात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए) यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है, तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात् स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :

ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए	40 मिनट

स. इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं :

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा।

द. अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

टीप:- 1. उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिए जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।

2. दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सहलेखक एवं भूतल पर बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता है वे अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त आवश्यकताओं की प्रविष्टि करेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आकस्मिक दुर्घटना एवं बीमारी के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अभ्यर्थियों को उक्त सुविधाएं उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही देय होंगी।

ग्यारह विविध

1 परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्न पत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेंसिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेंसिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे।

2 परीक्षार्थियों को अपने साथ डिजीटल डायरी, वॉच, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित हैं।

बारह-परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्न पत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़े व अनिवार्यता से उनका पालन करें।

तेरह- अनुशासन व शालीनता

1 परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना/अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।

2 परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।

3 परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए, यह दण्डनीय है।

4 यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है, तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परिक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किए जाएं। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

जी-14765/47304/2022

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

श्रम विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/ सहायक शल्य चिकित्सक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि
05/2022/25.07.2022	11.09.2022	23.09.2022

महत्वपूर्ण

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग हेतु बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/सहायक शल्य चिकित्सक के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है:-

   अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता :-
   एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष (भारतीय चिकित्सा परिषद् में पंजीकृत उम्मीदवार)
   टीप - भारतीय चिकित्सा परिषद् में मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद् में पंजीकृत अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं।

   समतुल्य अर्हता :-
   भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी।

   रोज़गार पंजीयन :-
   (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
   (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक-अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र दिनांक 12.08.2022 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 11.09.2022 (दोपहर 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in** तथा **https://mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
   आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र में उल्लेखित भुगतान विवरण से यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क भुगतान हो चुका है। उक्त ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपनी अर्हता से संबन्धित सभी अभिलेखों तथा अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक एवं उपस्थिति-पत्रक (आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध) की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय में दिनांक 23.09.2022 तक जमा कराएं। आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं तदनुसार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन-पत्र भरें।
3. आवेदक ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में दिनांक 18.08.2022 से दिनांक 13.09.2022 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटिसुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
4. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही आवश्यक होने पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए **E-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर **E-mail** तथा **SMS Alert** भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें ।
5. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता/अनुभव/वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है, वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है। जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे विभाग को अपनी शिकायत अग्रेषित कर सकते हैं।
6. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।
7. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा सेंटर आवंटन हेतु शहर की च्वाइस फिलिंग एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटन किया जाता है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार च्वाइस फिलिंग उपरांत परीक्षा शहर के परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना विवर्जित रहती है का उल्लेख होता है। अतः औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार भुगतान प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है। जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है, अतः इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
13. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या				कुल पदों की संख्या
		UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD	
1	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/ सहायक शल्य चिकित्सक	0	4	23	42	5	0	1	8	14	2	7	0	0	0	74

Abbreviations : **UR** - Unreserved, **SC** - Scheduled Caste, **ST** - Scheduled Tribe,
OBC - Other Backward Classes, **EWS** - Economically Weaker Sections
OH - Orthopedic Handicapped (Locomotor Disability),
VH - Visual Handicapped, **HH** - Hearing Handicapped, **MD** - Multiple Disability

दो पद का विवरण

01 पद का नाम	:	**बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/सहायक शल्य चिकित्सक**
विभाग का नाम	:	श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन
श्रेणी	:	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
पद स्थिति	:	अस्थायी
वेतनमान	:	रु. 15600-39100+5400 ग्रेड पे (छठे वेतन आयोग अनुसार) सातवें वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान प्राप्त होंगे।
पद के मुख्य कर्तव्य	:	चिकित्सकीय कार्य

तीन शैक्षणिक अर्हता : **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**
एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष (भारतीय चिकित्सा परिषद् में पंजीकृत उम्मीदवार)
टीप - भारतीय चिकित्सा परिषद् में मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद् में पंजीकृत अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं।
समतुल्य अर्हता :-
भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी।

विशेष :
(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11.09.2022 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।
(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/ सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप :-
(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी।

बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

(4) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकेंगे। **अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्य है अथवा दिव्यांगजन है, अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचारित किए जाएंगे।** अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमीलेयर में नहीं आते।

(5) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छः **आयु सीमा :-** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो

सात **आयु संगणना तिथि :-** 01.01.2023

आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट-1** देखें।

आठ **अधिवार्षिकी आयु :-** 65 वर्ष

नौ **चयन प्रक्रिया :-**

चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर प्रत्येक श्रेणियों/ उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों।

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप :-

(1) आवश्यक होने पर ही लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय **"रोज़गार एवं निर्माण"** समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in/** पर प्रकाशित किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में आवेदकों को परीक्षा शुल्क का पृथक से भुगतान करना होगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in/** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए **E-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर **E-mail** तथा **SMS** द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

बारह **आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-**

(1) आयु सीमा की छूटें **परिशिष्ट-1**

(2) आवेदन-पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**

सचिव

परिशिष्ट -1

(एक) **मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट**

(1) **मध्यप्रदेश शासन,** सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 04 जुलाई, 2019 अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/निगम/ मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित)/दिव्यांगजन आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा **उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।**

(2) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है 'मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985" के नियम 2 (ग) में यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) **प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटें**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- (1) **परिशिष्ट-1 (दो)** के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(तीन) **मध्यप्रदेश के चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके संविदा चिकित्सा अधिकारियों हेतु विशेष छूट**

1. सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त अनुदेशों के अनुसार मध्यप्रदेश के चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके संविदा चिकित्सा अधिकारियों को जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष की संविदा सेवा की है, उनके द्वारा समकक्ष अथवा उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर जितने वर्ष की सेवा की गई है, उतने वर्ष की छूट अधिकतम आयु सीमा में दी जाएगी किन्तु उक्त छूट को सम्मिलित करते हुए उनकी आयु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. उक्त छूट हेतु अभ्यर्थी को उसकी संविदा सेवा की अवधि के प्रमाणन हेतु विहित अधिकारी द्वारा अनुभव प्रमाण-पत्र आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अभिलेखों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक होगा (दिनांक से दिनांक तक प्रारूप में)। अपेक्षित प्रमाण-पत्र/पत्रों के अभाव में अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र निरस्त किया जाएगा।

(चार) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

नोट :- (01) उपरोक्त **परिशिष्ट-1** (एक) (1 से 2), (दो) (1 एवं 2) तथा (तीन) में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूटें देय होंगी किन्तु समस्त छूटों को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं है। **(मध्यप्रदेश के चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके संविदा चिकित्सा अधिकारियों को देय छूट को छोड़कर)**

परिशिष्ट-2

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-
   1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे
      1. **www.mponline.gov.in**
      2. **mppsc.mp.gov.in**
   2. आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें तथा आवेदन-पत्र की भलीभांति जांचकर सुनिश्चित कर लें कि भुगतान हो चुका है। **mponline** के अधिकृत कियोस्कों की सूची **www.mponline.gov.in** तथा **mppsc.mp.gov.in** पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
   3. आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
   4. आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय अपलोड करना होगा। mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

      फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-
      1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
      2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
      3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हों।
      4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं है। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य है किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
      5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
      6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।
   5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध अनुदेशों तथा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर तदनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरें।
   6. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह माना जाएगा कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र submit करें।
   7. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

      अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8. **त्रुटिसुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 18.08.2022 से 13.09.2022 तक प्रति त्रुटिसुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटिसुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रु. 250 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु रु. 500 निर्धारित है अतः छूट वाली श्रेणियों के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटिसुधार द्वारा गैर छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटिसुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु गैर छूट श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटिसुधार द्वारा छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। **ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी/वर्ग (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/दिव्यांगता आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।**

9. **आवेदन-पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-**
(1) आयोग की वेबसाइट **http://mppsc.mp.gov.in** के **Download Format** लिंक से अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक एवं उपस्थिति-पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात उक्त प्रपत्रों की क्रमशः तीन, छः तथा एक छायाप्रति करायें।
(2) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने तथा शुल्क भुगतान के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित भुगतान विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान हो चुका है। यह भी जांच कर लें कि समस्त प्रविष्टियां सही हैं (त्रुटि होने पर विहित अवधि में त्रुटि सुधार कर लें (**देखें बिन्दु-8**)। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा साथ ही अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक की एक एक प्रति संलग्न करें। (प्रपत्रों की शेष प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि उन्हें आपको साक्षात्कार के समय अपने मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा)
(3) एक बड़े लिफाफे पर निम्न विवरण अंकित कर उक्त सेट (आवेदन-पत्र तथा समस्त अभिलेख) इस बड़े लिफाफे में रखकर पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग को प्रेषित करें।

विज्ञापन क्रमांक 05/2022 दिनांक 25.07.2022
चिकित्सा अधिकारी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद हेतु आवेदन-पत्र

प्रति,
सचिव
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया
इंदौर (मध्यप्रदेश) पिन - 452001

प्रेषक :
आवेदक का नाम
तथा पता

(लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद/विभाग का नाम अंकित न होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा)

(4) ध्यान रखें अभिलेखों सहित उक्त आवेदन-पत्र दिनांक 23.09.2022 को सायंकाल 5:30 बजे तक आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जाएगा। आवेदन-पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय (**प्रातः 10:30 बजे से सायंकाल 5:30 बजे तक**) आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किए जाएंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। आवेदक आयोग को प्रेषित आवेदन-पत्र तथा अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें।

10. विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त किए जाएंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। **अतः आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र आयोग को प्रेषित करें।**

11. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2. **आवेदन शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 250/-	रु. 500/-
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त रु. 40/- (जीएसटी सहित) पोर्टल शुल्क देय होगा	
● ऑनलाइन परीक्षा की स्थिति में परीक्षा शुल्क का भुगतान पृथक से करना होगा	
● **शुल्क वापसीः**- अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शुल्क वापसी आवेदन प्राप्त कर आवेदन शुल्क की राशि वापस की जाएगी किन्तु पोर्टल शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।	

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो **mponline** से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज़ करा सकते हैं :-

हेल्पलाइन नं. 0755-6720200

नोट : **यदि आपको ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-**
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983
एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, (मध्यप्रदेश शासन तथा टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज का संयुक्त उपक्रम)
ऑफिस ब्लाक OB-14 से 17, चतुर्थ तल, डी.बी. सिटी कार्पोरेट पार्क,
अरेरा हिल्स, ज़ोन-1 के सामने, एम.पी. नगर,
भोपाल-462011, हेल्पलाइन नं. 0755-6720200

3. **आवेदन की अंतिम तिथि**
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11.09.2022 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें:-**
आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंक-सूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।
दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।
शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधि।
शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। (दिनांक से दिनांक तक प्रारूप में)
जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर)/EWS का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत हैं द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है। अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र संलग्न करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ———— आयोग के विज्ञापन क्रमांक 05/2022 दिनांक 25.07.2022 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मैं ———— पुत्र/पुत्री श्री ———— निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/———जिला ——— मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/ करती हूं कि मैं ————जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूं।

दिनांक :- ————
हस्ताक्षर : ————
नाम : ————
आवेदन-पत्र क्रमांक : ————

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्केन्ड प्रति ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें)
तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :- (परीक्षा संबंधी अनुदेश परीक्षा की स्थिति में)**
यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-
01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
02 प्रतिरूपण किया हो; या
03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या
06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्यत्र अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हो; या
10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,
11 परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु प्राप्त उत्तर-पुस्तिका परीक्षा के समाप्त होने पर परीक्षा कक्ष के वीक्षक / परीक्षक को न जमा करते हुए अपने साथ ले गया हो।

तब आयोग द्वारा :-
(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहराया जा सकेगा
और/ या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :-** ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

8. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**
मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत नहीं है, मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का भुगतान आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। आवेदकों को इसके लिए वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबन्धित निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे :-
(01) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।
(02) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गई है तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम स्वयं के बैंक खाते का नम्बर एवं बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

जी-14768/47305/2022

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु मेडिकल विशेषज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 06/2022/27.07.2022 | **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11.09.2022** | **आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 23.09.2022**

महत्वपूर्ण

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु मेडिकल विशेषज्ञ के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है:-

   अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता :-
   भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/सी.पी.एस. डिप्लोमा अथवा समतुल्य अर्हता अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में सुपर स्पेशएलिटी डिग्री/डिप्लोमा।

   समतुल्य अर्हता :-
   भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी।

   वांछनीय अर्हता :-
   मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन।

   रोज़गार पंजीयन :-
   (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
   (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक-अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र दिनांक 12.08.2022 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 11.09.2022 (दोपहर 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in** तथा **https://mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र में उल्लेखित भुगतान विवरण से यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क भुगतान हो चुका है। उक्त ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपनी अर्हता से संबन्धित सभी अभिलेखों तथा अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक एवं उपस्थिति-पत्रक (आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध) की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय में दिनांक 23.09.2022 तक जमा कराएं। **आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं तदनुसार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन-पत्र भरें।**
4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में दिनांक 17.08.2022 से दिनांक 13.09.2022 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटिसुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही आवश्यक होने पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए **E-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर **E-mail** तथा **SMS Alert** भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें ।
6. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता/अनुभव/वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है, वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है। जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे विभाग को अपनी शिकायत अग्रेषित कर सकते हैं।
7. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।
8. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा सेंटर आवंटन हेतु शहर की च्वाइस फिलिंग एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार च्वाइस फिलिंग उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना विवर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार भुगतान प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है। जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है, अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। अतएव इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
13. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
14. **आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम, पता गोपनीय रखा जाएगा।**

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1	मेडिकल विशेषज्ञ	43	26	32	43	16	160	14	9	11	14	5	3	2	2	3

दो पद का विवरण

01	पद का नाम	:	मेडिकल विशेषज्ञ
	विभाग का नाम	:	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन
	श्रेणी	:	राजपत्रित प्रथम श्रेणी
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	रु. 15600-39100+6600 ग्रेड पे (छठे वेतन आयोग अनुसार) सातवें वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान प्राप्त होंगे।
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	मरीजों की देखभाल एवं उपचार

तीन शैक्षणिक अर्हता : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/सी.पी.एस. डिप्लोमा अथवा समतुल्य अर्हता अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में सुपर स्पेशएलिटी डिग्री/डिप्लोमा

समतुल्य अर्हता :-
भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी।

वांछनीय अर्हता :-
मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन।

विशेष :
(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11.09.2022 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।
(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/ सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप :-
(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।
(3) किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
(4) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकेंगे। **अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्य है अथवा दिव्यांगजन है, अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचारित किए जाएंगे।** अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमीलेयर श्रेणी में नहीं आते।
(5) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

चार मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छः **आयु सीमा :-** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो

सात **आयु संगणना तिथि :-** 01.01.2023
आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट-1** देखें।

आठ **अधिवार्षिकी आयु :-** 65 वर्ष

नौ **चयन प्रक्रिया :-**
चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों।
साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप :-
(1) अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों के पांच गुना से अधिक होने पर shortlisting के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के पांच गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। shortlisting हेतु अपनाये जाने वाले आधार यथा समय अधिसूचित किये जायेंगे।
(2) आवश्यक होने पर ही लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।
(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथा समय **"रोज़गार एवं निर्माण"** समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में आवेदकों को परीक्षा शुल्क का पृथक से भुगतान करना होगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए **E-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर **E-mail** तथा **SMS** द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

बारह **आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-**
(1) आयु सीमा की छूटें **परिशिष्ट-1**
(2) आवेदन-पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**

सचिव

परिशिष्ट -1

(एक) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट

(1) **मध्यप्रदेश शासन,** सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 04 जुलाई, 2019 अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/निगम/ मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित)/दिव्यांगजन आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा **उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।**
(2) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-
भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है 'मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985" के नियम 2 (ग) में यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटें

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- (1) **परिशिष्ट-1 (दो)** के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(तीन) मध्यप्रदेश के चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके संविदा के आधार पर विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु

1. सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त अनुदेशों के अनुसार मध्यप्रदेश के चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके संविदा के आधार पर विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों को जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष की संविदा सेवा की है, उनके द्वारा समकक्ष अथवा उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर जितने वर्ष की सेवा की गई है, उतने वर्ष की छूट अधिकतम आयु सीमा में दी जाएगी किन्तु उक्त छूट को सम्मिलित करते हुए उनकी आयु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. उक्त छूट हेतु अभ्यर्थी को उसकी संविदा सेवा की अवधि के प्रमाणन हेतु विहित अधिकारी द्वारा अनुभव प्रमाण-पत्र आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अभिलेखों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक होगा (दिनांक से दिनांक तक प्रारूप में)। अपेक्षित प्रमाण-पत्र/पत्रों के अभाव में अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र निरस्त किया जाएगा।

नोट :- (01) उपरोक्त **परिशिष्ट-1** (एक) (1 से 2), (दो) (1 एवं 2) तथा (तीन) में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।
(02) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूटें देय होंगी किन्तु समस्त छूटों को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं है। **(मध्यप्रदेश के चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके विशेषज्ञ अभ्यर्थियों को देय छूट को छोड़कर)**

(चार) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होंगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट-2

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-
1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे
1. www.mponline.gov.in
2. mppsc.mp.gov.in
2. आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें तथा आवेदन-पत्र की भलीभांति जांचकर सुनिश्चित कर लें कि भुगतान हो चुका है। **mponline** के अधिकृत कियोस्कों की सूची **www.mponline.gov.in** तथा **mppsc.mp.gov.in** पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
3. आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
4. आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय अपलोड करना होगा। mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-
1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं है। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध अनुदेशों तथा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर तदनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरें।
6. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह माना जाएगा कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र submit करें।
7. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8. **त्रुटिसुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 17.08.2022 से 13.09.2022 तक प्रति त्रुटिसुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटिसुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। **मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रु. 1000 तथा अन्य श्रेणियों हेतु रु. 2000 निर्धारित है अतः छूट वाली श्रेणियों के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटिसुधार द्वारा गैर छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 1000 त्रुटिसुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु गैर छूट श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटिसुधार द्वारा छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी/वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/दिव्यांगता आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।**

9. **आवेदन-पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-**

(1) आयोग की वेबसाइट **http://mppsc.mp.gov.in** के **Download Format** लिंक से अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक एवं उपस्थिति-पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात उक्त प्रपत्रों की क्रमशः तीन, छः तथा एक छायाप्रति करायें।

(2) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने तथा शुल्क भुगतान के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित भुगतान विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान हो चुका है। यह भी जांच कर लें कि समस्त प्रविष्टियां सही हैं (त्रुटि होने पर विहित अवधि में त्रुटि सुधार कर लें (**देखें बिन्दु-8**)। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा साथ ही अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक की एक एक प्रति संलग्न करें। (प्रपत्रों की शेष प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि उन्हें आपको साक्षात्कार के समय अपने मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा)

(3) एक बड़े लिफाफे पर निम्न विवरण अंकित कर उक्त सेट (आवेदन-पत्र तथा समस्त अभिलेख) इस बड़े लिफाफे में रखकर पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग को प्रेषित करें।

विज्ञापन क्रमांक 06/2022 दिनांक 27.07.2022
मेडिकल विशेषज्ञ, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद हेतु आवेदन-पत्र

प्रति,
सचिव
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया
इंदौर (मध्यप्रदेश) पिन - 452001

प्रेषक :
आवेदक का नाम
तथा पता

(लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद/विभाग का नाम अंकित न होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा)

(4) ध्यान रखें अभिलेखों सहित उक्त आवेदन-पत्र दिनांक 23.09.2022 को सायंकाल 6:00 बजे तक आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जाएगा। आवेदन-पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय (**प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 6:00 बजे तक**) आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किए जाएंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। आवेदक आयोग को प्रेषित आवेदन-पत्र तथा अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें।

10. विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त किए जाएंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। **अतः आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र आयोग को प्रेषित करें।**

11. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2. आवेदन शुल्क

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 1000/-	रु.2000/-
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त रु. 40/- (जीएसटी सहित) पोर्टल शुल्क देय होगा	
● परीक्षा की स्थिति में परीक्षा शुल्क का भुगतान पृथक से करना होगा	
● **शुल्क वापसी:-** अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शुल्क वापसी आवेदन प्राप्त कर आवेदन शुल्क की राशि वापस की जाएगी किन्तु पोर्टल शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।	

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो **mponline** से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं :-

हेल्पलाइन नं. 0755-6720200

नोट : यदि आपको ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983

(2) एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, (मध्यप्रदेश शासन तथा टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज का संयुक्त उपक्रम)
ऑफिस ब्लाक OB-14 से 17, चतुर्थ तल, डी.बी. सिटी कार्पोरेट पार्क,
अरेरा हिल्स, ज़ोन-1 के सामने, एम.पी. नगर,
भोपाल-462011, हेल्पलाइन नं. 0755-6720200

3. आवेदन की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11.09.2022 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें:-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंक-सूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

रोज़गार कार्यालय में पजीयन का प्रमाण-पत्र :- जिस श्रेणी के अभ्यर्थियों को जीवित रोज़गार पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, वे उपलब्ध होने पर संलग्न करें। उक्त प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधि।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। (दिनांक से दिनांक तक प्रारूप में)

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत हैं द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। **अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है। अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे।** इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र संलग्न करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ———— आयोग के विज्ञापन क्रमांक 06/2022 दिनांक 27.07.2022 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं।

1. मैं ——— पुत्र/पुत्री श्री ———— निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/———जिला ——— मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/ करती हूं कि मैं ————जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूं।

दिनांक :- ————

हस्ताक्षर : ————
नाम : ————
आवेदन-पत्र क्रमांक : ————

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्केन्ड प्रति ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें)

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6. अनुशासनिक निर्देश :- (परीक्षा संबंधी अनुदेश परीक्षा की स्थिति में)

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
02 प्रतिरूपण किया हो; या
03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या
06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्यत्र अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हो; या
10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,
11 परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु प्राप्त उत्तर-पुस्तिका परीक्षा के समाप्त होने पर परीक्षा कक्ष के वीक्षक / परीक्षक को न जमा करते हुए अपने साथ ले गया हो।

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहराया जा सकेगा।
और/ या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. अनर्हताएं :- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

8. यात्रा व्यय का भुगतान :-

मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत नहीं है, मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का भुगतान आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। आवेदकों को इसके लिए वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबन्धित निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे :-

(01) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।

(02) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गई है तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम स्वयं के बैंक खाते का नम्बर एवं बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

जी-14827/47313/2022

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु अस्थि रोग विशेषज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 07/2022/28.07.2022

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15.09.2022

आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27.09.2022

महत्वपूर्ण

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु अस्थि रोग विशेषज्ञ के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार हैः-

   अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता :-
   भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/सी.पी.एस. डिप्लोमा अथवा समतुल्य अर्हता अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में सुपर स्पेशलिएटी डिग्री/डिप्लोमा।

   समतुल्य अर्हता :-
   भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी।

   वांछनीय अर्हता :-
   मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन।

   रोज़गार पंजीयन :-
   (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
   (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक-अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र **दिनांक 16.08.2022** (दोपहर 12:00 बजे) से **दिनांक 15.09.2022** (दोपहर 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in** तथा **https://mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र में उल्लेखित भुगतान विवरण से यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क भुगतान हो चुका है। उक्त ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपनी अर्हता से संबन्धित सभी अभिलेखों तथा अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक एवं उपस्थिति-पत्रक (आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध) की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय में **दिनांक 27.09.2022 तक** जमा कराएं। **आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं तदनुसार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन-पत्र भरें।**
4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में दिनांक 21.08.2022 से दिनांक 17.09.2022 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटिसुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही आवश्यक होने पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए **e-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर **e-mail** तथा **SMS Alert** भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें।
6. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता/अनुभव/वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है, वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है। जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे विभाग को अपनी शिकायत अग्रेषित कर सकते हैं।
7. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।
8. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा सेंटर आवंटन हेतु शहर की च्वाइस फीलिंग एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटन किया जाता है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार च्वाइस फीलिंग उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना विवर्जित रहती है। अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार भुगतान प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है। जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है, अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। अतएव इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
13. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
14. **आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।**

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	अस्थि रोग विशेषज्ञ	15	9	12	15	6	57	5	3	4	5	2	1	0	1	1

दो **पद का विवरण**

01 पद का नाम	:	**अस्थि रोग विशेषज्ञ**
विभाग का नाम	:	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन
श्रेणी	:	राजपत्रित (प्रथम श्रेणी)
पद स्थिति	:	अस्थायी
वेतनमान	:	रु. 15600-39100+6600 ग्रेड पे (छठे वेतन आयोग अनुसार) सातवें वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान प्राप्त होंगे।
पद के मुख्य कर्तव्य	:	**मरीजों की देखभाल एवं उपचार**

तीन **शैक्षणिक अर्हता :** **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/सी.पी.एस. डिप्लोमा अथवा समतुल्य अर्हता अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में सुपर स्पेशलिएटी डिग्री/डिप्लोमा

समतुल्य अर्हता :-
भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी।

वांछनीय अर्हता :-
मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन।

विशेष :
(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15.09.2022 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।
(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप :-
(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

(4) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकेंगे। **अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्य है अथवा दिव्यांगजन है, अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचारित किए जाएंगे।** अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमीलेयर में नहीं आते।

(5) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छः **आयु सीमा** :- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो

सात **आयु संगणना तिथि** :- 01.01.2023

आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट-1** देखें।

आठ **अधिवार्षिकी आयु** :- 65 वर्ष

नौ **चयन प्रक्रिया** :-

चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों।

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप :-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों के पांच गुना से अधिक होने पर shortlisting के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के पांच गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। shortlisting हेतु अपनाये जाने वाले आधार यथासमय अधिसूचित किये जायेंगे।

(2) आवश्यक होने पर ही लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय **"रोज़गार एवं निर्माण"** समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in/** पर प्रकाशित किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में आवेदकों को परीक्षा शुल्क का पृथक से भुगतान करना होगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया** :- उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए **E-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर **E-mail** तथा **SMS** द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

बारह **आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-**

(1) आयु सीमा की छूटें **परिशिष्ट-1**

(2) आवेदन-पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**

उप सचिव

परिशिष्ट-1

(एक) **मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट**

(1) **मध्यप्रदेश शासन**, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 04 जुलाई, 2019 अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित)/दिव्यांगजन आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा **उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।**

(2) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है 'मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985" के नियम 2 (ग) में यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) **प्रोत्साहनस्वरूप दी गई छूटें**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- (1) **परिशिष्ट-1 (दो)** के अंतर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(तीन) **मध्यप्रदेश के चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके संविदा के आधार पर विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु**

1. सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त अनुदेशों के अनुसार मध्यप्रदेश के चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके संविदा के आधार पर विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों को जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष की संविदा सेवा की है, उनके द्वारा समकक्ष अथवा उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर जितने वर्ष की सेवा की गई है, उतने वर्ष की छूट अधिकतम आयु सीमा में दी जाएगी किन्तु उक्त छूट को सम्मिलित करते हुए उनकी आयु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. उक्त छूट हेतु अभ्यर्थी को उसकी संविदा सेवा की अवधि के प्रमाणन हेतु विहित अधिकारी द्वारा अनुभव प्रमाण-पत्र आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अभिलेखों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक होगा (दिनांक से दिनांक तक प्रारूप में)। अपेक्षित प्रमाण-पत्र/पत्रों के अभाव में अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र निरस्त किया जाएगा।

नोट :-(01) उपरोक्त **परिशिष्ट-1** (एक) (1 से 2), (दो) (1 एवं 2) तथा (तीन) में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूटें देय होंगी किन्तु समस्त छूटों को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। **(मध्यप्रदेश के चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके विशेषज्ञ अभ्यर्थियों को देय छूट को छोड़कर)**

(चार) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होंगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट-2

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mponline.gov.in

2. mppsc.mp.gov.in

2. आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें तथा आवेदन-पत्र की भलीभांति जांचकर सुनिश्चित कर लें कि भुगतान हो चुका है। **mponline** के अधिकृत कियोस्कों की सूची **www.mponline.gov.in** तथा **mppsc.mp.gov.in** पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।

3. आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

4. आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय अपलोड करना होगा। mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्मे स्वीकार्य नहीं है। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध अनुदेशों तथा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर तदनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरें।

6. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह माना जाएगा कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र submit करें।

7. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सब्मिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8. **त्रुटि सुधार सुविधा** :- अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 21.08.2022 से 17.09.2022 तक** प्रति त्रुटिसुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटिसुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। **मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रु. 1000 तथा अन्य श्रेणियों हेतु रु. 2000 निर्धारित है अतः छूट वाली श्रेणियों के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटिसुधार द्वारा गैर छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 1000 त्रुटिसुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु गैर छूट श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटिसुधार द्वारा छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गई श्रेणी/वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/दिव्यांगता आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।**

9. **आवेदन-पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-**

(1) आयोग की वेबसाइट **http://mppsc.mp.gov.in** के **Download Format** लिंक से अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक एवं उपस्थिति-पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात उक्त प्रपत्रों की क्रमशः तीन, छः तथा एक छायाप्रति करायें।

(2) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने तथा शुल्क भुगतान के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित भुगतान विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान हो चुका है। यह भी जांच कर लें कि समस्त प्रविष्टियां सही हैं (त्रुटि होने पर विहित अवधि में त्रुटि सुधार कर लें (**देखें बिन्दु-8**)। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा साथ ही अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक की एक एक प्रति संलग्न करें। (प्रपत्रों की शेष प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि उन्हें आपको साक्षात्कार के समय अपने मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा)

(3) एक बड़े लिफाफे पर निम्न विवरण अंकित कर उक्त सेट (आवेदन-पत्र तथा समस्त अभिलेख) इस बड़े लिफाफे में रखकर पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग को प्रेषित करें।

विज्ञापन क्रमांक 07/2022 दिनांक 28.07.2022
अस्थि रोग विशेषज्ञ, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद हेतु आवेदन-पत्र

प्रति,
सचिव
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया
इंदौर (मध्यप्रदेश) पिन - 452001

प्रेषक :
आवेदक का नाम
तथा पता

(लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद/विभाग का नाम
अंकित न होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा)

(4) ध्यान रखें अभिलेखों सहित उक्त आवेदन-पत्र **दिनांक 27.09.2022** को **सायंकाल 5:30 बजे** तक आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जाएगा। आवेदन-पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय (**प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 6:00 बजे तक**) आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किए जाएंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। आवेदक आयोग को प्रेषित आवेदन-पत्र तथा अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें।

10. विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त किए जाएंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। **अतः आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र आयोग को प्रेषित करें।**

11. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2. **आवेदन शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	**शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु**
रु. 1000/-	रु. 2000/-
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त रु. 40/- (जीएसटी सहित) पोर्टल शुल्क देय होगा	
● परीक्षा की स्थिति में परीक्षा शुल्क का भुगतान पृथक से करना होगा	
● **शुल्क वापसी:**- अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शुल्क वापसी आवेदन प्राप्त कर आवेदन शुल्क की राशि वापस की जाएगी किन्तु पोर्टल शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।	

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो **mponline** से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज़ करा सकते हैं :-

हेल्पलाइन नं. 0755-6720200

नोट : **यदि आपको ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-**
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983
एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, (मध्यप्रदेश शासन तथा टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज का संयुक्त उपक्रम) ऑफिस ब्लाक OB-14 से 17, चतुर्थ तल, डी.बी. सिटी कार्पोरेट पार्क, अरेरा हिल्स, ज़ोन-1 के सामने, एम.पी. नगर, भोपाल-462011, हेल्पलाइन नं. 0755-6720200

3. **आवेदन की अंतिम तिथि**

ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 15.09.2022** है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें:-**

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंक-सूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

रोज़गार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण-पत्र :- जिस श्रेणी के अभ्यर्थियों को जीवित रोज़गार पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, वे उपलब्ध होने पर संलग्न करें। उक्त प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसुचियां एवं उपाधि।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। (दिनांक से दिनांक तक प्रारूप में)

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत हैं द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है। अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र संलग्न करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ———— आयोग के विज्ञापन क्रमांक **07/2022 दिनांक 28.07.2022** के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मैं ———— पुत्र/पुत्री श्री ———— निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/———जिला ——— मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं ————जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूं।

दिनांक :- ————

हस्ताक्षर : ————
नाम : ————
आवेदन-पत्र क्रमांक : ————

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्केन्ड प्रति ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थी नवीनतम EWS प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :- (परीक्षा संबंधी अनुदेश परीक्षा की स्थिति में)**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
02 प्रतिरूपण किया हो; या
03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या
06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्यत्र अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,
11 परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु प्राप्त उत्तर-पुस्तिका परीक्षा के समाप्त होने पर परीक्षा कक्ष के वीक्षक/परीक्षक को न जमा करते हुए अपने साथ ले गया हो।

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहराया जा सकेगा
और/या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं** :- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

8. **यात्रा व्यय का भुगतान** :-

मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत नहीं है, मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का भुगतान आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। आवेदकों को इसके लिए वांछित प्रोफार्मा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबन्धित निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे :-

(01) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।
(02) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गई है तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम स्वयं के बैंक खाते का नम्बर एवं बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

जी-14849/47317/2022

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु निश्चेतना विशेषज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 08/2022/29.07.2022

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16.09.2022

आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28.09.2022

महत्वपूर्ण

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु निश्चेतना विशेषज्ञ के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है:-

   अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता :-

   भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/सी.पी.एस. डिप्लोमा अथवा समतुल्य अर्हता अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में सुपर स्पेशलिएटी डिग्री/डिप्लोमा।

   समतुल्य अर्हता :-

   भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी।

   वांछनीय अर्हता :-

   मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन

   रोज़गार पंजीयन :-

   (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

   (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

   (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक-अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2022 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 16.09.2022 (दोपहर 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in** तथा **https://mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र में उल्लेखित भुगतान विवरण से यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क भुगतान हो चुका है। उक्त ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपनी अर्हता से संबन्धित सभी अभिलेखों तथा अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक एवं उपस्थिति-पत्रक (आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध) की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय में दिनांक 28.09.2022 तक जमा कराएं। आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं तदनुसार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन-पत्र भरें।
4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में दिनांक 22.08.2022 से दिनांक 18.09.2022 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटिसुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएँ परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही आवश्यक होने पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए **e-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर **e-mail** तथा **SMS Alert** भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें।
6. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता/अनुभव/वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है, वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है। जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे विभाग को अपनी शिकायत अग्रेषित कर सकते हैं।
7. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्त भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।
8. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा सेंटर आवंटन हेतु शहर की च्वाइस फीलिंग एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार च्वाइस फीलिंग उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना विवर्जित रहती है अतएवं औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार भुगतान प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है। जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है, अतएवं इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर विना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं अतएवं इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
13. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
14. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन** के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1	निश्चेतना विशेषज्ञ	26	15	19	26	10	96	9	5	6	9	3	2	1	2	1

दो **पद का विवरण**

01	**पद का नाम**	:	**निश्चेतना विशेषज्ञ**
	विभाग का नाम	:	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन
	श्रेणी	:	राजपत्रित (प्रथम श्रेणी)
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	रु. 15600-39100+6600 ग्रेड पे (छठे वेतन आयोग अनुसार) सातवें वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान प्राप्त होंगे।
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	मरीजों की देखभाल एवं उपचार

तीन **शैक्षणिक अर्हता :** **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/सी.पी.एस. डिप्लोमा अथवा सतुल्य अर्हता अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में सुपर स्पेशिलएटी डिग्री/डिप्लोमा

समतुल्य अर्हता :-

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी।

वांछनीय अर्हता :-

मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद् में स्थायी पंजीयन

विशेष : (1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16.09.2022 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/ सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य हैं।

टीप :-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

(4) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकेंगे। **अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्य हैं अथवा दिव्यांगजन हैं, अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचारित किए जाएंगे।** अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि वे क्रीमीलेयर श्रेणी में नहीं आते।

(5) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छः **आयु सीमा :-** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

सात **आयु संगणना तिथि :-** 01.01.2023

आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट-1** देखें।

आठ **अधिवार्षिकी आयु :-** 65 वर्ष

नौ **चयन प्रक्रिया :-**

चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों।

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप :-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों के पाँच गुना से अधिक पर **shortlisting** के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के पाँच गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। **shortlisting** हेतु अपनाए जाने वाले आधार यथासमय अधिसूचित किए जाएंगे।

(2) आवश्यक होने पर ही लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(3) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय **"रोज़गार और निर्माण"** समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in/** पर प्रकाशित किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में आवेदकों को परीक्षा शुल्क का पृथक से भुगतान करना होगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए **E-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर **E-mail** तथा **SMS** द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

बारह **आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-**

(1) आयु सीमा की छूटें **परिशिष्ट-1**

(2) आवेदन-पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**

सचिव

परिशिष्ट-1

(एक) **मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट**

(1) **मध्यप्रदेश शासन,** सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 04 जुलाई, 2019 अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित)/दिव्यांगजन आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा **उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।**

(2) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है 'मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985" के नियम 2 (ग) में यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) **प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटें**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- (1) **परिशिष्ट-1 (दो)** के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(तीन) **मध्यप्रदेश के चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके संविदा के आधार पर विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु**

1. सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त अनुदेशों के अनुसार मध्यप्रदेश के चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके संविदा के आधार पर विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों को जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष की संविदा सेवा की है, उनके द्वारा समकक्ष अथवा उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर जितने वर्ष की सेवा की गई है, उतने वर्ष की छूट अधिकतम आयु सीमा में दी जाएगी किन्तु उक्त छूट को सम्मिलित करते हुए उनकी आयु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. उक्त छूट हेतु अभ्यर्थी को उसकी संविदा सेवा की अवधि के प्रमाणन हेतु विहित अधिकारी द्वारा अनुभव प्रमाण-पत्र आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अभिलेखों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक होगा (दिनांक से दिनांक तक प्रारूप में)। अपेक्षित प्रमाण-पत्र/पत्रों के अभाव में अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र निरस्त किया जाएगा।

नोट :- (01) उपरोक्त **परिशिष्ट-1** (एक) (1 से 2), (दो) (1 एवं 2) तथा (तीन) में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूटें देय होंगी किन्तु समस्त छूटों को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। **(मध्यप्रदेश के चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके संविदा चुके विशेषज्ञ अभ्यर्थियों को देय छूट को छोड़कर)**

(चार) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होंगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट-2

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-
   1. उपरोक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे
      1. **www.mponline.gov.in**
      2. **mppsc.mp.gov.in**
   2. आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें तथा आवेदन-पत्र की भलीभांति जांचकर सुनिश्चित कर लें कि भुगतान हो चुका है। **mponline** के अधिकृत कियोस्कों की सूची **www.mponline.gov.in** तथा **mppsc.mp.gov.in** पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
   3. आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
   4. आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय अपलोड करना होगा। **mponline** के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

      फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-
      1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
      2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
      3. यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हों।
      4. टोपी, हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य है किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
      5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
      6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।
   5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध अनुदेशों तथा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर तदनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरें।
   6. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह माना जाएगा कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है, वही प्रमाणिक जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र submit करें।
   7. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी, जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

      अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।
   8. **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 22.08.2022 से 18.09.2022 तक प्रति त्रुटिसुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटिसुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रु. 1000 तथा अन्य श्रेणी हेतु रु. 2000 निर्धारित है अतः छूट वाली श्रेणियों के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा गैर छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रु. 1000 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु गैर छूट श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

      ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गई श्रेणी/वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/दिव्यांगता आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

(शेष पृष्ठ 23 पर)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसार हो विश्वविद्यालयों का स्वरूप

भोपाल, विश्वविद्यालय भावी पीढ़ी निर्माण के केंद्र हैं। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्थाएं और प्रबंधन विद्यार्थी हितकारी होना अनिवार्य है। इस सीमा से परे किए जाने वाले कार्यों पर कड़ा अंकुश रहे। ऐसी किसी चेष्टा पर तत्काल कड़े प्रतिबंधात्मक उपाय किए जाएं। ये बातें राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने भोपाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंशा अनुरूप बहु-विषयी विश्वविद्यालय, सामुदायिक जुड़ाव, सामुदायिक सेवा, व्यावसायिक शिक्षा, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं के लिए गठित अनुशंसा समिति के सदस्यों से चर्चा करते हुये कहीं।

श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से वैश्विक प्रतिस्पर्धा और 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम पीढ़ी के निर्माण का अवसर दिया है। यह अनिवार्य है कि विश्वविद्यालय का स्वरूप नीति के अनुरूप विद्यार्थी उन्मुख हो। इसी भाव और भावनाओं के साथ शैक्षणिक गुणवत्ता और वित्तीय प्रबंधन किया जाए। विश्वविद्यालयों का स्वरूप नीति के साथ एकीकृत हो। विश्वविद्यालयों की नीतियों और प्रावधानों में एकरूपता हो। राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री डी.पी. आहूजा, समिति के सदस्य कुलपति बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के प्रो. आर.जे. राव, कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर श्रीमती रेणु जैन, कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन श्री ए.के. पांडे और कुलपति राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल श्री सुनील कुमार मौजूद थे।

शासकीय उचित मूल्य दुकानों से अन्य सामग्री भी मिलेगी

भोपाल, शासकीय उचित मूल्य दुकानों को बहुउद्देशीय दुकानों में बदला जायेगा। शासकीय उचित मूल्य दुकानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण के साथ अन्य खाद्य वस्तुएं और सेवाओं को भी विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाया जाएगा। नई व्यवस्था में शासकीय दुकानों के संचालन के संबंध में सहकारिता एवं खाद्य विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

निर्देश में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को दैनंदिन उपयोग की सामग्री दुकान से विक्रय करने की व्यवस्था के लिए कहा गया है। निर्देशों में अपेक्षा की गई है कि नई व्यवस्था से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानें आकर्षक, स्वावलंबी और लाभदायक बनेंगी। शासकीय उचित मूल्य दुकान को बहुद्देशीय बनाये जाने के संबंध में वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए आवश्यक अनुज्ञप्तियाँ जैसे पैन नम्बर, टैन नंबर, जीएसटी और गुमाश्ता पंजीयन आदि अर्हताओं को प्राप्त करने का दायित्व संबंधित उचित मूल्य दुकान के विक्रेता/प्रबंधक का व्यक्तिगत होगा। वस्तु की गुणवत्ता के लिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पालन करना होगा। जो सामग्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित होती है, उसकी वस्तुएं बहुद्देशीय उपभोक्ता सेवा केंद्र पर नहीं रखी जायेंगी। वस्तुओं का विक्रय उसी दर पर करना होगा, जो आपूर्तिकर्ता कम्पनी एवं विक्रेता के मध्य निर्धारित हो।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पात्र परिवारों को राशन सामग्री वितरण के साथ उचित मूल्य दुकानों से अन्य सामग्री प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। हितग्राही द्वारा स्वेच्छा से अन्य सामग्री प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी। केंद्र के संचालन के लिए विक्रेता और पैक्स के बीच पहले 2 वर्ष के लिये अनुबंध होगा, जिसे दोनों पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा। अनुबंध अवधि में यदि विक्रेता केंद्र का संचालन बंद करना चाहे तो वह पैक्स को 03 माह की अग्रिम सूचना देकर केंद्र का संचालन बंद कर सकेगा।

सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ समय पर मिले

छात्रवृत्ति प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए पोर्टल की एकरूपता जरूरी

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रक्रिया के सरलीकरण एवं पोर्टल की एकरूपता संबंधी बैठक को संबोधित करते हुये।

भोपाल, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ समय-सीमा में दिया जाए। इसके लिए पर्याप्त बजट की उपलब्धता भी सुनिश्चित करें। ये निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रक्रिया के सरलीकरण एवं पोर्टल की एकरूपता संबंधी बैठक के दौरान दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्र 2022-23 की छात्रवृत्ति अक्टूबर माह तक दी जाये। साथ ही पिछले तीन सत्रों की शेष छात्रवृत्ति का भुगतान शीघ्रता से करें। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 590 करोड़ रुपये, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 348 करोड़ रुपये एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 750 करोड़ रुपये की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाना है। इसमें भारत सरकार एवं राज्य शासन की योजनाओं की राशि शामिल है।

श्री चौहान ने कहा कि छात्रवृत्ति प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा न हो एवं पारदर्शिता बनाये रखने के लिए पोर्टल की एकरूपता जरूरी है। सभी वर्गों की छात्रवृत्ति के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर आयु सीमा 30 वर्ष की जाना है। पीएच.डी. स्तर की छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अधिकतम आयु 35 वर्ष, दो पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 02 वर्ष तक के अंतर को मान्य किया जाएगा। एक माता-पिता के सभी पात्र बच्चे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण कर लिया जाये। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में एकीकृत काउंसलिंग से प्रवेश दिया जाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षण-सत्र 2022-23 की छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए निर्धारित शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन की प्राथमिकता है कि विद्यार्थियों को पूरी तरह सहयोग किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि छात्रवृत्ति की दरों का युक्तियुक्तकरण किया जाये। छात्रों की बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए भी आवश्यक तैयारी करें।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2021-22 से जनजातीय कार्य विभाग के समान ही अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सभी आवेदन, उनकी स्वीकृति तथा भुगतान की प्रक्रिया MPTAAS पोर्टल से की जा रही है। छात्रवृत्ति केवल पाठ्यक्रम अवधि तक के लिए ही मान्य होगी।

बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

युवाओं को राजनीति में मिलना चाहिये अधिक से अधिक अवसर

भोपाल में आयोजित यूथ महापंचायत में युवाओं को प्रमाण-पत्र वितरित करते हुये मंत्रिपरिषद के सदस्य।

भोपाल, युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी से ही लोकतंत्र सशक्त होगा। भारत में एक पार्लियामैन्टिरियन की औसत आयु 50 वर्ष है, जबकि विश्व के अन्य बड़े लोकतंत्रों में यह औसत काफी कम है। हमारे देश में युवाओं को राजनीति में अधिक से अधिक मौका मिलना चाहिए। लोकतंत्र में केवल वोट देने मात्र से हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, अपितु युवाओं को आगे आकर चुनाव लड़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद, शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। युवा बड़ा सोचें, सोचें कि भारत को विश्व में नंबर एक कैसे बनाएं। ये विचार राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत के दौरान विभिन्न सत्र में विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने व्यक्त किये।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में खेल की वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध हैं, इनका पूरा लाभ युवा लें। मध्यप्रदेश भारत का अग्रणी राज्य है। यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं।

'यूथ फॉर सोशल कॉज' सत्र के प्रमुख वक्ता श्री सौरभ द्विवेदी ने कहा कि युवा अपने लिये ऊँचे लक्ष्य निर्धारित कर पूरा करें। खुद से 4 सवाल पूछें- आपको क्या करने में मजा आता है? क्या काम करने में अच्छे हैं? कौन सा काम है जो पैसे भी दिलवा सकता है? और दुनिया को किस चीज की जरूरत है? चारों का जवाब एक है, तो आपको उत्तर मिल गया।

श्री द्विवेदी ने कहा कि माता-पिता कभी आउटडेटेड नहीं होते। नाते, रिश्तेदार, पड़ोसी आदि लगातार तुलना करते रहेंगे, सुझाव देते रहेंगे। प्रेशर में मत आइये, मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहिये। धर्म, जाति और लिंग की संकीर्णता में मत फंसिये।

दक्षिण भारतीय अभिनेत्री और हाथकरघा की सशक्त प्रचारक, शांतिदूत सुश्री पूनम कौर ने कहा कि शांति और क्रांति दोनों लाना चाहिए। फैशन उद्योग ने प्रदूषित किया है। यह देश शांति का प्रतीक है, चरखे ने खून की नदियां बहने से रुकवा दीं। मेरा सपना खादी और हाथकरघा को पुनः ऊंचाइयों पर पहुंचाना है।

आरुषि संस्था के सचिव श्री अनिल मुद्गल ने बताया कि दृष्टिहीन श्री रोहित द्विवेदी, जो वर्तमान में भोपाल में प्रोफेसर हैं, को छात्र जीवन में रीडर की आवश्यकता थी, जो उनके लिए लेक्चर बोल कर कैसेट में रिकॉर्ड कर सके और वे उन्हें सुन कर परीक्षा दे सकें। यह काम आज सभी दिव्यांगों के लिये आरुषि संस्था के रूप में साकार हो चुका है, जिसमें श्री गुलजार का अप्रतिम सहयोग मिल रहा है। सत्र के समापन पर युवाओं ने वक्ताओं से सवाल भी पूछे। मुरैना के श्री चन्द्रशेखर उपाध्याय ने पूछा कि-सोशल मीडिया पर शिक्षा कैसे प्राप्त हो सकती है? श्री सौरभ द्विवेदी ने कहा कि नानी-दादी की प्रेरणादायक कहानियाँ और बुजुर्गों के अनुभव शेयर करें।

उद्योगों को इंटरनेशनल मार्केट के लिए करना है तैयार

देवास, मध्यप्रदेश का एक्सपोर्ट हब देवास जिले को बनाने के लिए देवास जिले में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने तथा जिले से बांस, इंजीनियरिंग और फार्मा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए उद्यमियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी।

कार्यशाला में सचिव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम श्री पी. नरहरि ने कहा कि मध्यप्रदेश में एक्सपोर्ट के लिए काम किया जा रहा है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। यूक्रेन-रूस युद्ध में मध्यप्रदेश ने यूरोप में गेहूं का एक्सपोर्ट किया, जिससे किसानों को फायदा हुआ। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। प्रदेश में पर्याप्त रॉ मटेरियल है, टैलेंट है, जिनका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे प्रदेश का और विकास होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एक्सपोर्ट एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट के लिए तैयार करना है। एक जिला-एक उत्पाद के अंतर्गत जिलों से अलग-अलग उत्पादों का चयन किया गया है। इन उत्पादों को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाएगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी इंटरनेशनल स्तर की बनाई जा रही है। कार्यशाला में मंथन से आये सुझाव पर कार्य किया जायेगा।

कार्यशाला में उद्योगपतियों ने प्रजेंटेशन दिया और अपने-अपने अनुभव साझा किये। आर्टिशन एग्रोटेक के देवोपम मुखर्जी ने कहा कि देवास को प्रदेश में बांस की कैपिटल बनाना है। यहां सर्वाधिक डेन्सिटी वाला कटंग बांस होता है। उन्होंने बताया कि बांस की फसल से किसानों को तो लाभ होता है साथ ही पर्यावरण को भी लाभ होता है।

कार्यशाला में एमएसएमई द्वारा किए जा रहे कार्यों और विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई।

आयुष सुविधा का लाभ ले रहे हैं नागरिक

भोपाल, आयुष विभाग द्वारा जन-सामान्य को घर बैठे चिकित्सा सुविधा देने के मकसद से आयुष क्योर टेली-मेडिसिन एप विकसित किया गया है। एप से घर बैठे निःशुल्क लाइव वीडियो कॉल पर आयुष चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श लेने की सुविधा विकसित की गई है। योजना में आयुष की 3 विधा-आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस एप को अब तक 50 हजार से अधिक नागरिकों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। विभाग ने इस योजना को वैद्य आपके द्वार योजना का नाम दिया है। आयुष क्योर एप को राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिये 'स्कॉच अवॉर्ड' भी प्रदान किया जा चुका है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

मानव तस्करी रोकने चलाएं प्रभावी अभियान - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुये।

भोपाल, मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए सरकारी अमले के साथ सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता आवश्यक है। अनेक आपराधिक तत्व इस संगठित अपराध में लिप्त रहते हैं। ऐसे तत्वों की धरपकड़ के साथ नागरिकों को भी इस दिशा में सजग और सावधान बनाने के लिए प्रभावी तरीके से अभियान संचालित किया जाएं। बेटियों को छेड़छाड़ और अन्य गंभीर घटनाओं से बचाकर उनकी समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने, बच्चों को नशे से बचाने और बंधक श्रमिक व्यापार और कुप्रथा रोकने के लिए अभियान पूरी ताकत से चलाया जाए। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में गृह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में चर्चा करते हुये कहीं।

बैठक मानव दुर्व्यापार निषेध जागरूकता सप्ताह के संबंध में विचार-विमर्श के लिए बुलाई गई थी। बैठक के निर्णय अनुसार प्रदेश में आगामी माह में व्यापक और वृहद स्तर पर मानव दुर्व्यापार (ह्यूमन ट्रैफिकिंग) निषेध संबंधी जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अभियान की तिथियों का निर्धारण शीघ्र किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वैच्छिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने से कोई भी अभियान सफल हो जाता है। इस नाते मानव दुर्व्यापार निषेध जनजागरूकता अभियान का स्वरूप जनप्रतिनिधियों की भूमिका के निर्धारण के साथ तय किया जाए। मानव दुर्व्यापार निषेध के जन-जागरूकता अभियान की सार्थकता तभी होगी जब इससे आमजन को भी जोड़ा जाए। श्री चौहान ने कहा कि बच्चों और बेटियों के पक्ष में विभिन्न कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इसके बावजूद देखा जाता है कि बेटियों के विरुद्ध छेड़छाड़ से लेकर अपहरण की घटनाएं घटित होती हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों को नशे की लत लगाना, उनसे भिक्षावृत्ति करवाना या श्रमिकों को बंधक बनाकर उनका शारीरिक, आर्थिक शोषण न सिर्फ भारत, बल्कि विश्व के लिए भी चिंता का विषय बने हुए हैं।

मध्यप्रदेश में हुईं हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस

श्री चौहान ने कहा कि इंदौर में आश्रय स्थल की व्यवस्था कर पीड़ित बच्चों और महिलाओं के लिए जनसहयोग से अच्छा कार्य हुआ है। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए संगठन कार्य कर रहे हैं। जागरूकता अभियान के दौरान इस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के अनुभव सामान्य जन तक पहुँचाने का कार्य किया जाए। पुनर्वास के प्रभावों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के भी कई उदाहरण हैं। इस क्षेत्र में कार्यरत समाज-सेवियों को भी प्रोत्साहित किया जाए।

संयुक्त राष्ट्र की भी है प्राथमिकता

बैठक में जानकारी दी गई कि विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया जाता है। मानव तस्करी की कुप्रथा की समाप्ति के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने मानव तस्करी को परिभाषित करते हुए किसी व्यक्ति को डरा कर, बल प्रयोग द्वारा दोषपूर्ण तरीके से परिवहन करने या शरण में रखने की गतिविधि को तस्करी की श्रेणी में रखा है।

मध्यप्रदेश के गृह विभाग ने मानव दुर्व्यापार निषेध के जनजागरूकता सप्ताह अगस्त माह में संचालन के लिए प्रारंभिक रूप रेखा तैयार की है। इसमें लघु फिल्म निर्माण, पोस्टर निर्माण, दीवार लेखन, गोष्ठियों के आयोजन और सोशल मीडिया से आमजन को बाल श्रम, बंधक श्रमिक कुप्रथा और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को नियंत्रित करने के बारे में जागरूक किया जाएगा।

नशामुक्ति अभियान

राज्य और जिला श्रेणी में पुरस्कार के लिए मध्यप्रदेश का चयन

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार द्वारा नशामुक्ति के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य के रूप में चुने जाने पर प्रदेश की जनता को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से हाल ही में करवाई गई ग्रेडिंग में एन.एम.बी.ए. (नशा मुक्त भारत अभियान) राज्य श्रेणी पुरस्कार में मध्यप्रदेश के चयन और जिला श्रेणी पुरस्कार में दतिया के श्रेष्ठ प्रदर्शन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस क्षेत्र में जन-जागृति के प्रयास बढ़ाए जाएंगे।

श्री चौहान ने कहा कि नशा नाश की जड़ है। नशा मनुष्य को बर्बाद करता है। हमें मध्यप्रदेश को नशामुक्ति की ओर ले जाना है। केंद्र शासन द्वारा प्रशंसित किए जाने के बाद राज्य सरकार जनजागरण बढ़ाने और शराब नीति में आवश्यक संशोधन के प्रयास करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की अपेक्षा के अनुसार समाज के विभिन्न वर्गों, समाजसेवियों आदि से चर्चा कर युक्तिसंगत नीति लागू की जाएगी। सुश्री उमा भारती सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रयास करती रहती हैं, उनसे भी बातचीत कर प्राप्त सुझावों के अनुरूप आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से कैसे दूर रखा जाए, इसके लिए सरकार और समाज मिलकर कार्य करें यह आवश्यक है। शराब और अन्य नशे युवाओं को खोखला न करें। इसके लिए विभिन्न उपाय किए जाएंगे।

इस साल लक्ष्य से 110 प्रतिशत ज्यादा तेंदूपत्ता संग्रहण

तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे हैं पैंतीस लाख संग्राहक

भोपाल, मध्यप्रदेश में इस साल लक्ष्य के विरुद्ध 110 प्रतिशत ज्यादा तेंदूपत्ता संग्रहण किया गया है। लक्ष्य 16 लाख 29 हजार मानक बोरा था, जिसके विरुद्ध 18 लाख 2 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया। वर्ष 2021 में 16 लाख 60 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हुआ था।

इस उपलब्धि पर वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने संग्राहकों, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के सदस्यों और तेंदूपत्ता संग्रहण एवं प्रबंधन से जुड़े अमले को बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण जनजातीय बहुल क्षेत्रों में आजीविका का बड़ा स्रोत है।

प्रदेश में राज्य लघु वनोपज संघ 80 जिला यूनियन और 1071 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों से तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य कर रहा है। इससे 35 लाख संग्राहक जुड़े हैं। इनमें से 50 प्रतिशत संग्राहक अनुसूचित जनजाति परिवारों के हैं और 40 प्रतिशत संग्राहक महिलाएं हैं।

540 करोड़ रुपये की राशि का पारिश्रमिक संग्राहकों के खातों में होगा अंतरित

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री पुष्कर सिंह ने जानकारी दी है कि वन समितियों और तेन्दूपत्ता संग्राहकों के गत 22 अप्रैल को हुए सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने तेन्दूपत्ता संग्रहण दर में 500 रुपये की बढ़ोत्तरी किए जाने की घोषणा की थी, जिसके फलस्वरूप 3 हजार रुपये प्रति मानक बोरा दर निर्धारित कर दी गई है। इस वृद्धि से संग्राहकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि हुई है।

इस वर्ष तेन्दूपत्ता संग्राहकों को लगभग 540 करोड़ रुपये की राशि पारिश्रमिक के रूप में सीधे उनके खाते में वितरित कराना प्रारंभ हो गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण से वर्ष 2020 में 600 करोड़ और वर्ष 2021 में 843 करोड़ रुपये का विक्रय मूल्य प्राप्त किया गया।

मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड को 'बेस्ट एम्प्लायर ब्रांड अवॉर्ड'

भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल को 'बेस्ट एम्प्लायर ब्रांड अवॉर्ड 2022' से पुरस्कृत किया गया है। स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री एवं अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड श्री इंदर सिंह परमार को राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड के निदेशक श्री प्रभातराज तिवारी ने सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर उपलब्धि से अवगत कराया। राज्यमंत्री श्री परमार ने उपलब्धि पर बधाई दी और इसी तरह नवाचार करने के लिए प्रेरित किया।

निदेशक श्री तिवारी ने बताया कि वर्ल्ड एच.आर.डी. कांग्रेस के डायरेक्टर डॉ. आर.एल. भाटिया द्वारा यह अवॉर्ड इंदौर के मेरियट होटल में दिया गया है। ऐसे संगठन, जो अपनी आकर्षक रणनीतियों के माध्यम से अपने क्षेत्र के बेस्ट टैलेन्ट एवं आइकॉन हैं और जिनके विजन से संस्थान आगे बढ़ता है, उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड को ज्यूरी द्वारा चुना गया है। इस बोर्ड ने पिछले वर्षों में नई योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन, पारदर्शी प्रशासन एवं हितग्राही सेवाओं में सबसे उच्च स्थान बनाया है।

मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड ने विगत समय में किये गये नवाचारों से काफी प्रसिद्धि पायी है। शिक्षा बोर्ड को वर्ष 2018 में निगम, मंडलों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कार्यालय का अवॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान द्वारा दिया गया था। शिक्षा बोर्ड को वर्ष 2022 में ISO प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो चुका है।

राज्य और जिला उपभोक्ता आयोग कार्यालय में लगेंगी लोक अदालतें

भोपाल, राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये 17 सितम्बर को लोक अदालतों का आयोजन होगा।

अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता आयोग न्यायमूर्ति शांतनु एस. केमकर ने बताया कि राज्य उपभोक्ता आयोग में विचाराधीन प्रकरणों के संबंध में लोक अदालत की कार्यवाही राज्य आयोग के भोपाल कार्यालय तथा जिला उपभोक्ता आयोगों में विचाराधीन प्रकरणों के संबंध में लोक अदालत की कार्यवाही संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग के जिला कार्यालय में संचालित की जायेगी। लोक अदालत प्रकरणों के निराकरण हेतु इच्छुक पक्षकार एवं अधिवक्ता से प्री सिटिंग की कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में जिला उपभोक्ता आयोगों को निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं।

भोपाल में होगा वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवॉर्ड्स

पर्यटन एवं संस्कृति प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवॉर्ड्स की जानकारी देते हुये।

भोपाल, प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया है कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इंडिया अवॉर्ड्स की मेजबानी भोपाल करेगा। साथ ही मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा ADTOI-MP चैप्टर एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के सहयोग से रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी की जाएगी।

श्री शुक्ला ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और अवॉर्ड्स की मेजबानी पाना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि 30 अगस्त से शुरू होने वाले कार्यक्रम 10 सितम्बर तक चलेंगे। यूके, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों वाली एक आईसीआरटी टीम मध्यप्रदेश के विभिन्न गंतव्यों का दौरा करेगी। टीम का नेतृत्व आईसीआरटी के संस्थापक निदेशक और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप के प्रबंध निदेशक डॉ. हेरोल्ड गुडविन करेंगे। टीम प्रदेश के समृद्ध विरासत स्थलों और ग्रामीण पर्यटन के विकसित गांवों का अवलोकन करेगी।

इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म (ICRT) ऐसे प्रबुद्धजनों का एक नेटवर्क है, जो केपटाउन घोषणा का समर्थन करते हैं। इसमें कई सहयोगी संगठन और संबद्ध केंद्र हैं। इसकी स्थापना 2002 में हेरोल्ड गुडविन द्वारा पर्यटन गंतव्यों में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और 2002 के केपटाउन घोषणा के परिणामस्वरूप की गई थी। आईसीआरटी नेटवर्क के सदस्य रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की अवधारणा को विकसित करने और बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म द्वारा वर्ष 2004 से वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवॉर्ड की शुरुआत की गई।

वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवॉर्ड 10 विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है। वर्तमान तक यह अवॉर्ड लंदन में डब्ल्यू.टी.एम. के कार्यक्रम में होता था। पहली बार भारत एवं सब कॉन्टिनेंट का अवॉर्ड लंदन से बाहर भोपाल में होने जा रहा है। इस अवॉर्ड में भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, भूटान, मलेशिया एवं नेपाल आदि देश हिस्सा लेंगे।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

मेरी गिरदावरी-मेरा अधिकार

अब किसान खुद करेंगे अपनी फसल की गिरदावरी - मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश और आत्मनिर्भर किसान के मंत्र पर राज्य सरकार ने एक और किसान हितैषी निर्णय लिया है। 'मेरी गिरदावरी-मेरा अधिकार' में अब किसान निश्चिंत होकर अपनी फसल की जानकारी MPKISAN App के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। इस जानकारी का उपयोग फसल हानि, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, भावांतर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण में किया जायेगा। किसान अपनी फसल की जानकारी एक अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक दर्ज करा सकते हैं। किसान की इस जानकारी का आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एवं पटवारी से सत्यापन होगा।

एमपीकिसान एप

मेरी गिरदावरी-मेरा अधिकार में किसान को यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है कि वे अपने खेत से ही स्वयं फसल की जानकारी एमपीकिसान एप पर दर्ज कर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। किसान एप पर लॉगिन कर फसल स्व-घोषणा, दावा आपत्ति ऑप्शन पर क्लिक कर अपने खेत को जोड़ सकते हैं। खाता जोड़ने के लिये प्लस ऑप्शन पर क्लिक कर जिला/तहसील/ग्राम/खसरा आदि का चयन कर एक या अधिक खातों को जोड़ा जा सकता है। खाता जोड़ने के बाद खाते के समस्त खसरा की जानकारी एप में उपलब्ध होगी। उपलब्ध खसरा की जानकारी में से किसी भी खसरे पर क्लिक करने पर एआई के माध्यम से जानकारी उपलब्ध होगी। किसान के सहमत होने पर एक क्लिक से फसल की जानकारी को दर्ज किया जा सकेगा। संभावित फसल की जानकारी से असहमत होने पर खेत में बोयी गई फसल की जानकारी खेत में उपस्थित होकर लाइव फोटो के साथ दर्ज की जा सकती है।

बीएड एवं डीएलएड विद्यार्थियों को मिलेगा सांकेतिक भाषा का प्रारंभिक ज्ञान

भोपाल, मध्यप्रदेश में बीएड एवं डीएलएड के विद्यार्थियों को ब्रेल एवं सांकेतिक भाषा के प्रारंभिक ज्ञान की जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाएगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में कम से कम 10 हजार शिक्षकों को प्रारंभिक ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह बात संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस. ने आईकफ आश्रम भोपाल में प्रदेश के समस्त जिलों से आए शिक्षक और मोबाइल स्रोत सलाहकार के ब्रेल लिपि तथा सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य शिक्षा केंद्र के सभी अधिकारियों को भी ब्रेल लिपि एवं सांकेतिक भाषा के प्रारंभिक ज्ञान का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।

श्री धनराजू ने प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को अन्य 5 शिक्षक साथियों और 5 बच्चों को ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा का ज्ञान देने का लक्ष्य दिया। प्रशिक्षणार्थियों ने बताया कि उन्होंने इस प्रकार का प्रशिक्षण कभी नहीं लिया है। यह प्रशिक्षण अद्भुत है। प्रशिक्षण के माध्यम से वह दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल लिपि से पढ़ाने में अपने आपको सक्षम महसूस कर रहे हैं। श्रवण बाधित बच्चों की भारतीय सांकेतिक भाषा समझ कर इन बच्चों को भी पढ़ाने की योग्यता रख पा रहे हैं। सत्र में ब्रेल लिपि के अनेक टीएलएम का प्रदर्शन किया गया। प्रशिक्षणार्थियों ने सांकेतिक भाषा के नाटकों का प्रदर्शन भी किया।

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में कमी न रहे - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में कायाकल्प अवॉर्ड और सेहत कार्यक्रम के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुये।

भोपाल, मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं दवाओं की उपलब्धता में कोई कमी नहीं छोड़ी जाए। अस्पतालों में जनता को बेहतर सुविधाएं मिलें और अस्पताल पेशेंट फ्रेंडली हों। व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन लाने की भरपूर कोशिश की जाए। अस्पतालों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। शासकीय चिकित्सालयों का स्तर निजी अस्पतालों से बेहतर बनाने के भी प्रयास किए जाएं। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कायाकल्प अवॉर्ड एवं मिशन सेहत कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुये कहीं। उन्होंने मिशन सेहत में जनसहयोग लेने पर भी बल दिया। बैठक में 8 अगस्त को इस संबंध में कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान सहित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम की तैयारियों में कोई कमी नहीं रहे। व्यापक प्रचार-प्रसार से जनता को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि उन्हें जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पतालों और प्रायमरी हेल्थ सेंटर में क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने अस्पतालों के अधोसंरचना विकास एवं भवनों के मरम्मत के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 48 जिला चिकित्सालयों में सीटी स्कैन की सुविधा मरीजों को उपलब्ध है। तीन अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन लगाई जाना प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर का उपचार जिला चिकित्सालयों के साथ ही सिविल अस्पतालों में भी होगा।

बैठक में मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी का समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक एवं सायं 5 बजे से 6 बजे तक करने की जानकारी दी गई। अस्पतालों में सहायता केंद्र की स्थापना करने पर विचार-विमर्श किया गया। बताया गया कि मिशन सेहत से जुड़े कार्यों के लिए 434 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित है। अधोसंरचना विकास एवं भवन रख-रखाव के लिए जिलावार टेंडर किए गए हैं। संस्था प्रभारी को भी राशि दी गई है। मरम्मत के कार्यों पर लगभग 146 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। रेडियोलॉजिकल जांच की सुविधाएं बढ़ाने के लिए 73 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इसी तरह पैथालॉजी जांच की सुविधाओं के लिए 119 करोड़ रुपये के उपकरण क्रय किए जाएंगे। फर्नीचर और पलंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 35 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। अस्पतालों के लिए 20 हजार नए पलंग खरीदे जाएंगे। चादर, गद्दों एवं लिनन मटेरियल पर 9 करोड़ रुपये खर्च होंगे। चिकित्सालयों में 530 तरह की जीवन रक्षक अत्यावश्यक दवाएं पहुंचाई जाएंगी। ब्लड बैंक एवं ब्लड स्टोरेज सुविधा के साथ डायलिसिस मशीनें भी बढ़ाई जाएंगी।

स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्यान्न उत्पादन करना ही वैज्ञानिक तकनीक का मुख्य लक्ष्य

भोपाल, किसी भी वैज्ञानिक तकनीक का मुख्य लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण और स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्यान्न उत्पादन होना चाहिये। यह बात किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में 'फसल सुधार के लिये जीन एडिटिंग' पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का हरदा से वर्चुअली शुभारंभ करते हुये कही। कार्यशाला में वैज्ञानिकों ने अपने विचार व्यक्त किये एवं जीन एडिटेड फसलों के विकास और विस्तार की संभावनाओं पर गहन चिंतन किया।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिये वैज्ञानिकों द्वारा फसलों की नवीन किस्मों को तैयार करने के लिए नवीन तकनीकों का विकास किया जा रहा है। फसल सुधार के लिये जीन एडिटिंग एक प्रभावशाली तकनीक है। इस तकनीक से फसलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ ही रासायनिक तत्वों के न्यूनतम उपयोग के साथ स्वास्थ्यवर्द्धक खाद्यान्न का उत्पादन किया जा सकता है। वैज्ञानिकों को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। श्री पटेल ने कहा कि जीन एडिटिंग से जलवायु परिवर्तन, फसलों में आमतौर पर होने वाली बीमारियों और कीट-प्रकोप पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने के प्रयास भी होने चाहिये। श्री पटेल ने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि इस कार्यशाला में किये गये चिंतन और मंथन से प्राप्त होने वाले निष्कर्षों का लाभ कृषि और किसानों को मिलेगा।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल फसल सुधार पर आयोजित एक कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित करते हुये।

'फसल सुधार के लिये जीन एडिटिंग' पर आयोजित कार्यशाला में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति प्रो. एस.के. राव, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति डॉ. एस.के. चतुर्वेदी, बॉयो टेक्नोलॉजी सेंटर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डायरेक्टर प्रो. शरद तिवारी, बॉयोटेक कंसोर्टियम इण्डिया लिमिटेड की चीफ जनरल मैनेजर डॉ. विभा आहूजा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बॉयो टेक्नोलॉजी के पूर्व संचालक डॉ. एन.के. सिंह, फेडरेशन ऑफ सीड इण्डस्ट्री ऑफ इण्डिया के डायरेक्टर जनरल श्री राम कौण्डिन्य सहित कई अन्य वैज्ञानिक और शोधार्थी मौजूद थे।

ऊर्जा साक्षरता अभियान से जुड़े दो लाख से अधिक लोग

भोपाल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने बताया है कि ऊर्जा साक्षरता अभियान में अब तक प्रदेश में 2 लाख 36 हजार से अधिक लोग अपना पंजीयन करा चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप भी गूगल-प्ले स्टोर से 'ऊषा' एप डाउनलोड कर या www.usha.mp.gov.in पर लॉगइन कर अभियान से जुड़ें। ऊर्जा साक्षर बन कर स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण में सक्रिय भागीदारी करें।

श्री डंग ने बताया कि अभियान के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 28 हजार से अधिक लोगों ने 'ऊषा' एप पर पंजीयन कराया है। ऊर्जा की व्यय-अपव्यय की जानकारी जन-सामान्य तक पहुंचाने के लिये ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रदेश में संचालित किया जा रहा है।

एजेंसी देना है

मध्यप्रदेश का सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला
साप्ताहिक समाचार पत्र

रोज़गार और निर्माण

प्रदेश में
खरगोन, बालाघाट, नरसिंहपुर,
छिन्दवाड़ा, बीना, धार
एवं अशोकनगर जिलों में
एजेंसी नियुक्त करना है।

एजेंसी संबंधित कार्य के लिए कार्यालीन समय में संपर्क करें
0755-2760006,
9424442725, 9424444174

प्रमुख आकर्षण
- कॅरियर की खबरें
- सम-सामयिक विषयों पर विशेषज्ञों की टिप्पणियां
- खेल जगत की उल्लेखनीय खबरें
- सप्ताह की प्रमुख घटनाएं
- मध्यप्रदेश सरकार के निर्णयों और योजनाओं की जानकारियां
- विज्ञान की बातें

मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नंबर : 0755-2551330, 0755-2760006
www.mpmadhyam.in
madhyam.rojgar@gmail.com

आज ही खरीदें
प्रमुख बुक-स्टॉलों पर उपलब्ध

नौरीन हसन

यूबीएस अमेरिका की अध्यक्ष बनीं

भारतीय मूल की नौरीन हसन को यूबीएस अमेरिका का अध्यक्ष और यूबीएस अमेरिका होल्डिंग का सीईओ नियुक्त किया गया है। हसन इसी वर्ष अक्टूबर में अपना पदभार ग्रहण करेंगी। इस समय वह फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में कार्यरत हैं। अपनी नयी भूमिका में वह टॉम नारटिल की जगह लेंगी। उल्लेखनीय है कि यूबीएस ग्रुप एजी स्विट्जरलैंड स्थित एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी है।

ग्रीनलैंड में

पिघल रही है बर्फ

आर्कटिक के ग्रीनलैंड में स्थित बर्फ जिसे आइस शीट कहा जाता है, पिघलकर पहाड़ों के रास्ते समुद्र में मिल रही है। इस क्षेत्र में अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य को 2 इंच पानी में डुबोने जितनी बर्फ पिघल गई है और समुद्र के जलस्तर को बढ़ा रही है।

एमर्फोफेलस टाइटेनम

दुनिया का सबसे बदबूदार फूल खिलने को तैयार

अमेरिका के ओहायो प्रांत के एक उद्यान में एमर्फोफेलस टाइटेनम फूल की प्रजाति का पौधा लगा है। उद्यान के अधिकारियों ने वनस्पतियों में रुचि रखने वालों को बताया है कि यह बदबूदार फूल खिलने को तैयार है। इसका खिलना इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी-कभी इसे खिलने में आठ से दस साल का समय लग जाता है। इस फूल से सड़े हुये मांस जैसी दुर्गंध आती है। इसके परागण के लिये मांस पर आकर्षित होने वाली मक्खियों की जरूरत होती है।

लम्पफिश

उम्र के साथ बदलती है रंग

वैज्ञानिकों ने नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में लम्पफिश खोजी है। इसका रंग उम्र के साथ बदलता है और यूवी लाइट में चमकता है। इस मछली का वास्तविक रंग फ्लोरेसेंट ग्रीन है। लम्पफिश अपने मोडिफाइड पेल्विक फिन के जरिये चट्टान या समुद्री शैवाल से चिपक कर रहती है।

मिस्र

चार हजार साल पुराने लक्सर शहर में फिर से सैलानियों की भरमार

मिस्र का 4 हजार साल पुराना ऐतिहासिक शहर लक्सर

इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। सैलानी पैरा ग्लाइडिंग से लेकर हॉट एयर बैलून राइड तक का लुत्फ उठा रहे हैं। एक दिन में 28 पर्यटकों को राजधानी काहिरा से 510 किलोमीटर के फासले पर स्थित लक्सर में हॉट एयर बैलून की राइड करायी जा रही है। सैलानी विश्व विरासत स्थल पर राइड के दौरान प्राचीन लक्सर टेंपल का आसमान से नजारा देख पाते हैं।

हॉन्गकॉन्ग में

दुनिया के सबसे उम्रदराज पांडा का निधन

दुनिया के सबसे उम्रदराज पांडा एन का हॉन्गकॉन्ग के प्राणी उद्यान में 35 साल की उम्र में निधन हो गया। पांडा की 35 साल की उम्र में मौत, इंसान की 105 साल की उम्र में मौत होने के बराबर है। एन और जिया जिया नाम के दो पांडा को चीन सरकार ने 1999 में हॉन्गकॉन्ग को तोहफे में दिया था। जिया जिया नाम के पांडा का 2016 में 38 साल की उम्र में निधन हो गया था। गौरतलब है कि सामान्यतः एक पांडा की उम्र 20 वर्ष होती है।

टॉम क्रूज

सबसे ज्यादा कमाई वाले हॉलीवुड अभिनेता बने

हॉलीवुड फिल्म 'टॉप गन : मैवरिक' के लिये 100 मिलियन डॉलर (करीब 8 अरब रुपये) से अधिक की कमाई करने के बाद टॉम क्रूज हॉलीवुड के सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेता बन गये हैं। विल स्मिथ आगामी फिल्म 'एमैन्सिपेशन' के लिये 35 मिलियन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद लियोनार्डो डिकेप्रियो और ब्रैड पिट हैं।

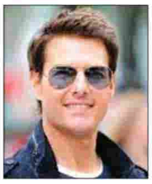

नासा ने

शेयर की प्लूटो की रंगीन तस्वीर

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इंस्टाग्राम हैंडल पर प्लूटो की अद्भुत इंद्रधनुषी तस्वीर शेयर की। गोल ग्रह जैसा प्लूटो हमारे सौर मंडल के सबसे बाहरी छोर पर मौजूद है। नासा ने पोस्ट में लिखा कि इंद्रधनुष कहां खत्म होता है। यह तस्वीर साढ़े 11 करोड़ किलोमीटर की दूरी से प्लूटो की जानकारी प्रदान कर रही है। तस्वीर 2006 में लॉन्च किये गये न्यू होराइजन्स स्पेस प्रोब ने क्लिक की है। नासा के अनुसार इस अंतरिक्ष यान ने गर्मियों में प्लूटो और उसके चंद्रमाओं का छह महीने तक फ्लाईबाई अध्ययन किया।

वैज्ञानिकों ने

एवरेस्ट से सौ गुना बड़ी चट्टान खोजी

वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के क्रस्ट और उसके कोर के बीच चट्टान की गर्म मोटी परत खोजी है। यह परत माउंट एवरेस्ट से 100 गुना बड़ी बताई जा रही है। यह परत पश्चिमी अफ्रीका और प्रशांत महासागर के नीचे पाई गई है। वैज्ञानिकों की टीम इसे 'थिया' के अवशेष मान रही है। थिया एक प्रोटोप्लैनेट था, जो 4.5 मिलियन साल पहले पृथ्वी से टकराया था।

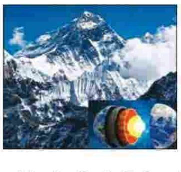

सैम बी जहाज

वर्ष 1944 में डूबे जहाज का मलबा मिला

अमेरिकी नौ सेना का जहाज सैम बी का मलबा फिलीपींस के समर द्वीप पर 22523 फीट की गहराई में मिला। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के साथ लड़ाई में 25 अक्टूबर 1944 को समंदर में डूब गया था। खास बात यह कि 78 साल बाद भी जहाज में मौजूद हथियार और गोला बारूद सुरक्षित हैं। इसे टेक्सास के एक अरबपति विक्टर वेस्कोवो ने खोजा है। उनके पास एक डीप-डाइविंग सबमर्सिबल है। इसकी सहायता से 17 और 24 जून के बीच 6 बार गोता लगाने के बाद यह जहाज खोज पाये। डूबते समय सैम बी में 224 लोग सवार थे जिसमें 89 लोगों की मौत हो गई थी।

प्रशांत महासागर में

पहली बार मिला रहस्यमयी सी पेन

प्रशांत महासागर के तल में शोधकर्ताओं को एक रहस्यमयी जीव सी पेन मिला है। एक्सप्लोरेशन व्हीकल नॉटिकल ने इसे खोजा है। इस जीव का नाम 'सोलुम्बेलुला सी पेन' है। इस जीव का शरीर कांटेदार है, जब इसे देखा गया तब इसकी पूंछ समुद्र तल से जुड़ी हुई थी। यह समुद्र तल की 2,994 मीटर की गहराई में मिला है। यह सीपेन सामान्यतः अटलांटिक और हिंद महासागर में पाया जाता है।

आईएनएस दूनागिरी

स्वदेशी पोत हुगली नदी में लॉन्च हुआ

रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में भारतीय नौसेना के स्वदेशी पोत आईएनएस दूनागिरी को हुगली नदी में लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि नौसेना में स्वदेशी ताकत बढ़ रही है। नौसेना 41 युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण कार्य कर रही है। इनमें से 39 देश में और 2 रूस में बन रहे हैं।

जियानलुका फोल्को

चलती कार का टायर बदलकर बनाया रिकॉर्ड

इटली के ड्राइवर मैनुअल जोल्डन के सहयोगी जियानलुका फोल्को ने 1 मिनट 17 सेकेंड में चलती कार का एक टायर बदलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। फोल्को जब टायर बदल रहे थे, तब मैनुअल गाड़ी को तिरछा कर दो पहियों पर चला रहे थे। इससे पहले यह रिकॉर्ड 1 मिनट 30 सेकेंड में पूरा किया गया था।

कैलिफोर्निया के

जंगल में लगी भीषण आग

अमेरिका के कैलिफोर्निया में योसेमिट नेशनल पार्क के समीप जंगल में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। 6 हजार लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचना पड़ा। 2 हजार घरों की बिजली खतरे को देखते हुये काटनी पड़ी। 48 वर्ग किलोमीटर में फैली आग को 400 से ज्यादा फायर फाइटर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।

चीन ने

अंतरिक्ष स्टेशन के लिये मॉड्यूल लॉन्च किया

चीन ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत वेनचांग स्पेस पोर्ट से दूसरा लैब मॉड्यूल ले जाने के लिये रॉकेट रवाना किया। अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिये कुल तीन मॉड्यूल भेजे जाने हैं। पिछले वर्ष अप्रैल में केंद्रीय माड्यूल लॉन्च किया गया था। लगभग 18 मीटर लंबे और 22 टन वजनी इस मॉड्यूल में वैज्ञानिक प्रयोग के लिये तीन स्लीपिंग एरिया और स्पेस हैं।

हुमैरा गरासिया

लंदन बरो ऑफ हैकनी की सबसे कम उम्र की स्पीकर बनीं

भारतीय मूल की 25 वर्षीय हुमैरा गरासिया लंदन बरो ऑफ हैकनी की सबसे कम उम्र की स्पीकर बनीं। हुमैरा का परिवार मूल रूप से गुजरात के बलसाड का रहने वाला है। 15 वर्ष की उम्र में हुमैरा सक्रिय राजनीति में आ गई थीं। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से राजनीति से बीए की पढ़ाई की है। गरासिया ब्रिटेन में भारतीय मूल की सबसे कम उम्र की स्पीकर/सिविक मेयर हैं।

नेपाल के

शानू शेरपा 14 सबसे ऊंची चोटियों को दूसरी बार फतह करने वाले पहले पर्वतारोही बने

नेपाल के शानू शेरपा दूसरी बार 8 हजार मीटर से अधिक ऊंचे 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों को फतह करने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गये हैं। वे गशेरब्रम के शीर्ष तक पहुंच गये थे। माउंट एवरेस्ट सहित 14 सबसे ऊंची चोटियों में से आठ नेपाल में हैं। छह पाकिस्तान और चीन से लगे तिब्बत क्षेत्र में हैं।

न्यूजीलैंड में

दुनिया का पहला एंटी टोबैको बिल पेश

न्यूजीलैंड संसद में सरकार ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया। इसमें तंबाकू से बने उत्पाद जैसे सिगरेट को खरीदने की उम्र, इन्हें कहां बेचा जायेगा, निकोटीन की मात्रा कितनी होगी, तंबाकू कंपनियों के नियम और स्मोक फ्री जनरेशन बनाने की बात कही गई। ये 2023 तक लागू हो सकता है। विपक्ष ने भी इस बिल का समर्थन किया है। सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री, आयशा वेराल्ल ने कहा, 'तंबाकू कंपनियों ने इस जानलेवा पदार्थ की लत लोगों को लगने दी ताकी बाजार बना रहे।'

पाकिस्तान में

मनीषा रुपेता बनी डीएसपी

पाकिस्तान में मनीषा रुपेता को डीएसपी के तौर पर नियुक्त किया गया है। सिंध लोक सेवा की परीक्षा पास करने और प्रशिक्षण हासिल करने के बाद उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि वह इस धारणा को बदलना चाहती थीं कि अच्छे परिवार की लड़कियां पुलिस स्टेशन नहीं जाती हैं। मनीषा ने डॉक्टर बनने की कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ 1 अंक कम होने से उन्हें MBBS में दाखिला नहीं मिला था।

स्मृति शेष

टेलीविजन धारावाहिकों के अभिनेता दीपेश भान का निधन

एफआईआर और भाभीजी घर पर हैं जैसे धारावाहिकों में चरित्र अभिनेता के रूप में पहचाने जाने वाले दीपेश भान का 41 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे दिल्ली के रहवासी थे और कई धारावाहिकों में अभिनय कर लोकप्रिय हुये थे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा और मे आई कम इन मैडम में भी उन्होंने अभिनय किया था।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

(पृष्ठ 18 का शेष)

9. **आवेदन-पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-**

(1) आयोग की वेबसाइट **http://mppsc.mp.gov.in** के **Download Formate** लिंक से अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक एवं उपस्थिति-पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात उक्त प्रपत्रों की क्रमशः तीन, छः तथा एक छायाप्रति करायें।

(2) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने तथा शुल्क भुगतान के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित भुगतान विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान हो चुका है। यह भी जांच कर लें कि समस्त प्रविष्टियां सही हैं (त्रुटि होने पर विहित अवधि में त्रुटि सुधार कर लें **(देखें बिन्दु-8)**। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा साथ ही अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक की एक एक प्रति संलग्न करें। (प्रपत्रों की शेष प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि उन्हें आपको साक्षात्कार के समय अपने मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा)

(3) एक बड़े लिफाफे पर निम्न विवरण अंकित कर उक्त सेट (आवेदन-पत्र तथा समस्त अभिलेख) इस बड़े लिफाफे में रखकर पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग को प्रेषित करें।

> **विज्ञापन क्रमांक 08/2022 दिनांक 29.07.2022**
> **निश्चेतना विशेषज्ञ, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद हेतु आवेदन-पत्र**
>
> प्रति,
> **सचिव**
> मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
> रेसीडेंसी एरिया
> **इंदौर** (मध्यप्रदेश) पिन - 452001
>
> **प्रेषक :**
> आवेदक का नाम
> तथा पता

(लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद/विभाग का नाम अंकित न होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा)

(4) ध्यान रखें अभिलेखों सहित उक्त आवेदन-पत्र दिनांक 28.09.2022 को सायंकाल 6:00 बजे तक आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जाएगा। आवेदन-पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय **(प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 6:00 बजे तक)** आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किए जाएंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। आवेदक आयोग को प्रेषित आवेदन-पत्र तथा अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें।

10. विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त किए जाएंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। **अतः आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र आयोग को प्रेषित करें।**

11. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2. **आवेदन शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	**शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु**
रु. 1000/-	रु. 2000/-
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त रु. 40/- (जीएसटी सहित) पोर्टल शुल्क देय होगा	
● परीक्षा की स्थिति में परीक्षा शुल्क का भुगतान पृथक से करना होगा	
● ***शुल्क वापसी*** :- अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शुल्क वापसी आवेदन प्राप्त कर आवेदन शुल्क की राशि वापस की जाएगी किन्तु पोर्टल शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।	

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो **mponline** से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं :-

हेल्पलाइन नं. 0755-6720200

नोट : **यदि आपको ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में कोई समस्या आती है, तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-**

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983

(2) एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड
(मध्यप्रदेश शासन तथा टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज का संयुक्त उपक्रम)
ऑफिस ब्लॉक OB-14 से 17, चतुर्थ तल, डी.बी. सिटी कार्पोरेट पार्क,
अरेरा हिल्स, ज़ोन-1 के सामने, एम.पी. नगर,
भोपाल-462011, हेल्पलाइन नं. 0755-6720200

3. **आवेदन की अंतिम तिथि**

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16.09.2022 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मैट्रीक्यूलेशन की अंक-सूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

रोज़गार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण-पत्र :- जिस श्रेणी के अभ्यर्थियों को जीवित रोज़गार पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, वे उपलब्ध होने पर संलग्न करें। उक्त प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ़-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधि।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। (दिनांक से दिनांक तक प्रारूप में)।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत हैं द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है। अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र संलग्न करना होगा :-

> **घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप**
>
> मैं ———— आयोग के विज्ञापन क्रमांक 08/2022 दिनांक 25.07.2022 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं
>
> 1. मैं ———— पुत्र/पुत्री श्री ———— निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/———जिला ——— मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/ करती हूं कि मैं ————जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
> 2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूं।
>
> दिनांक :- ————
> हस्ताक्षर : ————
> नाम : ————
> आवेदन-पत्र क्रमांक : ————

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्केन्ड प्रति ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थी नवीनतम EWS प्रमाण पत्र संलग्न करें।

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :- (परीक्षा संबंधी अनुदेश परीक्षा की स्थिति में)**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
02 प्रतिरूपण किया हो; या
03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या
06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्यत्र अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हो; या
10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,
11 परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु प्राप्त उत्तर-पुस्तिका परीक्षा के समाप्त होने पर परीक्षा कक्ष के वीक्षक / परीक्षक को न जमा करते हुए अपने साथ ले गया हो।

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहराया जा सकेगा
और/ या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं** :- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

8. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत नहीं हैं, मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का भुगतान आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। आवेदकों को इसके लिए वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबन्धित निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे :-

(01) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।

(02) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गई है तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम स्वयं के बैंक खाते का नम्बर एवं बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

आर-47339/2022

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति
आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

टैगोर छात्रावास क्रमांक-टी 2, प्रथम तल, श्यामला हिल्स, दूरदर्शन रोड, भोपाल-462002

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

(MOM, BCC, Film Tech. & TV Production)

प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश हेतु

(मध्यप्रदेश के शासकीय एवं स्वशासी पोलिटेक्निक संस्थान)

ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2022-23

प्रथम चरण
(सामान्य पूल एवं TFW की सीटों के लिए एक साथ संयुक्त रूप से आयोजित)

गतिविधियां	दिनांक/समय
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निरस्त	05/08/2022 से 16/08/2022 सायं 5:00 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, ऑनलाइन सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, जो केवल एक बार के लिये ही रहेगी।	17/08/2022 से 18/08/2022 सायं 5:00 बजे तक
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना **प्राथमिकताक्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी**	08/08/2022 से 20/08/2022 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	21/08/2022
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	26/08/2022 से 31/08/2022 सायं 5:00 बजे तक

द्वितीय चरण
(सामान्य पूल एवं TFW की सीटों के लिए एक साथ संयुक्त रूप से आयोजित)

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निरस्त	27/08/2022 से 04/09/2022 सायं 5:00 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, ऑनलाइन सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, जो केवल एक बार के लिये ही रहेगी।	05/09/2022 से 06/09/2022 सायं 5:00 बजे तक
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना **प्राथमिकताक्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी**	28/08/2022 से 08/09/2022 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	09/09/2022
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	14/09/2022 से 19/09/2022 सायं 5:00 बजे तक

संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC)

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये उपस्थित होना।
21/09/2022 से 27/09/2022 रात्रि 11:45 बजे तक	29/09/2022 से 30/09/2022 प्रातः 10:30 बजे
उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
03/10/2022 से 08/10/2022 रात्रि 11:45 बजे तक	10/10/2022 से 11/10/2022 प्रातः 10:30 बजे
उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
12/10/2022 से 15/10/2022 रात्रि 11:45 बजे तक	18/10/2022 प्रातः 10:30 बजे
उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
19/10/2022 से 25/10/2022 रात्रि 10:00 बजे तक	25/10/2022 प्रातः 10:30 बजे

- प्रवेश नियम, विस्तृत समय-सारणी, अभ्यर्थी के लिये महत्वपूर्ण निर्देश, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि वेबसाइट dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- संस्था स्तर की काउंसलिंग के लिये निर्धारित तिथि पर संस्था में प्रातः 10:30 से दोपहर 1:00 बजे तक उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार कर, तदुपरान्त मेरिट के अनुसार प्रवेश किये जायेंगे।
- काउंसलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आवंटन जारी होने तक प्रवेश निरस्तीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।

(कोविड-19 के कारण, सहायता केन्द्रों पर किसी भी अभ्यर्थी को जाने की आवश्यकता नहीं)

संपर्क : 0755-6720205, 2660441, ईमेल : dte.helpcenter@mp.gov.in

म.प्र. माध्यम/105651/47326/2022 **अध्यक्ष-काउंसलिंग समिति एवं आयुक्त तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग-मंदसौर

ई-मेल : eepwdmandsaur0@gmail.com, दूरभाष : 07422-255211

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 09/2022-23/एसएसी/ **मंदसौर, दिनांक : 26.07.2022**

निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर रिफरेन्स क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्रमांक	ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में)
1.	2022_PWDRB_212976_1	MDS	Plan	ग्राम हनुमंतिया (जावरा) से नगरी आक्या उमाहेड़ा (मंदसौर) मार्ग लंबाई 7.20 किमी मय विद्युत पोल शिफ्टिंग सहित ऊंचाई बढ़ाने का कार्य।	First	₹ 489.64
2.	2022_PWDRB_212977_1	MDS	Plan	अकोदड़ा से ताजखेड़ी मार्ग लंबाई 3.20 किमी का निर्माण कार्य मय विद्युत पोल शिफ्टिंग सहित ऊंचाई बढ़ाने का कार्य।	First	₹ 316.63
3.	2022_PWDRB_212978_1	MDS	Plan	भानपुरा मुख्य शहर मार्ग से गांधीसागर चौराहा से झालावाड़ (भानपुरा बायपास) मार्ग का शेष निर्माण कार्य।	First	₹ 481.04
					Total	**₹ 1,287.31**

उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (mptenders.gov.in) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। निविदा प्रपत्र क्रय करने एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक **10.08.2022** सायं **17:30** बजे निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधनों का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा। (EMD only RTGS/NEFT)

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग, मंदसौर

जी-14747/47299/2022

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, ग्वालियर संभाग क्र. 02, मकान नं. सी-31, कुलपति निवास के सामने, गोविन्दपुरी चौराहा, सचिन तेन्दुलकर रोड, सिटी सेंटर, ग्वालियर पिन-474011

निविदा आमंत्रण सूचना- 05, 6/2022-23

कार्यालय मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम संभाग, ग्वालियर क्र.-2 द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यों हेतु निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 05, 6/2022-23 के अन्तर्गत ऑनलाइन निविदा की कार्यवाही की गई है। जिसके ऑनलाइन निविदा क्र. MPPHC_212992_1 एवं MPPHC_212993_1 हैं। निविदा प्रपत्र **दिनांक 04.08.2022 तक** खरीदे जा सकते हैं। जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है।

म.प्र. माध्यम/105611/47320/2022

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अधीन)
खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

विज्ञप्ति

प्राधिकरण अंतर्गत मुख्यालय, जिले की इकाईयों एवं आरआरएनएमयू हेतु सहायक प्रबंधक पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर, चयन हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं।

पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र जमा करने की **अन्तिम दिनांक 30.08.2022** है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र के प्रारूप आदि प्राधिकरण वेबसाइट **mprrda.org/default.html** पर उपलब्ध है।

क्र. 10461 दिनांक 28.07.2022

म.प्र. माध्यम/105701/47321/2022 **मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)**

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अधीन)
खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

विज्ञप्ति

प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय तथा मुख्यालय/विभिन्न पीआईयू में निम्नानुसार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

मुख्य महाप्रबंधक (प्रतिनियुक्ति से)	-	04 पद
महाप्रबंधक (प्रतिनियुक्ति से)	-	15 पद

पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र जमा करने की **अन्तिम दिनांक 30.08.2022** है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट **mprrda.org/default.html** पर उपलब्ध है। प्राधिकरण द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति को एवं चयन की समस्त प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।

क्र. 10459 दिनांक 28.07.2022

म.प्र. माध्यम/105700/47322/2022 **मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)**

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryawas Bhawan, Bhopal M.P. – 462 011
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

NOTICE INVITING TENDER No. 1002

DEPOSIT WORK

No./10426/22/D-12/MPRRDA/2022 **Bhopal, Dated : 28.07.2022**

Online Tenders for Construction of Rural Roads/CDs with 5 years maintenance are invited on the E-Procurement System portal **https://www.mptenders.gov.in** as detailed below.

- **Name of work : Deposit Work (DW)**

S. No.	Name of District	No. of Package	Total PAC (In Rs.)
1.	Khandwa	1	86037000.00

1. Tender document can be purchased and submitted only online from the above website from **29.07.2022 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document for construction & maintenance of rural roads/Bridges Sept. 2017 on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)

M.P. Madhyam/105691/47323/2022

प्रोफेशनल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड

चयन भवन, मेन रोड नं.-1, चिनार पार्क (ईस्ट) भोपाल-462011
Phone : +91-755-2578801-04, Fax : +91-755-2550498
Website : www.peb.gov.in

समूह-1, उप समूह-1 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 एवं समूह-2 उप समूह-1 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 की परीक्षा तिथि में वृद्धि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचना

पी.ई.बी. द्वारा समूह-1, उप समूह-1 के अंतर्गत वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी एवं प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रक) के पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2022 एवं समूह-2 उप समूह-1 के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2022 का आयोजन दिनांक 06 एवं 07 अगस्त 2022 को प्रस्तावित किया गया था। अब उक्त परीक्षा तिथि में वृद्धि करते हुए **नवीन परीक्षा तिथि 12 एवं 13 अक्टूबर 2022** निर्धारित की जाती है।

परीक्षा की अन्य सभी शर्तें पूर्व अनुसार यथावत रहेंगी।

विज्ञापन क्रमांक 12/2022

म.प्र. माध्यम/105724/47338/2022 **संचालक**

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति
आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

टैगोर छात्रावास क्रमांक-टी 2, प्रथम तल, श्यामला हिल्स, दूरदर्शन रोड, भोपाल-462002

फार्म-डी (Pharm-D) (पूर्णकालिक 6 वर्ष),
एकीकृत एम.बी.ए. (IIMBA) (पूर्णकालिक 5 वर्ष),
एकीकृत एम.सी.ए. (IIMCA) (पूर्णकालिक 5 वर्ष),
बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टैक्नालॉजी (BHMCT) (पूर्णकालिक 4 वर्ष)

पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में अर्हकारी (हायर सेकेण्डरी स्कूल 12वीं) परीक्षा के आधार पर प्रवेश हेतु
(मध्यप्रदेश में स्थित निजी संस्थान)

ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2022-23

प्रथम चरण

गतिविधियां	दिनांक/समय
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Registration)	05/08/2022 से 20/08/2022 रात्रि 11:45 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, ऑनलाइन सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, जो केवल एक बार के लिये ही रहेगी।	21/08/2022 से 22/08/2022 सायं 5:00 बजे तक
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना **प्राथमिकताक्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी**	07/08/2022 से 24/08/2022 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	26/08/2022
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	30/08/2022 से 05/09/2022 सायं 5:00 बजे तक

द्वितीय चरण

गतिविधियां	दिनांक/समय
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Registration)	01/09/2022 से 11/09/2022 रात्रि 11:45 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration)	12/09/2022 से 13/09/2022
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना **प्राथमिकताक्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी**	03/09/2022 से 15/09/2022 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	16/09/2022
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	21/09/2022 से 25/09/2022 सायं 5:00 बजे तक

संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC)

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये उपस्थित होना।
03/10/2022 से 15/10/2022 रात्रि 11:45 बजे तक	18/10/2022 प्रातः 10:30 बजे

उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये

19/10/2022 से 25/10/2022 रात्रि 10:00 बजे तक	25/10/2022 प्रातः 10:30 बजे

- प्रवेश नियम, विस्तृत समय-सारणी, अभ्यर्थी के लिये महत्वपूर्ण निर्देश, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि वेबसाइट **dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- संस्था स्तर की काउंसलिंग के लिये निर्धारित तिथि पर संस्था में प्रातः 10:30 से दोपहर 1:00 बजे तक उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार कर, तदुपरान्त मेरिट के अनुसार प्रवेश किये जावेंगे।
- काउंसलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आवंटन जारी होने तक प्रवेश निरस्तीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।

(कोविड-19 के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिये, सहायता केन्द्रों पर किसी भी अभ्यर्थी को नहीं जाना है)

संपर्क : 0755-6720205, 2660441, ईमेल : dte.helpcenter@mp.gov.in

म.प्र. माध्यम/105652/47327/2022 **अध्यक्ष-काउंसलिंग समिति एवं आयुक्त तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश**

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Govt. of M.P., Panchayat & Rural Development Department)
Block- 2, Vth Floor, Paryawas Bhawan, Arera Hills, Jail Road, Bhopal-462011

RFP No.: 10124/WB/MPRRDA/ **Date : 25.07.2022**

SELECTION OF CAMPAIGN AGENTS (CAs) FOR IMPLEMENTING ROAD SAFETY AWARENESS CAMPAIGN IN MADHYA PRADESH UNDER COMMUNITY PARTICIPATORY ROAD SAFETY PROGRAM (CPRSP)

The Government of Madhya Pradesh (hereinafter called "Borrower") has received financing from the World Bank (the "Bank") in the form of a "loan" (hereinafter called "loan" toward the cost of Madhya Pradesh Rural Connectivity Project.

The Client now invites proposals for Selection of Campaign Agents (CAs) for Implementing Road Safety Awareness Campaign in following district of Madhya Pradesh under Community Participatory Road Safety Program (CPRSP) on e-procurement portal **https://mptenders.gov.in from 30.08.2022 after 11:00 Hrs.** in the following lots;

S. No.	District	Lot No.	Blocks included in the Lot	Contract Period
1	Dhar	1	Gandhwani, Manawar, Umarban & Dharampuri, Nalchha	6 Months
		2	Khuski, Nisarpur, Bagh & Dahi	6 Months
		3	Tirla, Dhar, Sardarpur & Badnawar	6 Months

The RFP may be viewed, downloaded and submitted up to **12.08.2022, 15:00 Hrs.** from the e-procurement portal.

M.P. Madhyam/105628/47325/2022 **CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)**

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र.-1 भदभदा रोड, भोपाल

क्र./957/तशा/प.यं./2022 दिनांक 26.07.2022

प्रेस विज्ञप्ति

इस कार्यालय द्वारा भोपाल जिले में विभिन्न निर्माण/मरम्मत/उन्नयन कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा क्रमांक (1) 2022_MPPHC 213366_1, (2) 2022_MPPHC 213367_1, (3) 2022_MPPHC 213368_1 आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 04.08.2022 समय 17.00 बजे तक** खरीदे जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/105673/47332/2022 **परियोजना यंत्री**

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal M.P.-462011
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

NOTICE INVITING TENDER No. 184/MTN/2022

(Flood Damage)

No./10466/22/D-12/NIT-Maint. /2022 Bhopal, Dated : 29.07.2022

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below.

- **Table-1 : Name of Work -** Special Repair of Roads/Culverts (Flood Damage).
- **SSR Applicable :-** SSR issued by M.P Rural Road Development Authority effective from 01.09.2017 and amendments upto issue date of NIT.

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Ashoknagar	2	1371000.00
2.	Guna	1	426000.00
3.	Jabalpur	1	1328000.00

- **Table-2 : Name of Work -** Special Repair of Bridges (Flood Damage).
- SOR issued by Engineer-in-Chief MPPWD Bhopal for Road and Bridge work effective from 29.08.2017 and amended upto issue date of NIT.

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Sheopur	1	3356000.00
2.	Shivpuri	1	12237000.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **03.08.2022 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)

M.P. Madhyam/105704/47334/2022

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryawas Bhawan, Bhopal M.P.-462 011
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

NOTICE INVITING TENDER No. 1003 UPG

No./10469/22/D-12/MPRRDA/22 Bhopal, Dated : 29.07.2022

Online Tenders for Construction of Rural Roads/CDs with 5 years maintenance are invited on the E-Procurement System portal **https://www.mptenders.gov.in** as detailed below.

- **Name of Work :** Up-gradation (UPG)

S. No	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1.	Balaghat	1	16182000.00
2.	Jabalpur	1	17154000.00
3.	Katni	1	10806000.00
4.	Mandsaur	1	28308000.00
5.	Sidhi	1	19123000.00

1. Tender document can be purchased and submitted only online from the above website from 01.08.2022 from 17:30 hrs.
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document for construction & maintenance of rural roads/Bridges Sept. 2017 on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)

M.P. Madhyam/105705/47335/2022

कार्यालय प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी

शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय
लोकमान्य नगर, केसरबाग रोड, इन्दौर, म.प्र. 452009
www.gaacindore.edu.in, Email-principal.gaacindore@gmail.com
priayurved.indore.mp@mp.gov.in
Phone : 0731-4960037 (Office), Fax 2472767, (Hospital-2473767)

क्रमांक/लेखा-फार्माकोविजेलेंस/एफ-/2022/2939 **इन्दौर, दिनांक : 25.07.2022**

विज्ञापन

शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय, इन्दौर में आयुष मंत्रालय भारत सरकार की योजना के अंतर्गत "पेरिफेरल्स फार्माकोविजिलेंस सेन्टर" हेतु प्रोग्राम असिस्टेंट के एक पद हेतु छः माह के लिए या योजना के निरंतर रहने तक अंशकालिक रूप से नियुक्ति की जाना है। जिस हेतु शैक्षणिक अर्हता, शर्तों सहित आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट **www.gaac.edu.in** पर उपलब्ध है। आवेदन मय वचन पत्र के व्यक्तिशः **विज्ञापन जारी होने के दिनांक से 10.08.2022 तक** संपूर्ण आवेदन मय प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति के साथ कार्यालयीन समय में जमा किये जा सकते हैं।

जी-14736/47298/2022 **प्र. प्रधानाचार्य/मुख्य कार्यपालन अधिकारी**

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति
आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

टैगोर छात्रावास क्रमांक-टी 2, प्रथम तल, श्यामला हिल्स, दूरदर्शन रोड, भोपाल-462002

डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर/एकलव्य योजनान्तर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश हेतु

(मध्यप्रदेश के शासकीय पोलीटेकनिक संस्थान)

ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2022-23

गतिविधियां	दिनांक/समय
प्रथम चरण	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निरस्त	05/08/2022 से 16/08/2022 सायं 5:00 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (**Edit Registration**) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, ऑनलाइन सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, जो केवल एक बार के लिये ही रहेगी।	17/08/2022 से 18/08/2022 सायं 5:00 बजे तक
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना **प्राथमिकताक्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी**	08/08/2022 से 20/08/2022 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता सूची।	21/08/2022
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	26/08/2022 से 31/08/2022 सायं 5:00 बजे तक
द्वितीय चरण	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निरस्त	27/08/2022 से 04/09/2022 सायं 5:00 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (**Edit Registration**) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, ऑनलाइन सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, जो केवल एक बार के लिये ही रहेगी।	05/09/2022 से 06/09/2022 सायं 5:00 बजे तक
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना **प्राथमिकताक्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी**	28/08/2022 से 08/09/2022 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता सूची।	09/09/2022
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	14/09/2022 से 19/09/2022 सायं 5:00 बजे तक
संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC)	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	**इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये उपस्थित होना।**
21/09/2022 से 27/09/2022 रात्रि 11:45 बजे तक	29/09/2022 से 30/09/2022 प्रातः 10:30 बजे
उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
03/10/2022 से 08/10/2022 रात्रि 11:45 बजे तक	10/10/2022 से 11/10/2022 प्रातः 10:30 बजे
उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
12/10/2022 से 15/10/2022 रात्रि 11:45 बजे तक	18/10/2022 प्रातः 10:30 बजे
उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
19/10/2022 से 25/10/2022 रात्रि 10:00 बजे तक	25/10/2022 प्रातः 10:30 बजे

- प्रवेश नियम, विस्तृत समय-सारणी, अभ्यर्थी के लिये महत्वपूर्ण निर्देश, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि वेबसाइट **dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- संस्था स्तर की काउंसलिंग के लिये निर्धारित तिथि पर संस्था में प्रातः 10:30 से दोपहर 1:00 बजे तक उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार कर, तदुपरान्त मेरिट के अनुसार प्रवेश किये जायेंगे।
- काउंसलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आवंटन जारी होने तक प्रवेश निरस्तीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।
- उपलब्ध संस्थाएँ/पाठ्यक्रम, पात्रता, शैक्षणिक अर्हताएँ एवं उपलब्ध सुविधाएँ, अभ्यर्थियों के लिये जारी किये गये महत्वपूर्ण निर्देशों में उपलब्ध हैं।

(कोविड-19 के कारण, सहायता केन्द्रों पर किसी भी अभ्यर्थी को जाने की आवश्यकता नहीं)

संपर्क : 0755-6720205, 2660441, ईमेल : dte.helpcenter@mp.gov.in

म.प्र. माध्यम/105653/47328/2022 **अध्यक्ष-काउंसलिंग समिति एवं आयुक्त तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड टीकमगढ़ म.प्र.

'तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना'

निम्नलिखित कार्य की निविदाएं ई-टेण्डरिंग पद्धति से पोर्टल **http://mptenders.gov.in** पर टीकमगढ़ जिले के विभिन्न विकासखण्डों के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यों की निविदायें आमंत्रित है।

निविदा क्रमांक दिनांक	सिस्टम क्रमांक	कार्य का नाम	निविदा की कुल लागत रु. (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण की समयावधि
17/ 2022-23	2022_ PHED_ 213316_1	टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ विकासखण्ड के ग्राम बुदौरा एवं देवरधा में जल जीवन के अंतर्गत पाइप लाइन, घरेलू कनेक्शन एवं विद्युत संयोजन कार्य।	298.69	298690/-	15000/-	06 माह वर्षाकाल छोड़कर

निविदा से संबंधित समस्त दस्तावेज मय धरोह राशि के **दिनांक 10.08.2022 सायं 5:30 बजे तक** ऑनलाइन ही अपलोड किये जावेंगे। ऑफलाइन प्राप्त दस्तावेजों या एफ.डी.आर. वाले निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

समस्त विवरण **http://mptenders.gov.in** वेबसाइट पर अथवा अधोहस्ताक्षरर्ता के कार्यालय में देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन ही क्रय किये जा सकते हैं एवं निविदा दरें ऑनलाइन ही प्रस्तुत करनी होंगी। समस्त प्रक्रिया 'की डेट्स' अनुसार करनी होगी। भविष्य में निविदा आमंत्रण सूचना में किये जाने वाले संशोधन ऑनलाइन वेबसाइट पर ही प्रदर्शित होंगे। समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेपित नहीं किये जावेंगे।

कार्यपालन यंत्री,

जी-14801/47309/2022 **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, टीकमगढ़ म.प्र.**

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्रमांक-01, गोरखपुर थाने के पीछे, 1558 ऋषि कॉटेज, रतन कॉलोनी, जबलपुर (म.प्र.)
पिनकोड : 482003, 0761-4927201
Email : mpphcjabalpur@gmail.com

निविदा प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्र. -01 के अंतर्गत जिला-नरसिंहपुर में खेल विभाग के अंतर्गत इण्डोर स्टेडियम (डबल बैडमिंटन कोर्ट) के निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक-10/2022-23 (Online Tender No.-2022_MPPHC_214057) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 19.08.2022 समय सांय 17.00 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे एवं सब्मिट (प्रस्तुत) किये जा सकते हैं। जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/105717/47336/2022 **परियोजना यंत्री**

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan
Bhopal M.P.–462 011
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

NOTICE INVITING TENDER No. 185/MTN/2022 (CBMS)

No./10508/22/D-12/NIT-Maint./2022 **Bhopal, Dated : 29.07.2022**

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below.

1. **Table No. 1 :- Name of Work – Repair/Maintenance of the Rural Roads for Five Years Constructed Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. (Post 5 Year) (CBMS)**

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Dhar	1	6142805.00
2.	Dindori	2	14128439.00
3.	Jhabua	1	2131136.00
4.	Khargone	3	11755431.00
5.	Seoni	5	44106379.00
6.	Singrauli	1	8660117.00
7.	Umaria	2	11361228.00

2. **Table No. 2 :- Name of Work – Repair/Maintenance of the Rural Roads for Five Years Constructed Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. (Post 10 Year) (CBMS)**

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Dhar	1	11412197.00
2.	Jhabua	1	2638021.00
3.	Sidhi	1	993606.00
4.	Sheopur	1	7871909.00
5.	Singrauli	1	1212190.00

3. **Table No. 3 :- Name of Work – Repair/Maintenance of the Rural Roads for Five Years Constructed Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. (Post 15 Year) (CBMS)**

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Alirajpur	2	13533276.00
2.	Barwani	1	2260398.00
3.	Khargone	2	15910606.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **04.08.2022 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)

M.P. Madhyam/105720/47337/2022

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्रमांक 03, गोरखपुर थाने के पीछे, 1558, ऋषि कॉटेज, रतन कॉलोनी, जबलपुर (म.प्र.)-482003
फोन : 0761-4927003, Email : mpphcjabalpur3@gmail.com

निविदा प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्र. 03 के अंतर्गत जिला-नरसिंहपुर में सिविल अस्पताल परिसर, गाडरवारा में 02 एफ 04 जी एवं 04 एच टाइप आवासीय भवनों के अपूर्ण निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 05/2022-23 (Online Tender No. 2022_MPPHC_213435_1) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 05.08.2022 समय सायं 17.00 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे एवं सबमिट (प्रस्तुत) किये जा सकते हैं। जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/105664/47331/2022 **परियोजना यंत्री**

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति
आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

टैगोर छात्रावास क्रमांक-टी2, प्रथम तल, श्यामला हिल्स, दूरदर्शन रोड, भोपाल-462002

इंजीनियरिंग डिप्लोमा

पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश हेतु

(मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय/निजी क्षेत्र के पोलीटेकनिक संस्थान)

ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2022-23

गतिविधियां	दिनांक/समय
प्रथम चरण (सामान्य पूल एवं TFW की सीटों के लिए एक साथ संयुक्त रूप से आयोजित)	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निरस्त	05/08/2022 से 27/08/2022 सायं 5:00 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, ऑनलाइन सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, जो केवल एक बार के लिये ही रहेगी।	28/08/2022 से 29/08/2022 सायं 5:00 बजे तक
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना **प्राथमिकताक्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी**	12/08/2022 से 31/08/2022 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता एवं बी.पी.एल./चतुर्थ श्रेणी कट ऑफ सूची।	01/09/2022
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	06/09/2022 से 12/09/2022 सायं 5:00 बजे तक
द्वितीय चरण (सामान्य पूल एवं TFW की सीटों के लिए एक साथ संयुक्त रूप से आयोजित)	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निरस्त	07/09/2022 से 14/09/2022 सायं 5:00 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, ऑनलाइन सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, जो केवल एक बार के लिये ही रहेगी।	15/09/2022 से 16/09/2022 सायं 5:00 बजे तक
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना **प्राथमिकताक्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी**	08/09/2022 से 18/09/2022 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	19/09/2022
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	24/09/2022 से 30/09/2022 सायं 5:00 बजे तक
संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC)	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	**इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये उपस्थित होना।**
03/10/2022 से 08/10/2022 रात्रि 11:45 बजे तक	10/10/2022 से 11/10/2022 प्रातः 10:30 बजे
उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
12/10/2022 से 15/10/2022 रात्रि 11:45 बजे तक	18/10/2022 प्रातः 10:30 बजे
उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
19/10/2022 से 25/10/2022 रात्रि 10:00 बजे तक	25/10/2022 प्रातः 10:30 बजे

- प्रवेश नियम, विस्तृत समय-सारणी, अभ्यर्थी के लिये महत्वपूर्ण निर्देश, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि वेबसाइट **dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- संस्था स्तर की काउंसलिंग के लिये निर्धारित तिथि पर संस्था में प्रातः 10:30 से दोपहर 1:00 बजे तक उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार कर, तदुपरान्त मेरिट के अनुसार प्रवेश किये जायेंगे।
- काउंसलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आवंटन जारी होने तक प्रवेश निरस्तीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।

(कोविड-19 के कारण, सहायता केन्द्रों पर किसी भी अभ्यर्थी को जाने की आवश्यकता नहीं)

संपर्क : 0755-6720205, 2660441, ईमेल : dte.helpcenter@mp.gov.in

म.प्र. माध्यम/105654/47329/2022 **अध्यक्ष-काउंसलिंग समिति एवं आयुक्त तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश**

केंद्र सरकार के दल ने देखा इंदौर का स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट

भोपाल, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के उच्च स्तरीय दल ने इंदौर का दौरा कर शहर के स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट का अवलोकन किया। स्मार्ट मीटर कंट्रोल सेंटर पहुंच कर जानकारी ली और प्रबंध निदेशक से मिलकर योजना संबंधी चर्चा की। केंद्रीय ऊर्जा सहायक सचिव श्री अभिषेक सराफ ने दल के साथ स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट के अवलोकन के लिए पोलोग्राउंड इंदौर का दौरा किया। उन्होंने मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर से भी चर्चा की। इस दौरान दल ने लगभग 4 घंटे स्मार्ट मीटर कंट्रोल सेंटर में रुक कर मीटर स्थापना, फीडर चयन, कम्युनिकेशन, बिलिंग, बिजली चोरी वाले संदिग्ध उपभोक्ताओं की पहचान, ट्रांसफार्मर की रीडिंग से मिलान, स्मार्ट मीटर स्थापना के मूल उद्देश्यों की पूर्ति रिपोर्ट आदि की जानकारी प्राप्त की। केंद्रीय दल के सदस्यों ने स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट के बारे में प्रश्नोत्तरी से भी जानकारी और जिज्ञासाओं का समाधान किया।

सांची स्तूप के अध्यात्म से अभिभूत हुआ आईसीसीआर प्रतिनिधिमंडल

भोपाल, सांची के स्तूप में भगवान बुद्ध के अध्यात्म की अनुभूति कर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का प्रतिनिधिमंडल अभिभूत हुआ। उन्होंने स्तूपों में अंकित उपदेश से भगवान बुद्ध के विश्व-कल्याण, अहिंसा और शांति के संदेश को जाना। जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम में आईसीसीआर का 21 सदस्यीय प्रतिनिधि-मंडल मध्यप्रदेश भ्रमण पर भोपाल पहुंचा है, जिसमें फ्रांस, फिजी, ग्वाटेमाला, उरुग्वे, जाम्बिया और हौन्डुरास देश के प्रतिनिधि शामिल हैं। यहां उन्हें पर्यटन बोर्ड के अधिकारियों ने साँची के स्तूप, बोट क्लब और ट्राइबल म्यूजियम का भ्रमण कराया।

प्रतिनिधिमंडल, जेनएक्सटी नेटवर्क प्रोग्राम में 18 से 27 जुलाई तक भारत भ्रमण पर है। संसद, प्रधानमंत्री संग्रहालय, ताजमहल, आगरा का किला और राजघाट देखने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने सांची के स्तूप, म्यूजियम, जॉन मार्शल हाउस और ट्राइबल म्यूजियम को भी करीब से जाना। फिजी देश के अपेनिसा याबाकितिनि वातुनिविवुकू को प्रदेश के लजीज व्यंजनों का स्वाद भा गया। जाम्बिया से सुश्री सुसान टेम्बो को जनजातीय संग्रहालय की दीर्घाएं पसंद आई। हौन्डुरास से सुश्री कारमेन हेडी लोपेज़ फ्लोरेस ने सांची के स्तूप की भव्यता की तारीफ की। वहीं फ्रांस के श्री सेल्वा मणिकंदन अन्नामलाई के मन को मानसूनी मौसम और क्रूज की सवारी ने मोह लिया।

जनजातीय संग्रहालय में प्रतिनिधिमंडल ने गुदुंब बाजा नृत्य की प्रस्तुति से जनजातीय नृत्य से परिचय लिया। साथ ही संग्रहालय की विविध कला-दीर्घाओं में जनजातीय जीवन-शैली को देखा और महसूस किया। प्रतिनिधि-मंडल ने सांची के स्तूप और ट्राइबल म्यूजियम को सराहा। उन्होंने प्रदेश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा की। साथ ही अपने देश वापस जाकर वहां के पर्यटकों को मध्यप्रदेश आने के लिए प्रेरित करने की बात भी कही।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल व्यक्तित्व

प्रतिनिधिमंडल में फिजी से श्री केतन किरित लाल, सुश्री आशना शायल प्रताप, श्री रिनेश राजेश शर्मा, जाम्बिया से सुश्री सुसान टेम्बो, श्री एंथोनी जिम्बा, सुश्री लुकोबा मुकोंडे, ग्वाटेमाला से श्री जुआन डिएगो एरियोला गैलिना, श्री डिएगो फर्नांडो सगास्तुम बर्गनज़ा, हौन्डुरास से सुश्री ज़ुल्मिट सोलेमिट रिवेरा जुनिगा, सुश्री कारमेन हेडी लोपेज फ्लोरेस, उरुग्वे से श्री फेडेरिको डेलगाडो लुजान, सुश्री मटिल्डे अंतिया अदामी, डॉ. डिएगो संजुर्जो गार्सिया एवं फ्रांस से श्री सेल्वा मणिकंदन अन्नामलाई शामिल थे।

आईसीसीआर के जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न स्तर पर भारत की लोकतांत्रिक शासन संरचना को परिभाषित करना है। यह कार्यक्रम विश्व के लोकतांत्रिक देशों के युवा नेताओं को भारत भ्रमण के माध्यम से भारत की संस्कृति, विरासत और 'भारत के विचार' से परिचित कराता है। यह दुनिया को भारत की लोकतांत्रिक यात्रा की सफलता की समझ भी प्रदान करता है।

आईसीसीआर भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना वर्ष 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। यह विभिन्न देशों में स्थापित सांस्कृतिक केंद्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिशन संचालित करता है और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों को समृद्ध करता है।

युवा करेंगे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण - खेल मंत्री

भोपाल, अमर शहीद श्री चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर पहली राज्य स्तरीय दो दिवसीय यूथ महापंचायत का समापन सभी विषयगत सत्र से प्राप्त हुए निष्कर्षों और सुझावों को शामिल कर निर्मित किए गए यूथ रिजोल्यूशन के प्रारूप को पारित कर किया गया।

यूथ महापंचायत के समापन सत्र में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि युवा देश को दिशा दे सकते हैं। यूथ महापंचायत 2022 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की संकल्पना थी, अब यह आयोजन प्रतिवर्ष होगा। उन्होंने कहा कि यूथ महापंचायत में विभिन्न सत्र से मिले सुझाव राज्य के विकास को नई दिशा देंगे। इस महापंचायत ने वर्तमान डिजिटल युग के युवाओं को न सिर्फ इतिहास से परिचय कराया, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को भी याद दिलाया।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि अमर शहीद श्री चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर हुई यूथ महापंचायत युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी श्री आजाद का पालन-पोषण गरीबी में हुआ था, दूध के अभाव में उनकी माँ उन्हें पानी में आटा घोल कर पिलाती थी। श्री सारंग ने कहा कि हम उस प्रदेश में रहते हैं जिसमें श्री चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। उनका जज्बा युवाओं को प्रेरित करता है। आने वाला भविष्य युवाओं का है और हिंदुस्तान युवाओं का देश है। श्री सारंग ने कहा कि कई वर्षों से देश में पुल, सड़कों आदि के निर्माण की बात हुई है, व्यक्ति के निर्माण की बात अब हो रही है। उन्होंने यूथ महापंचायत में आए सभी युवाओं से राज्य के विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देश के विकास के साथ सम्पूर्ण मानवता के विकास के लिए युवाओं को आगे आना होगा। युवा स्वर्णिम दुनिया की रचना कर सकते हैं। डॉ. यादव ने कहा कि जिस क्रांतिकारी से प्रेरणा लेने के लिए यूथ महापंचायत हुई है, वे 26 साल के युवा थे, अमर शहीद श्री भगत सिंह 23 साल की उम्र में हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए थे। भारत सबसे युवा देश है, यूथ महापंचायत हमारे संस्कृतिक मूल्यों और समृद्धि की पहचान बन युवाओं में देश के प्रति नई ऊर्जा का प्रवाह करेगी।

यूथ महापंचायत के दूसरे दिन 'मेरा एमपी, मेरा गौरव : कंट्रीब्यूशन इन रिजुवेटिंग प्राइड ऑफ एमपी' विषय पर पद्मश्री कलाकार श्री भज्जू श्याम ने कहा कि किसी भी कार्य में सफलता पानी है तो आपको अपना सौ प्रतिशत उस कार्य को देना होगा। किसी भी काम को करने में शर्म नहीं करनी चाहिए, हर काम से हमें कुछ-न-कुछ सीखने मिलता है।

माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्यप्रदेश की सुश्री भावना डेहरिया ने कहा कि संघर्ष से सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर हम चुनौतियों से घबरा जाते हैं तो भविष्य में किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएंगे।

माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले श्री रत्नेश पांडे ने कहा कि आज यदि एडवेंचर स्पोर्ट में मध्यप्रदेश का युवा पहचाना जाता है तो इसमें खेल विभाग अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि जो भी कार्य करें अपनी जड़ों को कभी न भूलें।

पत्रकार श्री आकाश सोनी ने कहा कि यूथ महापंचायत कड़ी से कड़ी को जोड़ने का जरिया बना है। युवा जब अपने गाँव, जंगल और जमीन की बात वैश्विक स्तर पर पहचानेंगे, अपने संस्कार और संस्कृति का प्रचार करेंगे तभी सही मायनों में क्रान्ति होगी।

एशियानेट न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री राजेश कालरा ने कहा कि स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्समैनशिप सिखाता है। साथ ही असफलता को जीत में कैसे बदलें यह गुण भी सिखाता है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे जीवन की अन्य परेशानियों से लड़ना भी सीख लेते हैं।

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal M.P. – 462011

NOTICE INVITING TENDER

No./10115/22/D-12/MPRRDA/2022 **Bhopal, Dated : 25.07.2022**

Online bids are invited on e-procurement portal **https://www.mptenders.gov.in** from the Contractors registered with MPPWD with experience in providing similar services in administrative building, hostel building, guest house and institutes under Government/Non-Government organizations/Public Sector/Private Sector of repute.

- **Name of Work–** Providing Housekeeping Services, Security arrangements and comprehensive maintenance of civil works in administrative building, Hostel, Guest house and Academy premises round the clock in Madhya Pradesh Rural Road Academy Bhopal.

S. No.	Name of work	Probable amount of contract	Cost of tender document including 12% GST	Contract Period (In Days)	Whether First Call
1.	Providing Housekeeping Services, Security Arrangements and Comprehensive maintenance of civil works in Administrative Building, Hostel, Guest house and Academy Premises round the clock in Madhya Pradesh Rural Road Academy Bhopal	Rs. 90,00,000/- (Rs. Ninety Lakhs only)	11200/-	730	1st

1. Tender document can be purchased and submitted only online from the above website from **26.07.2022 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

M.P. Madhyam/105617/47319/2022 **CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)**

कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री
लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई
साउथ सिविल लाइन, जबलपुर

NIT No. 14/2022/Centralized Tender/G/APD/JBP/Dated : 19.07.2022

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :-

स. क्र.	पोर्टल टेंडर क्रमांक	कार्य का नाम	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)
1.	2022_ PWPIU_ 208989_1	म.प्र. धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि वि.वि. जबलपुर के प्रथम चरण (बालक छात्रावास, बालिका छात्रावास एवं मेस ब्लॉक/कॉमन एरिया) के सुपरविजन एवं क्वालिटी कंट्रोल कार्य की निविदा। (प्रथम आमंत्रण)	जबलपुर	163.03	163030/-	12500/-	24 माह
2.	2022_ PWPIU_ 212317_1	जिला जबलपुर में विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में विस्तारीकरण नवीनीकरण एवं बैरियर फ्री निर्माण कार्य की निविदा। (तृतीय आमंत्रण)	जबलपुर	852.43	852430/-	20000/-	18 माह
3.	2022_ PWPIU_ 212327_1	जिला जबलपुर में विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत शासकीय मोहनलाल हरगोविंद दास महिला गृह विज्ञान महाविद्यालय में विस्तारीकरण नवीनीकरण एवं बैरियर फ्री निर्माण कार्य की निविदा। (तृतीय (आमंत्रण)	जबलपुर	734.50	734500/-	20000/-	15 माह
4.	2022_ PWPIU_ 212335_1	संयुक्त नगरीय तहसील कार्यालय भवन गोरखपुर जिला जबलपुर का निर्माण कार्य की निविदा। (द्वितीय आमंत्रण)	जबलपुर	465.40	465400/-	15000/-	12 माह
5.	2022_ PWPIU_ 212344_1	संयुक्त नगरीय तहसील कार्यालय भवन रांझी जिला जबलपुर का निर्माण कार्य की निविदा। (द्वितीय आमंत्रण)	जबलपुर	474.37	474370/-	15000/-	12 माह
6.	2022_ PWPIU_ 212362_1	जिला जबलपुर में विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में विस्तारीकरण नवीनीकरण एवं बैरियर फ्री निर्माण कार्य की निविदा। (तृतीय आमंत्रण)	जबलपुर	1133.26	1000000/-	30000/-	18 माह
7.	2022_ PWPIU_ 212374_1	बाई का बगीचा घमापुर, जबलपुर में शासकीय पॉलीक्लिनिक के निर्माण कार्य की निविदा (प्रथम आमंत्रण)	जबलपुर	34.73	50000/-	5000/-	04 माह
8.	2022_ PWPIU_ 212376_1	नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में अलाईड हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट, कन्या छात्रावास एवं बालक छात्रावास के निर्माण कार्य की निविदा। (द्वितीय आमंत्रण)	जबलपुर	1229.82	1000000/-	30000/-	18 माह
9.	2022_ PWPIU_ 212400_1	चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, विधि विधायी विभाग एवं अन्य के निर्माण कार्यों के परफॉरमेंस अवधि अंतर्गत सुधार एवं समान कार्य की निविदा। (प्रथम आमंत्रण)	जबलपुर	120.00	120000/-	12500/-	12 माह

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।

M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(Government of Madhya Pradesh Undertaking)
(Formerly M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam (I) Ltd.)
Regional Office, 101, First Floor, Atulya IT Park, Near Crystal IT Park, Khandwa Road Indore – 452001 (M.P.), Phone : (O) 0731-2970611, 2974363, 2971311, Fax No. : 0731-2972629
Website : invest.mp.gov.in, E-mail : ed.roind@mpidc.co.in, CIN : U51102MP1977SGC001392

No. MPIDC/RO/IND/TECH/22/3902 **Date : 27.07.2022**

NOTICE INVITING TENDER

Online tenders are invited on behalf of the Executive Director, MPIDC RO Indore, from registered contractors in any State/Central Government/any Government undertaking or reputed firms for the following work. The Tenders would be made available on the e-portal **https://www.mpetenders.gov.in.**

Name of Work	Probable Amount of Contract (in Lakh)	EMD (in Rs.)	Cost of Tender Form (in Rs.)	Last Date of Submission of Tender
Providing Metal Beam Crash Barrier at Sector – 5, Industrial Area Pithampur Distt. Dhar	230.00	230000/-	17700/-	16.08.2022
Providing, Installation, Testing with maintenance of 3 year for CCTV Cameras at SEZ I & II at I/A Pithampur, Distt. Dhar	34.34	34340/-	5900/-	16.08.2022
Operation and Maintenance of 2 MLD capacity water treatment plant at I/A Nimrani Distt. Khargone for 24 months	6.20	12400/-	2360/-	16.08.2022
Street light network of Four lane approach Road at Industrial Area Ujjaini Distt. Dhar	117.00	117000/-	14750/-	16.08.2022

Detailed NIT along with other details can be viewed on above mentioned portal.

M.P. Madhyam/105660/2022 R-47330/2022 **EXECUTIVE ENGINEER**

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, BHOPAL M.P. - 462 011
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

NOTICE INVITING TENDER No. 183/MTN/2022

No./10067/22/D-12/NIT-Maint./2022 **Bhopal, Dated : 25.07.2022**

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below :-

1. **Table No. 1 :- Name of Work –** Repair/ Maintenance of the Rural Roads for Five Years Constructed Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. (Post 5 Year)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Agar Malwa	4	39090608.00
2.	Alirajpur	1	13979094.00
3.	Ashoknagar	3	22671372.00
4.	Barwani	4	77184603.00
5.	Betul	2	7200837.00
6.	Bhind	1	11668386.00
7.	Chhatarpur	1	7142989.00
8.	Chhindwara	5	88992230.00
9.	Datia	1	5439167.00
10.	Gwalior	1	15275456.00
11.	Guna	2	12104888.00
12.	Harda	2	5545308.00
13.	Indore	1	10801256.00
14.	Jabalpur	2	16425949.00
15.	Narmadapuram	2	17794041.00
16.	Ratlam	1	5665568.00
17.	Raisen	1	4439252.00
18.	Rajgarh	1	6388264.00
19.	Sagar	3	16413180.00
20.	Shivpuri	10	111389241.00
21.	Shajapur	2	12440231.00
22.	Sheopur	1	2653942.00
23.	Seoni	2	45789799.00
24.	Singrauli	1	15508585.00
25.	Ujjain	1	1560503.00
26.	Vidisha	3	18149412.00

2. **Table No. 2 :- Name of Work –** Repair/ Maintenance of the Rural Roads for Five Years Constructed Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. (Post 10 Year)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Alirajpur	2	26734268.00
2.	Agar Malwa	2	25389361.00
3.	Betul	1	11214793.00
4.	Bhind	1	15879102.00
5.	Burhanpur	2	10378195.00
6.	Chhindwara	2	35185868.00
7.	Datia	1	25284222.00
8.	Dewas	1	10187726.00
9.	Dhar	1	13782737.00
10.	Dindori	1	15519104.00
11.	Jabalpur	1	1154478.00
12.	Jhabua	1	11249283.00
13.	Khandwa	2	14696164.00
14.	Katni	1	11450859.00
15.	Narmadapuram	1	5735335.00
16.	Panna	1	26650456.00
17.	Ratlam	1	29158752.00
18.	Rewa	5	30095013.00
19.	Satna	1	5620886.00
20.	Seoni	1	7688567.00
21.	Sidhi	4	34556307.00
22.	Shivpuri	1	18826457.00
23.	Sagar	2	15086247.00
24.	Shajapur	4	27511099.00
25.	Singrauli	1	3557203.00
26.	Tikamgarh	3	72514983.00
27.	Umaria	2	10943208.00
28.	Ujjain	1	3384844.00
29.	Vidisha	1	14438939.00

3. **Table No. 3 :- Name of Work –** Repair/ Maintenance of the Rural Roads for Five Years Constructed Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. (Post 15 Year)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Chhatarpur	1	17741412.00
2.	Morena	3	94245998.00
3.	Rewa	1	9430006.00
4.	Shivpuri	1	12948048.00
5.	Sagar	1	5139496.00
6.	Singrauli	1	11958565.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **28.07.2022 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER
Madhyam/105610/47324/2022 **(TENDER)**

3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन **दिनांक 23.07.2022 समय 09:00 से दिनांक 05.08.2022 समय 18:00 तक** खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

संभागीय परियोजना यंत्री
जी-14672/47294/2022 **लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू., जबलपुर**

कार्यालय अतिरिक्त परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. ग्वालियर (म.प्र.)

दूरभाष - 0751-4008851, Email : apdplugwalior@gmail.com

निविदा सूचना क्रमांक : 10/2022/सा./एपीडी/ **ग्वालियर, दिनांक : 15.7.2022**

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रित की जाती है।

क्र.	ऑनलाइन निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	पी.आई.यू. का जिला	ठेके की अनु. लागत लाख में	अमानत राशि रु.	निविदा फार्म का मूल्य रु.	कार्य पूर्ण करने के लिये समय
1.	2022_PWPIU_211637_1	बलदेवगढ़ जिला टीकमगढ़ में एस.डी.ओ./एस.डी.एम. कार्यालय भवन निर्माण कार्य। (राजस्व विभाग) प्रथम आमंत्रण।	टीकमगढ़	82.27 लाख	82270/-	10000/-	09 माह
2.	2022_PWPIU_211638_1	निवाड़ी जिला निवाड़ी में 100 बिस्तरीय अस्पताल भवन का निर्माण कार्य। प्रथम आमंत्रण।	टीकमगढ़	346.30 लाख	1000000/-	30000/-	24 माह
3.	2022_PWPIU_211640_1	कुडिला जिला टीकमगढ़ में सब तहसील कार्यालय भवन निर्माण कार्य। (राजस्व विभाग) प्रथम आमंत्रण।	टीकमगढ़	90.55 लाख	90550/-	10000/-	09 माह
4.	2022_PWPIU_211639_1	दिगोड़ा जिला टीकमगढ़ में संयुक्त कार्यालय (तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब ट्रेजरी, सब रजिस्ट्रार) भवन निर्माण कार्य। (राजस्व विभाग) प्रथम आमंत्रण।	टीकमगढ़	449.05 लाख	449050/-	15000/-	18 माह
5.	2022_PWPIU_211597_1	छतरपुर जिला छतरपुर में संयुक्त कार्यालय (तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब ट्रेजरी, सब रजिस्ट्रार) भवन निर्माण कार्य। (राजस्व विभाग) प्रथम आमंत्रण।	छतरपुर	449.05 लाख	449050/-	15000/-	15 माह
6.	2022_PWPIU_211583_1	लोक निर्माण विभाग पीआईयू दतिया के अंतर्गत भवन निर्माण कार्यों में बाह्य विद्युतीकरण कार्य हेतु जोनल टेण्डर। प्रथम आमंत्रण।	दतिया	50.00 लाख	50000/-	10000/-	12 माह
7.	2022_PWPIU_211523_1	दतिया जिले में नवीन जेल भवन निर्माण कार्य के प्रथम चरण में 379 बंदियों की जिला जेल, 02 नग एफ-टाइप, 08 नग जी-टाइप, 32 नग एच-टाइप, 04 नग आई-टाइप आवासों सहित निर्माण कार्य। प्रथम आमंत्रण।	दतिया	4235.93 लाख	2117965/-	50000/-	24 माह
8.	2022_PWPIU_211355_1	पिपरई जिला अशोकनगर में 50 सीटर कॉमर्स डिग्री कॉलेज भवन निर्माण कार्य प्रथम आमंत्रण।	अशोकनगर	474.89 लाख	474890/-	15000/-	18 माह
9.	2022_PWPIU_211330_1	नवनिर्मित संयुक्त कार्यालय सुभाषपुर एवं पिछोर खोड, के एस.डी.एम./एस.डी.ओ. तहसील, सब ट्रेजरी, सब रजिस्ट्रार, पटवारी हॉल में गोदरेज कंपनी का फर्नीचर सप्लाई कार्य। छठवां आमंत्रण।	शिवपुरी	64.64 लाख	64640/-	10000/-	45 दिन
10.	2022_PWPIU_211371_1	मुख्यालय जिला शिवपुरी में अनुसूचित जाति विभाग का 250 सीटर बालिका छात्रावास भवन निर्माण कार्य। प्रथम आमंत्रण।	शिवपुरी	1006.81 लाख	1000000/-	30000/-	24 माह
11.	2022_PWPIU_211303_1	करैरा जिला शिवपुरी में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व विभाग) कार्यालय भवन निर्माण कार्य। प्रथम आमंत्रण	शिवपुरी	82.27 लाख	82270/-	10000/-	12 माह
12.	2022_PWPIU_211319_1	मुख्यालय शिवपुरी जिला शिवपुरी में नगरी तहसील कार्यालय भवन निर्माण कार्य। (राजस्व विभाग) प्रथम आमंत्रण।	शिवपुरी	449.00 लाख	449000/-	15000/-	18 माह
13.	2022_PWPIU_211301_1	पोहरी जिला शिवपुरी में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व विभाग) कार्यालय भवन निर्माण कार्य। प्रथम आमंत्रण।	शिवपुरी	82.27 लाख	82270/-	10000/-	12 माह
14.	2022_PWPIU_211287_1	बदरवास जिला शिवपुरी में डिग्री कॉलेज भवन निर्माण कार्य। द्वितीय आमंत्रण।	शिवपुरी	350.90 लाख	350900/-	15000/-	18 माह
15.	2022_PWPIU_211293_1	पोहरी जिला शिवपुरी में शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन निर्माण कार्य। द्वितीय आमंत्रण	शिवपुरी	153.62 लाख	153620/-	12500/-	12 माह
16.	2022_PWPIU_211306_1	कोलारस जिला शिवपुरी में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व विभाग) कार्यालय भवन निर्माण कार्य। प्रथम आमंत्रण।	शिवपुरी	82.27 लाख	82270/-	10000/-	12 माह
17.	2022_PWPIU_211285_1	शिवपुरी जिला शिवपुरी के शासकीय पॉलीटेक्निक में 50 सीटर बालक छात्रावास भवन निर्माण कार्य।	शिवपुरी	182.25 लाख	182250/-	12500/-	12 माह
18.	2022_PWPIU_211810_1	बैलेंस वर्क जवासा जिला भिण्ड में हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन निर्माण कार्य का छोड़ा हुआ कार्य। प्रथम आमंत्रण।	भिण्ड	43.99 लाख	50000/-	5000/-	04 माह
19.	2022_PWPIU_211809_1	बैलेंस वर्क जांखोंली जिला भिण्ड में हाईस्कूल भवन निर्माण कार्य का छोड़ा हुआ कार्य। प्रथम आमंत्रण	भिण्ड	62.79 लाख	62790/-	10000/-	06 माह
20.	2022_PWPIU_211807_1	जिला भिण्ड में न्यायिक अधिकारियों के 03 नग डी-टाइप आवासों की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य। प्रथम आमंत्रण।	भिण्ड	24.87 लाख	50000/-	5000/-	02 माह
21.	2022_PWPIU_211785_1	दबोह जिला भिण्ड में उप तहसील भवन में गोदरेज कंपनी का फर्नीचर सप्लाई कार्य। तृतीय आमंत्रण।	भिण्ड	3.06 लाख	6120/-	2000/-	01 माह
22.	2022_PWPIU_211771_1	लहार जिला भिण्ड में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट सेन्टर भवन का निर्माण कार्य। प्रथम आमंत्रण	भिण्ड	41.49 लाख	50000/-	5000/-	06 माह
23.	2022_PWPIU_211707_1	लहार जिला भिण्ड में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व विभाग) कार्यालय भवन निर्माण कार्य। प्रथम आमंत्रण	भिण्ड	86.33 लाख	86330/-	10000/-	09 माह
24.	2022_PWPIU_211751_1	अटेर जिला भिण्ड में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट सेन्टर भवन का निर्माण कार्य। प्रथम आमंत्रण	भिण्ड	41.49 लाख	50000/-	5000/-	06 माह
25.	2022_PWPIU_211734_1	लोक निर्माण विभाग पीआईयू भिण्ड के अंतर्गत भवन निर्माण कार्यों में बाह्य विद्युतीकरण कार्य हेतु जोनल टेण्डर। प्रथम आमंत्रण।	भिण्ड	50.00 लाख	50000/-	5000/-	12 माह
26.	2022_PWPIU_211703_1	लोक निर्माण विभाग पीआईयू भिण्ड के अंतर्गत शासकीय कार्य एवं निर्माण कार्यों की देखरेख हेतु बाहन अनुबंधित करने बाबत कार्य। प्रथम आमंत्रण।	भिण्ड	5.88 लाख	10000/-	2000/-	12 माह
27.	2022_PWPIU_211356_1	लोक निर्माण विभाग पीआईयू ग्वालियर के अंतर्गत भवन निर्माण कार्यों के डीपीआर तैयार करने का कार्य। तृतीय आमंत्रण	ग्वालियर	99.00 लाख	99000/-	10000/-	12 माह

(1) निविदा से संबंधित डॉक्यूमेंट **website https://mptenders.gov.in** पर देखे जा सकती हैं।

(2) निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन पोर्टल पर ऑनलाइन किये जावेंगे, समाचार-पत्रों में पृथक से प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

(3) ऑनलाइन निविदा सब्मिट करने की **अंतिम दिनांक 05.8.2022**

(4) तकनीकी बिड खोलने का दिनांक 08.08.2022

अतिरिक्त परियोजना संचालक

जी-14720/47296/2022 **लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू., ग्वालियर**

कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री
लोक निर्माण विभाग
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, अनूपपुर (म.प्र.)

एनआईटी नं. :- 14/2022/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण/एपीडी/पी.आई.यू./1128 रीवा, दिनांक : 18.07.2022

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है।

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. अमरकंटक जिला अनूपपुर में 50 बिस्तरीय एकीकृत आयुष चिकित्सालय का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)

पोर्टल टेंडर आई.डी.	जिला	ठेके की अनुमानित राशि (पीएसी रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)	90 प्रतिशत अविवादित भूमि प्राप्त एवं एमओयू निष्पादित
2022_PWPIU_212141_1	अनूपपुर	635.83	635830/-	20000/-	15 माह वर्षाकाल सहित	--

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 2. जिला अनूपपुर अंतर्गत शासकीय कन्या उ.मा.वि. वेंकटनगर में 10 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य (द्वितीय आमंत्रण)

2022_PWPIU_212146_1	अनूपपुर	244.95	244950/-	15000/-	12 माह वर्षाकाल सहित	--

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 3. जिला अनूपपुर अंतर्गत शासकीय कन्या उ.मा.वि. खूटाटोला में 10 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य (द्वितीय आमंत्रण)

2022_PWPIU_212162_1	अनूपपुर	244.95	244950/-	15000/-	12 माह वर्षाकाल सहित	--

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 4. जिला अनूपपुर अंतर्गत स्वीकृत शासकीय कन्या उ.मा.वि. बम्हनी (नवीन भवन) के निर्माण कार्य मय वाटर सप्लाई विद्युतीकरण (द्वितीय आमंत्रण)

2022_PWPIU_212164_1	अनूपपुर	347.26	347260/-	15000/-	10 माह वर्षाकाल सहित	--

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 5. जिला अनूपपुर अंतर्गत स्वीकृत शासकीय बालक उ.मा.वि. बेनीबारी (नवीन भवन) के निर्माण कार्य मय वाटर सप्लाई विद्युतीकरण (चतुर्थ आमंत्रण)

2022_PWPIU_212167_1	अनूपपुर	373.08	373080/-	15000/-	10 माह वर्षाकाल सहित	--

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन **दिनांक 22.07.2022 समय 10.00 PM से दिनांक 04.08.2022 समय 6.00 PM तक** खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

संभागीय परियोजना यंत्री

जी-14713/47295/2022 **लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू., अनूपपुर (म.प्र.)**

कार्यालय अतिरिक्त परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू., ओल्ड पलासिया इन्दौर (म.प्र.)

ई-मेल - apdpiuindore@gmail.com

क्र.एफ-1/2022/सामान्य/ए.पी.डी./एनआईटी-17/2404 इन्दौर, दिनांक : 25.07.2022

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 16/2022

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. परिक्षेत्र इंदौर के अंतर्गत निम्नांकित निर्माण कार्यों हेतु केन्द्रीयकृत ई-पंजीयन व्यवस्था अंतर्गत सिविल श्रेणी में पंजीयन ठेकेदार से लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. म.प्र. द्वारा दिनांक 01.12.2020 से प्रभावशील एसओआर एवं निविदा सूचना प्रकाशन तिथि संशोधित, निर्धारित तिथि (key-Date) अनुसार के आधार पर ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित निविदा शासन के पोर्टल **http://mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है जिसका विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	पोर्टल टेंडर क्र.	कार्य का नाम	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)
1.	2022_PWPIU_212238_1	संयुक्त कलेक्टर कार्यालय भवन अलीराजपुर में 3 नग पार्किंग शेड का निर्माण कार्य।	अलीराजपुर	84.99	85000	10000	6
2.	2022_PWPIU_211951_1	कन्या शिक्षा परिसर आम्बुआ जिला अलीराजपुर का शेष निर्माण कार्य।	अलीराजपुर	1611.48	1611500	30000	12
3.	2022_PWPIU_211991_1	राजस्व कार्यालय भवन जोबट जिला अलीराजपुर का निर्माण कार्य।	अलीराजपुर	92.16	92200	10000	6
4.	2022_PWPIU_211980_1	आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास अलीराजपुर भवन का निर्माण कार्य।	अलीराजपुर	279.29	279500	15000	12
5.	2022_PWPIU_211942_1	आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास बोरी, जोबट क्र. 1 जोबट क्र.3 भवन का निर्माण कार्य।	अलीराजपुर	890.12	890120	20000	15
6.	2022_PWPIU_212626_1	सेंट्रल जेल जिला इन्दौर में 40 बंदी क्षमता वाले बैरक का निर्माण कार्य।	इन्दौर	83.91	83910	10000	12
7.	2022_PWPIU_212468_1	मल्हारगंज जिला इंदौर में संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।	इन्दौर	496.49	496490	15000	12
8.	2022_PWPIU_212478_1	राऊ जिला इंदौर में संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।	इन्दौर	496.49	496490	15000	12
9.	2022_PWPIU_212086_1	ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय इंदौर में इन्डोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य।	इन्दौर	182.73	182740	12500	12
10.	2022_PWPIU_212202_1	ओझर जिला बड़वानी में 50 सीटर कन्या छात्रावास एवं राजपुर में 50 सीटर बालक छात्रावास का निर्माण कार्य। (तृतीय आमंत्रण)।	बड़वानी	577.96	577960	20000	15
11.	2022_PWPIU_212174_1	अनुसूचित जनजाति विभाग के अंतर्गत शासकीय हा.से. स्कूल भवन मेलफा जिला बड़वानी में 10 नग अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य। (चतुर्थ आमंत्रण)	बड़वानी	251.79	251790	15000	12
12.	2022_PWPIU_212088_1	अनुसूचित जनजाति विभाग के अंतर्गत अजंड जिला बड़वानी में नवीन हा.से. स्कूल भवन का निर्माण कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	बड़वानी	327.59	327590	15000	12
13.	2022_PWPIU_212063_1	नागलवाड़ी जिला बड़वानी में 50 सीटर बालक छात्रावास भवन का निर्माण कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	बड़वानी	306.32	306320	15000	12
14.	2022_PWPIU_212070_1	जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में 100 बिस्तरीय वार्ड का निर्माण कार्य।	बुरहानपुर	627.77	627780	20000	15
15.	2022_PWPIU_212043_1	अनुसूचित जनजाति विभाग के अंतर्गत शासकीय हा.से. स्कूल भवन खकनार जिला बुरहानपुर में नवीन हा.से. स्कूल भवन का निर्माण कार्य। (चतुर्थ आमंत्रण)	बुरहानपुर	359.29	359300	15000	12
16.	2022_PWPIU_212747_1	शासकीय हा.से. स्कूल भवन दिग्ठान जिला धार में 10 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य (चतुर्थ आमंत्रण)	धार	214.25	214250	15000	12
17.	2022_PWPIU_211984_1	अनुसूचित जाति विभाग के अंतर्गत नालछा में 50 सीटर सीनियर बालक छात्रावास का निर्माण कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	धार	338.51	338510	15000	12
18.	2022_PWPIU_211982_1	गाजगोटा जिला धार नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	धार	286.39	286390	15000	12
19.	2022_PWPIU_212000_1	बालक कानवन, बालक बिडवाल एवं कन्या संदला जिला धार में शासकीय आदिवासी सीनियर छात्रावास भवन का निर्माण कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	धार	956.28	956280	20000	15
20.	2022_PWPIU_211983_1	जौलाना जिला धार नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	धार	465.60	465600	15000	12
21.	2022_PWPIU_211981_1	अनुसूचित जाति विभाग के अंतर्गत धार जिला धार में 50 सीटर सीनियर कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	धार	299.18	299180	15000	12
22.	2022_PWPIU_212171_1	धरमपुरी जिला धार में न्यायिक अधिकारी के लिए एफ-टाइप आवासीय भवन का निर्माण कार्य।	धार	61.28	61280	10000	4
23.	2022_PWPIU_211977_1	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बगड़ी में 06 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	धार	172.28	172280	12500	6
24.	2022_PWPIU_211976_1	सरदारपुर जिला धार में आवासीय परिसर में डी-1, डी-2, ई-1, एवं ई-2 की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	धार	65.38	65380	10000	4
25.	2022_PWPIU_212007_1	शासकीय हा.से. स्कूल भवन तलवाड़ा जिला धार में 06 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य। (पंचम आमंत्रण)	धार	177.68	177680	12500	10
26.	2022_PWPIU_212020_1	शासकीय हा.से. स्कूल भवन गणपुर जिला धार में 06 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य। (पंचम आमंत्रण)	धार	177.90	177900	12500	10
27.	2022_PWPIU_212002_1	धार जिला धार में शासकीय आदिवासी महाविद्यालय कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	धार	296.01	296010	15000	10
28.	2022_PWPIU_212005_1	शासकीय हा.से. स्कूल भवन तलवाड़ा जिला धार में 10 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	धार	211.01	211010	15000	12
29.	2022_PWPIU_212021_1	शासकीय हा.से. स्कूल भवन माण्डव जिला धार में 06 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य। (पंचम आमंत्रण)	धार	177.53	177530	12500	10
30.	2022_PWPIU_212004_1	06 बिस्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घाटाबिल्लोद जिला धार का 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भवन उन्नयन एवं निर्माण कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	धार	486.58	486580	15000	15
31.	2022_PWPIU_212006_1	शासकीय हा.से. स्कूल भवन कुक्षी जिला धार में 06 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य। (पंचम आमंत्रण)	धार	178.34	178340	12500	10
32.	2022_PWPIU_212080_1	शासकीय बालक उ.मा. विद्यालय भवन निर्माण कार्य पिटोल जिला झाबुआ।	झाबुआ	327.50	327500	15000	12
33.	2022_PWPIU_212053_1	शासकीय उ.मा. विद्यालय भवन निर्माण कार्य खरडुबडी, जिला झाबुआ।	झाबुआ	329.35	329350	15000	12
34.	2022_PWPIU_212061_1	06 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिटोल का 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भवन उन्नयन एवं निर्माण कार्य जिला झाबुआ।	झाबुआ	469.76	469760	15000	15
35.	2022_PWPIU_212058_1	शासकीय उ.मा. विद्यालय भवन निर्माण कार्य गुणावद जिला झाबुआ।	झाबुआ	337.17	337170	15000	12
36.	2022_PWPIU_212434_1	कन्या शिक्षा परिसर रजूर जिला खण्डवा के अंतर्गत शेष बचे (बैलेंस वर्क) कार्यों का निर्माण।	खण्डवा	223.34	223340	15000	4
37.	2022_PWPIU_212263_1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन पंधाना जिला खण्डवा में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना/निर्माण कार्य।	खण्डवा	49.09	50000	5000	6
38.	2022_PWPIU_212262_1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन पुनासा जिला खण्डवा में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना/निर्माण कार्य।	खण्डवा	48.83	50000	5000	6
39.	2022_PWPIU_212255_1	जिला न्यायालय खण्डवा में 01 चाईल्ड फ्रेन्डली कोर्ट एवं प्रथम तल पर 05 कोर्ट रूम, लायब्रेरी, टी-क्लब एवं मालखाना सेक्शन इत्यादि का निर्माण कार्य।	खण्डवा	383.85	383850	15000	12
40.	2022_PWPIU_212261_1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन खालवा जिला खण्डवा में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना/निर्माण कार्य।	खण्डवा	48.54	50000	5000	6
41.	2022_PWPIU_212258_1	जिला खण्डवा में न्यायिक अधिकारियों के लिए 02 नग डी-टाइप एवं 06 नग एफ-टाइप आवासगृहों का निर्माण कार्य।	खण्डवा	602.25	602250	20000	16
42.	2022_PWPIU_212240_1	ग्राम मीरजापुर भोंडवा जिला खण्डवा में निर्माणाधीन हाईस्कूल भवन में बैलेंस निर्माण कार्य।	खण्डवा	16.47	32940	2000	2
43.	2022_PWPIU_212260_1	न्याय विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ फेमेली कोर्ट न्यायिक अधिकारी के लिए 01 नग 'सी' टाइप आवासगृह एवं बाउण्ड्रीवाल एवं आवासगृह परिसर हेतु बाउण्ड्रीवॉल एवं गार्ड रूम एवं जिला न्यायालय खण्डवा में लॉकर रूम (मुद्दमाल संपत्ति हेतु) का निर्माण।	खण्डवा	143.38	143380	12500	12
44.	2022_PWPIU_212558_1	शासकीय हा.से. स्कूल भवन सिराली जिला खरगोन में 06 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	खरगोन	167.05	167050	12500	10

(शेष अगले पृष्ठ पर)

कार्यालय अधीक्षण यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नर्मदापुरम् मण्डल नर्मदापुरम्

Office Email ID - seresnarmda@mp.gov.in, Office Phone No. - 07574-250166

क्र. 757/निविदा/ग्रा.यां.से./2022 नर्मदापुरम, दिनांक : 18.07.2022

संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 03/2022-23 (प्रथम आमंत्रण)

म.प्र. के राज्यपाल की ओर से ऑनलाइन मोहरबंद प्रतिशत दर पर निविदायें फार्म "ए" (Appendix 2.10) पर ग्रायांसे संभाग मुलताई जिला बैतूल की म.प्र. लोक निर्माण विभाग के केन्द्रीयकृत प्रणाली में समतुल्य/सक्षम श्रेणी में पंजीकृत सी श्रेणी ठेकेदारों से 2 कवर पद्धति में ग्रायांसे में प्रचलित एस.ओ.आर. दिनांक 04.01.2019 से प्रभावशील दर अनुसूची (निविदा विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक तक संशोधित) दर के आधार पर अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नर्मदापुरम् मंडल होशंगाबाद के कार्यालय में ऑनलाइन आमंत्रित की जाती है।

क्र.	सिस्टम टेण्डर नं.	कार्य का नाम	निविदा की अनु. लागत (रु. लाख में)	अमानत राशि (रुपये में)	कार्य अवधि वर्षाकाल सहित माह में	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1.	2022_ RES_ 199102	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सोमगढ़ ये कौड़िया मार्ग के चैनेज क्र. 1310 मी. पर स्लैब कल्वर्ट निर्माण ग्राम कौड़िया ग्रा.पं. सोमगढ़ वि.खं. प्रभातपट्टन।	1488353/-	29000/-	06 माह	2000/-
		योग -	1488353/-			

शब्दों में चौदह लाख अठ्ठासी हजार तीन सौ तिरेपन रुपए मात्र।

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य की निविदा आमंत्रण की निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती हैं :-

क्र.	विवरण	तिथि	समय
1.	निविदा ऑनलाइन प्रकाशित होने की तिथि	01.08.2022	17.30
2.	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की प्रारंभिक तिथि	02.08.2022	17.30
3.	ऑनलाइन बिड प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि	03.08.2022	17.30
4.	ऑनलाइन बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	**16.08.2022**	13.30
5.	ऑनलाइन निविदा खुलने की तिथि	17.08.2022	13.30

निविदा प्रपत्र (Tender Document) वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर ऑनलाइन प्रकाशित एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे। निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किए जाएंगे। पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

अधीक्षण यंत्री

जी-14763/47303/2022 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, नर्मदापुरम् मण्डल नर्मदापुरम्

(पिछले पृष्ठ का शेष)

45.	2022_ PWPIU_ 212555_1	मण्डलेश्वर जिला खरगोन में 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य।	खरगोन	672.01	672010	20000	18
46.	2022_ PWPIU_ 212541_1	शासकीय हा.से. स्कूल भवन गोराडिया जिला खरगोन में 10 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य।	खरगोन	214.16	214160	15000	12
47.	2022_ PWPIU_ 212544_1	जिला जेल खरगोन में 01 बैरक (प्रथम तल पर) एवं 02 बैरक (डबल स्टोरी) बैरक का निर्माण कार्य।	खरगोन	121.32	121320	12500	10
48.	2022_ PWPIU_ 212158_1	बालकवाड़ा जिला खरगोन में 06 बेडेड प्राइमरी हेल्थ सेंटर को 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित करने हेतु उन्नयन एवं निर्माण कार्य। (चतुर्थ आमंत्रण)	खरगोन	486.27	486270	15000	15
49.	2022_ PWPIU_ 212089_1	झारडा जिला उज्जैन में डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	उज्जैन	383.74	383740	15000	12
50.	2022_ PWPIU_ 212057_1	आयुष कार्यालय जिला उज्जैन में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	उज्जैन	57.86	57860	10000	8
51.	2022_ PWPIU_ 212081_1	सबजेल तराना जिला उज्जैन में 40 बैरक जी टाइप 01 नग एवं बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य। (चतुर्थ आमंत्रण)	उज्जैन	125.12	125120	12500	12
52.	2022_ PWPIU_ 212192_1	जिला न्यायालय भवन सीतामउ जिला मंदसौर में चाईल्ड फ्रेन्डली कोर्ट रूम का निर्माण कार्य।	मंदसौर	105.82	105820	12500	12
53.	2022_ PWPIU_ 212201_1	पीआईयू मंदसौर एवं नीमच के अंतर्गत छुटे हुए मरम्मत, मायनर एवं परफार्मेंस ग्यारंटी के अंदर स्वीकृत किए जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्य।	मंदसौर	100.00	100000	10000	12
54.	2022_ PWPIU_ 212183_1	जिला न्यायालय भवन नारायणगढ़ जिला मंदसौर में चाईल्ड फ्रेन्डली कोर्ट रूम का निर्माण कार्य।	मंदसौर	105.82	105820	12500	12
55.	2022_ PWPIU_ 211920_1	संयुक्त तहसील कार्यालय भवन गरोठ जिला मंदसौर का निर्माण कार्य।	मंदसौर	508.97	508970	20000	15
56.	2022_ PWPIU_ 211903_1	ग्राम खेजडियामेघा, घट्या एवं आक्यापालरा जिला मंदसौर में आंगनवाड़ी का निर्माण कार्य।	मंदसौर	72.70	72700	10000	3
57.	2022_ PWPIU_ 211948_1	शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय मंदसौर जिला मंदसौर में कार्यशाला का निर्माण कार्य।	मंदसौर	130.05	130050	12500	12
58.	2022_ PWPIU_ 212166_1	जिला न्यायालय भवन गरोठ जिला मंदसौर में चाईल्ड फ्रेन्डली कोर्ट एवं बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण।	मंदसौर	129.70	129700	12500	12

निविदा संबंधित तिथियां (key-Date) :-
1. प्रपत्र क्रय करने की प्रारंभिक तिथि - 21.07.2022
2. बिड प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि - 22.07.2022
3. बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - **06.08.2022**
4. बिड खोलने की तिथि - 08.08.2022

अतिरिक्त परियोजना संचालक

जी-14726/47297/2022 लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू., इन्दौर

कार्यालय शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय
पंडापुरा बाघराज वार्ड, सागर

क्र./अ.वि./2022/209 सागर, दिनांक: 19.07.2022

विज्ञापन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उ.मा.वि. सागर में शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित दिव्यांगजनों के पाठ्यक्रम अध्यापन हेतु स्थापित मापदण्डों एवं सेवा शर्तों के आधार पर अतिथि शिक्षकों की पद विरुद्ध पैनल बनाये जाने के लिये उम्मीदवारों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पद रिक्त होने या अन्य प्रकार से आवश्यकतानुसार पैनल में से पात्र वरीयता क्रमानुसार उम्मीदवारों को विषय/योग्यता के आधार पर अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जावेगा। सभी अर्हताओं एवं मापदण्डों को पूरा करने वाले सक्षम उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र **अंतिम तिथि दिनांक 05.08.2022** तक कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर या डाक द्वारा **शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय पंडापुरा बाघराज वार्ड सागर** में जमा कर सकते हैं (अंतिम तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे)।

क्र.	पदनाम प्रकार	शैक्षणिक योग्यता	व्यावसायिक योग्यता
1.	अतिथि शिक्षक दृष्टि बाधित	स्नातक	विशेष शिक्षा दृष्टि बाधित में बी.एड.
2.	अतिथि शिक्षक श्रवण बाधित	स्नातक	विशेष शिक्षा श्रवण बाधित में बी.एड.

चयन प्रक्रिया :- पात्र आवेदकों की वरीयता सूची अर्हकारी परीक्षा (स्नातक) में प्राप्त अंकों एवं साक्षात्कार के आधार पर तैयार की जावेगी तदोपरान्त आवेदकों को आवश्यकता अनुसार वरीयता क्रम में आमंत्रित किया जा सकेगा। उपरोक्त पदों हेतु मान्यता प्राप्त संस्था से श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित की विशेष शिक्षा में बी.एड. वाले आवेदक ही आवेदन करें। सामान्य बी.एड. वाले आवेदक आवेदन न करें। कम्प्यूटर पर हिन्दी, अंग्रेजी टायपिंग में पारंगत आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी। **पद क्र. 1 हेतु** ब्रेल लिपि का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। **पद क्र. 2 हेतु** सांकेतिक भाषा का ज्ञान आवश्यक है। किसी भी शासकीय या अशासकीय संस्था में कार्य करने के अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी। मानदेय एवं अन्य सेवा शर्तें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 44-13/2017/20-2 भोपाल दिनांक 03.10.2018 के अनुसार लागू होंगे। आमंत्रित शिक्षकों द्वारा नियमित नियुक्तियों एवं अनुभव प्रमाण पत्र हेतु कोई वाद या दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। तत्संबंध में ऐसा वचन पत्र देना होगा। उक्त पद पर नियुक्ति एक शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए ही रहेगी। एक से अधिक पद हेतु आवेदन अलग-अलग प्रति में निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करें सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया चयन समिति के द्वारा की जावेगी।

आवेदन का प्रारूप :-

(1) आवेदित पद (2) आवेदक का नाम एवं पासपोर्ट साइज फोटो (3) माता/पिता का नाम (4) जन्म दिनांक (5) श्रेणी (6) जेण्डर (7) स्थाई पता (8) आर.सी.आई. पंजीयन (9) ईमेल आई.डी. एवं मोबाइल नम्बर (10) शैक्षणिक योग्यता एवं व्यावसायिक योग्यता-

क्र.	उत्तीर्ण कक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	विषय

(11) अनुभव (12) कम्प्यूटर योग्यता।

आवेदन निर्धारित प्रारूप में अंतिम तिथि से पूर्व प्रेषित करें।

अधीक्षक

जी-14616/47293/2022 शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उ.मा. विद्यालय, सागर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड छिन्दवाड़ा
तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा जारी करने का दिनांक : 21.07.2022

निम्नलिखित कार्य की निविदा प्रक्रिया ई-प्रोक्युरमेंट ई-टेन्डरिंग पद्धति से पोर्टल **http://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित हैं। निविदाओं हेतु निविदा प्रपत्र डाउनलोड/क्रय करने की दिनांक 21 जुलाई, 2022 समय 10.30 बजे से प्रारंभ है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

कार्य का नाम : छिंदवाड़ा जिले के विकासखण्ड सौंसर के विभिन्न ग्रामों में **"जल जीवन मिशन के अंतर्गत"** विद्यमान (स्थापित) नलजल योजनाओं में, विभिन्न प्रकार एवं व्यास के पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने रेडीमेट मिनी पंप हाउस, 50, 75, 100, 125 एवं 175 कि.ली. जल क्षमता आर.सी.सी. उच्च स्तरीय टंकी एवं 20 कि.ली. क्षमता आर.सी.सी. सम्पवैल निर्माण, ब्रिक मेसोनरी बाल्व चैम्बर, बाउंड्रीवॉल निर्माण, एम.एस. फेब्रिकेटेड रूम, पावर पंप स्थापना, विद्युतीकरण तथा रेट्रोफिटिंग कर शत प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन कार्य के माध्यम से शुद्ध पेयजल व्यवस्था समस्त आवश्यक सामग्री सहित सम्पूर्ण कार्य, पूर्ण होने के पश्चात् 90 दिन ट्रायल-रन कमीशिंग तथा संयंत्र का 2 वर्ष संचालन एवं संधारण कार्य (As per BOQ)।

ई-टेन्डर आई.डी. क्र.	निविदा क्रमांक दिनांक	विकास खण्ड	अनु. लागत (रु. लाख में)	अमानत राशि रुपये	निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये	निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि समय	निविदा खोलने की नियत दिनांक	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने समय अवधि
2022-PHED-212253-1	47/22-23 dt. 21.07.2022	सौसर	393.89	393890	15000	01.08.2022 5.30 PM	02.08.2022 5.30 PM	नवीन केन्द्रीकृत पद्धति पर 'स' एवं उससे ऊपर	9 माह वर्षा काल सहित
2022-PHED-212256-1	48/22-23 dt. 21.07.2022	सौसर	417.62	417620	15000	01.08.2022 5.30 PM	02.08.2022 5.30 PM	-तदैव-	-तदैव-
2022-PHED-212257-1	49/22-23 dt. 21.07.2022	सौसर	419.89	419890	15000	01.08.2022 5.30 PM	02.08.2022 5.30 PM	-तदैव-	-तदैव-
2022-PHED-212259-1	50/22-23 dt. 21.07.2022	सौसर	421.11	421110	15000	01.08.2022 5.30 PM	02.08.2022 5.30 PM	-तदैव-	-तदैव-

निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क, कैश कार्ड, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड अथवा इन्टरनेट बैंकिंग एकाउंट के माध्यम से उपरोक्त वेबसाइट पर भुगतान कर केवल ऑनलाइन पर ही क्रय किए जा सकते हैं।

विस्तृत निविदा एवं अन्य जानकारी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री

जी-14629/47290/2022 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड छिंदवाड़ा (म.प्र.)

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, पश्चिम परिक्षेत्र, इंदौर
गायत्री मंदिर के पास, ओल्ड पलासिया, इंदौर

E-mail ID :- cepwdwest@mp.nic.in, Phone No. 0731-2491825

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 02/सा/40/निविदा/2022-23 **इंदौर, दिनांक : 22.07.2022**

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन (Online) निविदा तीन लिफाफा पद्धति में आमंत्रित की जाती है, उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है :-

क्र.	पोर्टल क्रमांक	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (रु. लाख में)	अमानत राशि (रुपये में)	निविदा प्रपत्र की राशि (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि
1.	2022_PWDRB_212772	इंदौर	सी.आर.एफ. योजनांतर्गत इन्दौर शहर में एलआईजी चौराहे से नवलखा चौराहा (ओल्ड एन.एच. 3 ए.बी. रोड) तक एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण में बाधक विद्युत लाइन एवं ट्रांसफार्मर सबस्टेशन स्ट्रीट लाइन पोल हाईमास्ट एवं ट्रेफिक सिग्नल शिफ्टिंग कार्य।	1121.53	1000000/-	30000/-	06 माह वर्षाकाल सहित।
2.	2022_PWDRB_212770	बुरहानपुर	सुक्ता नाबार्ड झिरपांजरिया मार्ग लंबाई 10.95 कि.मी. का कार्य मय एल.टी./एच.टी. लाइन पोल शिफ्टिंग कार्य सहित (प्रथम आमंत्रण)	978.88	978880/-	20000/-	18 माह वर्षाकाल सहित।
3.	2022_PWDRB_212774	बड़वानी	आमझिरी से सिवन्या मार्ग लंबाई 7.20 किमी. का निर्माण कार्य मय एल.टी./एच.टी. लाइन पोल शिफ्टिंग कार्य सहित। (प्रथम आमंत्रण)	505.08	505080/-	20000/-	14 माह वर्षाकाल सहित।
4.	2022_PWDRB_212776	खण्डवा	खण्डवा अंतर्गत 600 मेगावॉट ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क हेतु सक्तापुर पहुंच मार्ग निर्माण (ग्रामीण मार्ग) लम्बाई 7.30 कि.मी. का निर्माण कार्य मय एल.टी./एच.टी. लाइन पोल शिफ्टिंग कार्य सहित। (प्रथम आमंत्रण)	1375.15	1000000/-	30000/-	12 माह वर्षाकाल सहित।
			महायोग	**3980.64 लाख**			

निविदा प्रपत्र उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से निविदा का निर्धारित मूल्य ऑनलाइन भुगतान कर क्रय किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र क्रय करने एवं ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय **दि. 12.08.2022**, 17.30 तक निर्धारित है। निविदा की विस्तृत शर्तें एवं नियम उपरोक्त दर्शित पोर्टल पर देखी जा सकती हैं।
निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन, यदि हो तो उसे समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाकर केवल वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किया जावेगा।
सभी दस्तावेज केवल ऑनलाइन वेबसाइट पर ही प्रस्तुत करें। भौतिक रूप से कोई भी दस्तावेज इस कार्यालय में न भेजे जावें।

मुख्य अभियंता
जी-14748/47300/2022 **लो.नि.वि. पश्चिम परिक्षेत्र, इंदौर**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग रतलाम

website : www.mp.gov.in/pwdmp, email : eepwdratlam@mp.nic.in
Phone - 07412-270437, Fax - 232445

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 57-63/एस.ए.सी./2022-23 **रतलाम, दिनांक : 22.07.2022**

निविदा विज्ञप्ति

निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का नाम	आमंत्रण क्रमांक	ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में)
1.	2022_PWDRB_212728_1	रतलाम	घटवास से सिखेड़ी मार्ग लंबाई 4.150 कि.मी. का निर्माण कार्य।	प्रथम	456.08
2.	2022_PWDRB_212739_1	रतलाम	बागरियों की खेड़ी से गोवर्धनपुरा पहुंच मार्ग लं. 4.00 कि.मी. एवं रामगढ़ से नारायणगढ़ पहुंच मार्ग लं. 2.30 कि.मी. कुल लम्बाई 6.30 कि.मी. का निर्माण कार्य।	प्रथम	361.85
3.	2022_PWDRB_212746_1	रतलाम	तम्बोलिया से उमरबट्टा पहुंच मार्ग लं. 4.00 कि.मी. एवं कोटड़ा से मोतिया कोटड़ा पहुंच मार्ग लं. 2.50 कि.मी. एवं बरखेड़ा से रूपापाड़ा पहुंच मार्ग लं. 2.00 कि.मी. कुल लम्बाई 8.50 कि.मी. का निर्माण कार्य।	प्रथम	484.52
4.	2022_PWDRB_212749_1	रतलाम	सरवनी जागीर से भाटीबड़ोदिया (व्हाया बन्ट, धतुरिया) मार्ग लंबाई 5.20 कि.मी. का निर्माण कार्य।	प्रथम	353.87
5.	2022_PWDRB_212755_1	रतलाम	हसनपालिया से माताजी मंदिर पहुंच मार्ग लंबाई 1.10 कि.मी. का निर्माण कार्य।	प्रथम	101.34
6.	2022_PWDRB_212762_1	रतलाम	बी.टी. नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत (डब्ल्यू.एम.एम.) कार्य शिवपुर-नौगांवा रेल्वे स्टेशन मार्ग लंबाई 4.80 कि.मी.।	तृतीय	50.86
7.	2022_PWDRB_212767_1	रतलाम	बिरमावल जिला रतलाम में कब्रस्तान की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	प्रथम	24.61
				योग	**1833.13**

उपरोक्त निविदा हेतु निर्धारित शुल्क ऑनलाइन भुगतान करने के उपरांत निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने एवं प्रस्तुत करने की **अंतिम दिनांक 10.08.2022 सायं 17.30 बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधनों (यदि कोई हो) का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा। कोई भी अभिलेख भौतिक रूप से प्राप्त नहीं किये जावेंगे एवं ई.एम.डी. (RTGS, NEFT) के माध्यम से मात्र ऑनलाइन ही स्वीकार की जावेगी।

कार्यपालन यंत्री
जी-14753/47301/2022 **लोक निर्माण विभाग, संभाग रतलाम**

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, रीवा परिक्षेत्र रीवा (म.प्र.)

website : www.mppwd.gov.in, Email : cepwdrewa@mp.nic.in
Phone No. 07662-255200, Fax : 255380

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना क्र. 06/सा./रीवा/2022-23 **रीवा, दिनांक : 25.07.2022**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्यों का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर आई.डी. क्रमांक	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	कार्य पूर्ण करने की समयावधि	कार्य की अनु. राशि (लाख में)	अमानत राशि	निविदा फार्म
1.	2022_PWDRB_212946_1	लोक निर्माण विभाग शहडोल के उपसंभाग ब्यौहारी में सी.आर.आई.एफ. योजना अंतर्गत ब्यौहारी से आदर्श ग्राम न्यू सपटा मार्ग (व्हाया धांधोकुई-तिखवा-अल्हरा-निपनिया) मुख्य जिला मार्ग 14-02 लं. 45.00 कि.मी. का उन्नतीकरण का कार्य।	द्वितीय	24 माह वर्षाऋतु सहित	7947.00	7947000/-	10000/-
2.	2022_PWDRB_212947_1	लोक निर्माण विभाग संभाग रीवा के उपसंभाग मनगवां में सी.आर.आई.एफ. योजना अंतर्गत देवतालाब से नईगढ़ी मार्ग (एम.डी.आर.-10-10) लं. 16.80 कि.मी., हैण्डपम्प एवं इलेक्ट्रिक लाइन/इलेक्ट्रिक पोल शिफ्टिंग सहित उन्नयन का कार्य।	द्वितीय	18 माह वर्षाऋतु सहित	2939.82	2939820/-	10000/-
			योग :-		**10886.82**		

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने तथा ऑनलाइन बिड सबमिशन की प्रारंभिक तिथि दिनांक 01.08.2022 से **अंतिम तिथि 14.09.2022 सायं 17.30 बजे तक** निर्धारित है। विस्तृत जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट में किया जावेगा। पृथक से समाचार-पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य अभियंता
जी-14759/47302/2022 **लो.नि.वि., रीवा परिक्षेत्र रीवा**

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र-इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 02/07/2021, दिनांक 28.07.2022

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ परीक्षा
परीक्षा शहर एवं प्रवेश पत्र की सूचना

01 आयोग द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 07/2021, दिनांक 20.09.2021 आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था तथा "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र के दिनांक 27.09.2021 के अंक में प्रकाशित किया गया था।

02 उक्त विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से (OMR Sheet आधारित) दिनांक 28.08.2022 (रविवार) को (दोपहर 12.00 बजे से दोपहर पश्चात 03.00 बजे तक) इंदौर जिले के परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 18.08.2022 से **www.mponline.gov.in** तथा **mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध रहेंगे।

03 विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

जी-14847/47316/2022 **उप सचिव**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
कार्यालय कार्यपालन यंत्री, सागर संभाग-सागर
माधवराव सप्रे मार्ग, (मुख्य मार्ग क्रमांक-03)
भोपाल (म.प्र.) 462003

नि.आं.सू. क्र.-04/2022-23/265 **भोपाल, दिनांक : 18.07.2022**

निविदा आमंत्रण अल्प सूचना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संभाग-सागर की ओर से जिला सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर एवं टीकमगढ़ में स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेष मरम्मत कार्यों हेतु निविदा पोर्टल ऑनलाइन (निविदा ई-टेण्डरिंग के माध्यम) से 03 लिफाफा पद्धति से प्रपत्र "अ" फार्म में परसेंटेज बेसिस दरों पर आमंत्रित की जाती है। विवरण निम्नानुसार है :-

निविदा क्रमांक	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	संस्थाओं की संख्या	अनु. लागत राशि रु. लाख में
2022_DHS_211851	छतरपुर	छतरपुर, बक्स्वाहा, राजनगर, लवकुशनगर, गौरिहार, बड़ामलहरा, नौगांव, ईशानगर एवं बिजावर	42	247.90
2022_DHS_211852	दमोह	दमोह, पथरिया, पटेरा, हटा, तेन्दुखेड़ा, हिण्डोरिया, बटियागढ़ एवं जबेरा	20	132.72
2022_DHS_211853	पन्ना	पन्ना, अजयगढ़, देवेन्द्रनगर, गुन्नौर, अमानगंज, पवई एवं शाहनगर	23	127.42
2022_DHS_211857	टीकमगढ़ एवं सागर	टीकमगढ़, पलेरा, जतारा, बड़ागांव एवं बल्देवगढ़, सागर केसली, रहली, राहतगढ़ एवं खुरई	26	140.65

उक्त निविदा प्रपत्र **दिनांक 20.07.2022 से 03.08.2022 तक समय 17.30 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे एवं प्रस्तुत किये जा सकते हैं एवं निविदा सूचना व अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं। निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने के अधिकार विभाग के पास सुरक्षित हैं।

कार्यपालन यंत्री
जी-14882/47333/2022 **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संभाग-सागर**

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड, खण्डवा (म.प्र.)

दूरभाष - 0733-2245000, Fax - 0733-2245001

Email : deangmckhandwa@gmail.com, Website : www.gmckhandwa.org

विज्ञप्ति सूचना

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-2-06/2018/1-55 भोपाल, दिनांक 07.04.2018 द्वारा मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम-2018 के अंतर्गत नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के अधीन चिकित्सकीय संवर्ग (महिला चिकित्सा अधिकारी एवं आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी) निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र **दिनांक 20.08.2022 सायं 05:30 बजे तक** आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	UR	ST	S C	O B C	EWS
1.	महिला चिकित्सा अधिकारी	1	1	–	–	–
2.	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	4+2 (F)	3+1 (F)	2+1 (PHF)	4+1 (F)	02

शेष उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप कार्यालय की वेबसाइट **www.gmckhandwa.org** पर उपलब्ध है।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जी-14826/47312/2022 **नंदकुमार सिंह चौहान, शा.चि.म. खण्डवा (म.प्र.)**

कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग

परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सम्राट चौक सीधी (म.प्र.)

E-mail : piusidhi@gmail.com, PHONE : 07822-297539

एनआईटी नं. 14/2022/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रित/एपीडी/पी.आई.यू./1128 रीवा, दिनांक : 18.07.2022

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है।

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. जिला सीधी के सिंहावल में राजस्व विभाग हेतु एस.डी.ओ./एस.डी.एम. कार्यालय का निर्माण मय वाटर सप्लाई, सेनेटरी एवं विद्युत कार्य सहित (द्वितीय आमंत्रण)

पोर्टल टेंडर आई.डी.	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)	90 प्रतिशत अविवादित भूमि प्राप्त एवं एमओयू निष्पादित
2022_PWPIU_ 212804_1	सीधी	85.63	85630/-	10000/-	08 माह वर्षाकाल सहित	भूमि प्राप्त एवं एमओयू निष्पादित

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 2. जिला सीधी के पटपरा में उप तहसील भवन का निर्माण मय वाटर सप्लाई, सेनेटरी एवं विद्युत कार्य सहित (द्वितीय आमंत्रण)

2022_PWPIU_ 212807_1	सीधी	81.19	81190/-	10000/-	08 माह वर्षाकाल सहित	भूमि प्राप्त एवं एमओयू निष्पादित

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 3. जिला सीधी के उ.मा.वि. पोड़ी में 08 नग अतिरिक्त कक्ष का निर्माण मय वाटर सप्लाई, सेनेटरी एवं विद्युत कार्य सहित। (तृतीय आमंत्रण)

2022_PWPIU_ 212817_1	सीधी	211.17	211170/-	15000/-	09 माह वर्षाकाल सहित	भूमि प्राप्त एवं एमओयू निष्पादित

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 4. जिला सीधी के उ.मा.वि. लुरघुटी में 08 नग अतिरिक्त कक्ष का निर्माण मय वाटर सप्लाई, सेनेटरी एवं विद्युत कार्य सहित (तृतीय आमंत्रण)

2022_PWPIU_ 212818_1	सीधी	208.54	208540/-	15000/-	09 माह वर्षाकाल सहित	भूमि प्राप्त एवं एमओयू निष्पादित

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 5. जिला सीधी के उ.मा.वि. टन्सार में 08 नग अतिरिक्त कक्ष का निर्माण मय वाटर सप्लाई, सेनेटरी एवं विद्युत कार्य सहित (तृतीय आमंत्रण)

2022_PWPIU_ 212813_1	सीधी	209.98	209980/-	15000/-	09 माह वर्षाकाल सहित	भूमि प्राप्त एवं एमओयू निष्पादित

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 6. जिला सीधी के उ.मा.वि. कमछ में 08 नग अतिरिक्त कक्ष का निर्माण मय वाटर सप्लाई, सेनेटरी एवं विद्युत कार्य सहित (तृतीय आमंत्रण)

2022_PWPIU_ 212814_1	सीधी	208.16	208160/-	15000/-	09 माह वर्षाकाल सहित	भूमि प्राप्त एवं एमओयू निष्पादित

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 7. जिला सीधी के उ.मा.वि. कुसमी में 08 नग अतिरिक्त कक्ष का निर्माण वाटर सप्लाई, सेनेटरी एवं विद्युत कार्य सहित (तृतीय आमंत्रण)

2022_PWPIU_ 212811_1	सीधी	213.88	213880/-	15000/-	09 माह वर्षाकाल सहित	भूमि प्राप्त एवं एमओयू निष्पादित

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 8. जिला सीधी के उ.मा.वि. चिनगवाह में 08 नग अतिरिक्त कक्ष का निर्माण वाटर सप्लाई, सेनेटरी एवं विद्युत कार्य सहित (तृतीय आमंत्रण)

2022_PWPIU_ 212812_1	सीधी	202.14	202140/-	15000/-	09 माह वर्षाकाल सहित	भूमि प्राप्त एवं एमओयू निष्पादित

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 9. जिला सीधी के उ.मा.वि. जुरी में 08 नग अतिरिक्त कक्ष का निर्माण वाटर सप्लाई, सेनेटरी एवं विद्युत कार्य सहित (तृतीय आमंत्रण)

2022_PWPIU_ 212810_1	सीधी	201.68	201680/-	15000/-	09 माह वर्षाकाल सहित	भूमि प्राप्त एवं एमओयू निष्पादित

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक

महिला एवं बाल विकास नर्मदापुरम् संभाग नर्मदापुरम्

Email - jdwcdhos@mp.gov.in, Telephone No. - 07574-253251

क्रमांक/1236/मबावि/स्था./2022 नर्मदापुरम्, दिनांक : 27.07.2022

मानदेय आधारित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रण की सूचना

म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र./3440/1784/2019/50-2 (ए.एन.) भोपाल दिनांक 21.08.2019 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नर्मदापुरम् संभाग नर्मदापुरम् के जिला-बैतूल, हरदा एवं नर्मदापुरम् में महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पूर्णतः अस्थाई (मानसेवी) एवं मानदेय आधारित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पात्र महिलाओं के जिलेवार निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.	जिले का नाम	परियोजना	वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या			आगामी 06 माहों में रिक्त होने वाले पदों की संख्या		
			आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	आंगनवाड़ी सहायिका	मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	आंगनवाड़ी सहायिका	मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
1.	बैतूल	मुलताई	0	1	0	0	2	0
2.	बैतूल	शाहपुर	1	2	0	0	1	0
3.	बैतूल	घोड़ाडोंगरी	4	2	0	1	9	0
4	बैतूल	भीमपुर	1	1	0	0	3	0
5.	बैतूल	आमला	1	1	0	1	5	0
6.	बैतूल	प्रभातपट्टन	1	1	0	2	2	0
7.	बैतूल	सारणी	1	0	0	0	0	0
8.	बैतूल	भैंसदेही	2	0	0	3	1	0
9.	बैतूल	आठनेर	0	1	0	1	4	0
10.	बैतूल	बैतूल ग्रामीण	0	1	0	1	1	0
11.	बैतूल	बैतूल शहरी	0	0	0	0	1	0
12.	बैतूल	चिचोली	0	0	0	2	1	0
		जिले का योग -	**11**	**10**	**0**	**11**	**30**	**0**
13.	हरदा	हरदा ग्रामीण-1	0	1	0	0	1	0
14.	हरदा	हरदा ग्रामीण-2	0	0	0	0	1	0
15.	हरदा	हरदा शहरी	0	1	0	0	0	0
16.	हरदा	खिरकिया	1	2	2	2	3	0
17.	हरदा	टिमरनी	1	1	0	2	0	0
		जिले का योग -	**2**	**5**	**2**	**4**	**5**	**0**
18.	नर्मदापुरम्	माखननगर	1	0	0	2	1	0
19.	नर्मदापुरम्	बनखेड़ी	1	0	0	0	4	0
20.	नर्मदापुरम्	नर्मदापुरम् ग्रामीण	1	0	0	1	3	0
21.	नर्मदापुरम्	नर्मदापुरम् शहरी	0	2	0	0	0	0
22.	नर्मदापुरम्	इटारसी	0	1	0	0	0	0
23.	नर्मदापुरम्	केसला	1	1	0	2	4	0
24.	नर्मदापुरम्	पिपरिया	1	3	0	0	1	0
25.	नर्मदापुरम्	सिवनी मालवा	3	4	0	0	0	0
26.	नर्मदापुरम्	सोहागपुर	1	3	0	0	0	0
		जिले का योग -	**9**	**14**	**0**	**5**	**13**	**0**
		महायोग -	**22**	**29**	**2**	**20**	**48**	**0**

- आंगनवाड़ी केन्द्रवार/ग्रामवार/वार्ड वार वास्तविक रिक्त पदों की जानकारी एवं नियम, निर्देश, शर्तें, आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित जानकारी के लिये संबंधित जिला कार्यालय एवं विकासखंड स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
- जिस ग्राम/वार्ड में रिक्त पद की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है, आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम एवं शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना चाहिये।
- जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये विज्ञप्ति जारी की जा रही है, उनके संबंध में यदि कलेक्टर/अपर कलेक्टर/संभाग आयुक्त/अपर आयुक्त के न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में यदि कोई वाद प्रचलित है अथवा भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोई वाद निर्मित होता है तो माननीय न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा अर्थात् चयन एवं नियुक्ति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी।
- संबंधित महिला आवेदिका अपने पूर्णतः भरे आवेदन पत्र मय आवश्यक सहपत्रों सहित संबंधित जिले की बाल विकास परियोजना कार्यालय में **विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से दिनांक 22.08.2022** तक कार्यालयीन समय में निर्धारित प्रारूप में जमा कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।
- कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, नर्मदापुरम् संभाग, नर्मदापुरम् के पते पर प्रेषित आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

संयुक्त संचालक

जी-14843/47314/2022 **महिला एवं बाल विकास नर्मदापुरम् संभाग, नर्मदापुरम्**

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 10. जिला सीधी के उ.मा.वि. उमरिया में 08 नग अतिरिक्त कक्ष का निर्माण मय वाटर सप्लाई, सेनेटरी एवं विद्युत कार्य सहित (तृतीय आमंत्रण)

2022_PWPIU_ 212808_1	सीधी	211.15	211150/-	15000/-	09 माह वर्षाकाल सहित	भूमि प्राप्त एवं एमओयू निष्पादित

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक 25.07.2022 समय 09:00 AM से **दिनांक 04.08.2022** समय 6:00 PM तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

संभागीय परियोजना यंत्री

जी-14822/47310/2022 **लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू., सीधी (म.प्र.)**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड- हरदा

दूरभाष : 07577-223212, फैक्स : 226777, ई-मेल : eephedhar@mp.nic.in

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्यो की निविदाएं ई-टेण्डरिंग पद्धति से पोर्टल **http://www.mpeproc.gov.in** पर हरदा जिले के अंतर्गत विकासखण्ड हरदा के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उच्च स्तरीय टंकी, सम्पवेल पाइप लाइन, घरेलू नल कनेक्शन, विद्युत संयोजन एवं अन्य कार्य हेतु निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित हैं।

निविदा क्र./ दिनांक	सिस्टम क्रमांक	विकास खण्ड	ग्रामों की संख्या	निविदा की कुल लागत (रु. लाख में)	धरोहर राशि (रु. में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने की समयावधि	ठेकेदार की श्रेणी
08/ 2022-23	212972	हरदा	10	230.09	230090/-	15000/-	06 माह वर्षाकाल सहित	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली
09/ 2022-23	213001	हरदा	08	249.30	249300/-	15000/-	06 माह वर्षाकाल सहित	
10/ 2022-23	213051	हरदा	07	372.84	372840/-	15000/-	06 माह वर्षाकाल सहित	

ऑनलाइन निविदा फार्म क्रय करने की **अंतिम तिथि** **08.08.2022 17:30 बजे**
ऑनलाइन निविदा दर डालने की अंतिम तिथि 08.08.2022 17:30 बजे
ऑनलाइन निविदा दर खोलने की तिथि 10.08.2022 17:30 बजे

निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही किया जावेगी। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा। निविदा फार्म ऊपर दर्शित वेबसाइट पर (Online System) ऑनलाइन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते हैं। निविदा एवं उससे संबंधित जानकारी ऊपर दर्शाई गई वेबसाइट पर देखें।

कार्यपालन यंत्री
जी-14813/47307/2022 **लोक स्वा. यां. विभाग खण्ड हरदा**

कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री
लोक निर्माण विभाग (परियोजना क्रियान्वयन इकाई) सिवनी
निर्माण भवन, प्रथम तल, कलेक्टर कैम्पस, जिला- सिवनी (मध्यप्रदेश)

दूरभाष क्रमांक : 07692-225559 ई-मेल : dpepiu.seoni@mp.gov.in, dpepiuseoni@gmail.com

एनआईटी नं. - 14/2022/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण/जी/एपीडी जबलपुर, दिनांक : 19.07.2022

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है -

स.क्र. एवं कार्य का नाम : 1. **केवलारी** जिला सिवनी में शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में उन्नयन/निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)।

पोर्टल टेण्डर क्र.	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)
2022_ PWPIU_ 212311_1	सिवनी (म.प्र.)	345.53	345530/-	15000/-	12 माह वर्षाकाल सहित
2. आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास भवन **शिकारा जिला सिवनी** का निर्माण कार्य (द्वितीय आमंत्रण)।					
2022_ PWPIU_ 212315_1	सिवनी (म.प्र.)	330.81	330810/-	15000/-	12 माह वर्षाकाल सहित
3. आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास भवन **घाटकोहका** जिला सिवनी का निर्माण कार्य (द्वितीय आमंत्रण)।					
2022_ PWPIU_ 212323_1	सिवनी (म.प्र.)	318.51	318510/-	15000/-	12 माह वर्षाकाल सहित
4. आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास भवन **धोबीसर्रा** जिला सिवनी का निर्माण कार्य (द्वितीय आमंत्रण)।					
2022_ PWPIU_ 212332_1	सिवनी (म.प्र.)	326.83	326830/-	15000/-	12 माह वर्षाकाल सहित
5. आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास भवन **चमारी** जिला सिवनी का निर्माण कार्य (द्वितीय आमंत्रण)।					
2022_ PWPIU_ 212337_1	सिवनी (म.प्र.)	304.12	304120/-	15000/-	12 माह वर्षाकाल सहित
6. आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास भवन **बैगापिपरिया जिला सिवनी** का निर्माण कार्य (द्वितीय आमंत्रण)।					
2022_ PWPIU_ 212341_1	सिवनी (म.प्र.)	321.96	321960/-	15000/-	12 माह वर्षाकाल सहित
7. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय **तुल्फ** जिला सिवनी में नवीन भवन निर्माण कार्य (चतुर्थ आमंत्रण)।					
2022_ PWPIU_ 212458_1	सिवनी (म.प्र.)	366.65	366650/-	15000/-	16 माह वर्षाकाल सहित
8. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय **बीजादेवरी** जिला सिवनी में नवीन भवन निर्माण कार्य (चतुर्थ आमंत्रण)।					
2022_ PWPIU_ 212467_1	सिवनी (म.प्र.)	373.56	373560/-	15000/-	16 माह वर्षाकाल सहित
9. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय **बैगापिपरिया जिला सिवनी** में नवीन भवन निर्माण कार्य (चतुर्थ आमंत्रण)।					
2022_ PWPIU_ 212528_1	सिवनी (म.प्र.)	332.96	332960/-	15000/-	16 माह वर्षाकाल सहित

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग
साउथ सिविल लाइन, जबलपुर

एनआईटी नं. - 01/2022/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण/2022 दिनांक : 25.07.2022

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :-

स. क्र.	पोर्टल टेंडर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्रमांक	कार्य की अनुमानित राशि (रु. लाख में)	भौतिक रूप से एनवलप प्रस्तुत करने का कार्या. (मूल एफ.डी. आर. एवं अन्य दस्तावेज)
1.	2022_ PWDRB_ 212971_1	जबलपुर	पुलों के मरम्मत कार्य	जबलपुर संभाग के अंतर्गत उपसंभाग क्र. - 1 जबलपुर के अंतर्गत आने वाले विद्यमान पुलों के वार्षिक मरम्मत का कार्य।	प्रथम	Rs. 17.82 lacks	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर
2.	2022_ PWDRB_ 212990_1	कटनी	पुलों के मरम्मत कार्य	जबलपुर संभाग के अंतर्गत उपसंभाग क्र. - 1 जबलपुर के अंतर्गत कटनी जिले में आने वाले विद्यमान पुलों के वार्षिक मरम्मत का कार्य।	प्रथम	Rs. 17.59 lacks	
3.	2022_ PWDRB_ 213002_1	नरसिंहपुर	पुलों के मरम्मत कार्य	जबलपुर संभाग के अंतर्गत उपसंभाग नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत आने वाले विद्यमान पुलों के वार्षिक मरम्मत का कार्य।	प्रथम	Rs. 17.70 lacks	
4.	2022_ PWDRB_ 213008_1	मण्डला	पुलों के मरम्मत कार्य	जबलपुर संभाग के अंतर्गत उपसंभाग मण्डला जिले के अंतर्गत आने वाले विद्यमान पुलों के वार्षिक मरम्मत का कार्य।	प्रथम	Rs. 17.83 lacks	
5.	2022_ PWDRB_ 213010_1	डिण्डोरी	पुलों के मरम्मत कार्य	जबलपुर संभाग के अंतर्गत उपसंभाग मण्डला जिले के अंतर्गत डिण्डोरी जिले में आने वाले विद्यमान पुलों के वार्षिक मरम्मत का कार्य।	प्रथम	Rs. 17.85 lacks	
6.	2022_ PWDRB_ 213030_1	सिवनी	पुलों के मरम्मत कार्य	जबलपुर संभाग के अंतर्गत उपसंभाग सिवनी जिले के अंतर्गत आने वाले विद्यमान पुलों के वार्षिक मरम्मत का कार्य।	प्रथम	Rs. 16.47 lacks	
7.	2022_ PWDRB_ 213046_1	बालाघाट	पुलों के मरम्मत कार्य	जबलपुर संभाग के अंतर्गत उपसंभाग बालाघाट जिले के अंतर्गत आने वाले विद्यमान पुलों के वार्षिक मरम्मत का कार्य।	प्रथम	Rs. 17.81 lacks	
8.	2022_ PWDRB_ 213074_1	मण्डला	सर्वेक्षण एवं बोरिंग	मण्डला जिले के अंतर्गत प्रस्तावित पुलों के निर्माण हेतु बोरिंग एवं सर्वेक्षण कार्य।	प्रथम	Rs. 17.80 lacks	
9.	2022_ PWDRB_ 213078_1	नरसिंहपुर	सर्वेक्षण एवं बोरिंग	नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत प्रस्तावित पुलों के निर्माण हेतु बोरिंग एवं सर्वेक्षण कार्य।	प्रथम	Rs. 17.59 lacks	
10.	2022_ PWDRB_ 213090_1	सिवनी	सर्वेक्षण एवं बोरिंग	सिवनी जिले के अंतर्गत प्रस्तावित पुलों के निर्माण हेतु बोरिंग एवं सर्वेक्षण कार्य।	प्रथम	Rs. 17.67 lacks	
11.	2022_ PWDRB_ 213055_1	बालाघाट	सर्वेक्षण एवं बोरिंग	बालाघाट जिले के अंतर्गत प्रस्तावित पुलों के निर्माण हेतु बोरिंग एवं सर्वेक्षण कार्य।	प्रथम	Rs. 17.76 lacks	
12.	2022_ PWDRB_ 213058_1	जबलपुर	सर्वेक्षण एवं बोरिंग	जबलपुर जिले के अंतर्गत प्रस्तावित पुलों के निर्माण हेतु बोरिंग एवं सर्वेक्षण कार्य।	प्रथम	Rs. 17.67 lacks	
13.	2022_ PWDRB_ 213066_1	कटनी	सर्वेक्षण एवं बोरिंग	जबलपुर जिले के अंतर्गत कटनी जिले में प्रस्तावित पुलों के निर्माण हेतु बोरिंग एवं सर्वेक्षण कार्य।	प्रथम	Rs. 17.35 lacks	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरांत निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि **16.08.22** शाम **17:30** बजे निर्धारित है। विस्तृत एनआईटी एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जावेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।
मूल एफ.डी.आर. एवं अन्य दस्तावेज ऑनलाइन प्राप्त की जावेगी।

कार्यपालन यंत्री
जी-14778/47306/2022 **लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर**

10. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय **लकवाह जिला सिवनी** में नवीन भवन निर्माण कार्य (चतुर्थ आमंत्रण)।

पोर्टल टेण्डर क्र.	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)
2022_ PWPIU_ 212556_1	सिवनी (म.प्र.)	360.55	360550/-	15000/-	16 माह वर्षाकाल सहित

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक **23.07.2022** से दिनांक **05.08.2022** तक खरीदा जा सकेगा। अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

संभागीय परियोजना यंत्री
जी-14639/47292/2022 **लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) सिवनी**

कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री

लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

फोन : 07162-243214 ई-मेल : pwdpiu12cwa@gmail.com

एनआईटी नं.-14/2022/केन्द्रीकृत निविदा आमंत्रण/पी.आई.यू./व.ले.लि. छिन्दवाड़ा, दिनांक : 19.07.2022

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती हैं :-

पोर्टल टेण्डर क्र.	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)	कार्यालय का नाम जहां ईएमडी एवं तकनीकी बिड भौतिक रूप से प्राप्त की जावेगी	90 प्रतिशत अविवादित एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त एवं एमओयू निष्पादित
स.क्र. एवं कार्य का नाम : 1. **जिला छिन्दवाड़ा** में आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास भवन का निर्माण कार्य (तृतीय आमंत्रण)।							
2022_ PWPIU_ 211950_1	छिन्दवाड़ा	273.98	273980/-	15000/-	12 माह वर्षाऋतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
2. **ग्राम- मुजावरमाल** (मोरडोंगरी) जिला छिन्दवाड़ा में आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास भवन का निर्माण कार्य (तृतीय आमंत्रण)।							
2022_ PWPIU_ 211952_1	छिन्दवाड़ा	314.41	314410/-	15000/-	14 माह वर्षाऋतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
3. कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. छिन्दवाड़ा के अंतर्गत परफारमेंस गारंटी के अंतर्गत जोनल निविदा बावत् (सातवां आमंत्रण)।							
2022_ PWPIU_ 211953_1	छिन्दवाड़ा	90.00	90000/-	10000/-	12 माह वर्षाऋतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	--
4. **ग्राम- झिरना** जिला छिन्दवाड़ा में नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य (तृतीय आमंत्रण)।							
2022_ PWPIU_ 211954_1	छिन्दवाड़ा	349.44	349440/-	15000/-	14 माह वर्षाऋतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
5. **ग्राम- टुमरागढ़ी** जिला छिन्दवाड़ा में नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य (तृतीय आमंत्रण)।							
2022_ PWPIU_ 211955_1	छिन्दवाड़ा	343.02	343020/-	15000/-	14 माह वर्षाऋतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
6. **ग्राम- खुलसान** जिला छिन्दवाड़ा में नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य (तृतीय आमंत्रण)।							
2022_ PWPIU_ 211956_1	छिन्दवाड़ा	349.44	349440/-	15000/-	14 माह वर्षाऋतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
7. **ग्राम- निमोटी** जिला छिन्दवाड़ा में नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य (तृतीय आमंत्रण)।							
2022_ PWPIU_ 211958_1	छिन्दवाड़ा	361.12	361120/-	15000/-	14 माह वर्षाऋतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
8. **तहसील- बिछुआकला** जिला छिन्दवाड़ा में नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य (तृतीय आमंत्रण)।							
2022_ PWPIU_ 211959_1	छिन्दवाड़ा	354.02	354020/-	15000/-	14 माह वर्षाऋतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
9. **ग्राम- बाम्हनवाड़ा** जिला छिन्दवाड़ा में नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य (तृतीय आमंत्रण)।							
2022_ PWPIU_ 211960_1	छिन्दवाड़ा	370.65	370650/-	15000/-	14 माह वर्षाऋतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
10. **ग्राम- बिजोरी** पठार जिला छिन्दवाड़ा में नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य (तृतीय आमंत्रण)।							
2022_ PWPIU_ 211962_1	छिन्दवाड़ा	349.44	349440/-	15000/-	14 माह वर्षाऋतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
11. **ग्राम- मोया** जिला छिन्दवाड़ा में नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण कार्य (तृतीय आमंत्रण)।							
2022_ PWPIU_ 211963_1	छिन्दवाड़ा	358.94	358940/-	15000/-	14 माह वर्षाऋतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
12. **तह. पांढुर्णा**, जिला छिन्दवाड़ा में 06 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य (तृतीय आमंत्रण)।							
2022_ PWPIU_ 211964_1	छिन्दवाड़ा	327.86	327860/-	15000/-	14 माह वर्षाऋतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
13. जिला छिन्दवाड़ा में विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत शास. पी.जी. कॉलेज महाविद्यालय में विस्तारीकरण नवीनीकरण एवं बैरियर फ्री निर्माण कार्य (तृतीय आमंत्रण)।							
2022_ PWPIU_ 211965_1	छिन्दवाड़ा	734.77	734770/-	20000/-	18 माह वर्षाऋतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
14. **तहसील तामिया**, जिला छिन्दवाड़ा में विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत शास. डिग्री महाविद्यालय में विस्तारीकरण नवीनीकरण एवं बैरियर फ्री निर्माण कार्य (तृतीय आमंत्रण)।							
2022_ PWPIU_ 211966_1	छिन्दवाड़ा	492.47	492470/-	15000/-	15 माह वर्षाऋतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
15. **ग्राम कुण्डा**, जिला छिन्दवाड़ा में आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास भवन का निर्माण कार्य (तृतीय आमंत्रण)।							
2022_ PWPIU_ 211967_1	छिन्दवाड़ा	303.60	303600/-	15000/-	14 माह वर्षाऋतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
16. **तहसील बिछुआ**, जिला छिन्दवाड़ा में विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत शास. डिग्री महाविद्यालय में विस्तारीकरण नवीनीकरण एवं बैरियर फ्री निर्माण कार्य (चतुर्थ आमंत्रण)।							
2022_ PWPIU_ 211969_1	छिन्दवाड़ा	407.50	407500/-	15000/-	14 माह वर्षाऋतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
17. **ग्राम- डुंगरिया**, जिला छिन्दवाड़ा में आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास भवन का निर्माण कार्य (तृतीय आमंत्रण)।							
2022_ PWPIU_ 211970_1	छिन्दवाड़ा	303.82	303820/-	15000/-	14 माह वर्षाऋतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
18. जिला छिन्दवाड़ा में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय भवन का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)।							
2022_ PWPIU_ 212377_1	छिन्दवाड़ा	85.65	85650/-	10000/-	10 माह वर्षाऋतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
19. **तहसील परासिया**, जिला छिन्दवाड़ा में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय भवन का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)।							
2022_ PWPIU_ 212378_1	छिन्दवाड़ा	85.65	85650/-	10000/-	10 माह वर्षाऋतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
20. **तहसील चौरई**, जिला छिन्दवाड़ा में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय भवन का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)।							
2022_ PWPIU_ 212379_1	छिन्दवाड़ा	85.65	85650/-	10000/-	10 माह वर्षाऋतु सहित	अतिरिक्त परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. जबलपुर	एम.ओ.यू. निष्पादित एवं भूमि प्राप्त
	योग	**6341.43**					

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक 23.07.2022 समय 09:00 से दिनांक **05.08.2022** समय 18:00 तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

संभागीय परियोजना यंत्री

जी-14635/47291/2022 **लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू., छिन्दवाड़ा**

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया पिन - 484661 (म.प्र.)

E-mail : fdbnp.umr@mp.gov.in, ddbnp.umr@mp.gov.in, Tel/Fax No. : 07653-222214

म.प्र. शासन, वन विभाग, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया अंतर्गत सहायक महावत के रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञापन

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26.08.2022

सहायक महावत के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संलग्न प्रपत्र में आवेदन दिनांक 26.08.2022 तक आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र **दिनांक 26.08.2022 को 05.30 बजे** शाम तक **क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया** कार्यालय में रजिस्टर्ड या सीधे प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पद का नाम लिफाफे के ऊपर अंकित किया जावे। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। विलंब आदि के लिये विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। पदों का विवरण, वेतनमान, रिक्तियों की संख्या, योग्यता एवं अन्य अर्हतायें निम्नानुसार हैं :-

क्र.	पद का नाम	वेतनमान	अनारक्षित	अरुक	अपिव	अजा	अजजा	योग
1.	सहायक महावत	15500-49000	0	1	1	1	2	5

नोट :-
1. उक्त संख्या में परिवर्तन संभावित है।
2. कोई भी उम्मीदवार, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हो, शासकीय नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शैक्षणिक योग्यता :-
1. मध्यप्रदेश में विभागीय हाथियों के साथ 05 वर्ष का कार्य करने का अनुभव।
2. उपसंचालक द्वारा गठित समिति द्वारा अभ्यर्थियों के कौशल तथा उपयुक्तता का आकलन कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जावेगी।

आयु सीमा :-
दिनांक 01.01.2022 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। आरक्षित वर्ग को शासन के नियमानुसार उम्र में छूट की पात्रता होगी।

आवेदन संबंधी अन्य शर्तें :-
1. उपरोक्त समस्त पद अस्थायी हैं। उपरोक्त दर्शाये गये पद की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
2. आवेदन पत्र कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित अथवा टाइप किया जाना अनिवार्य है तथा आवेदन सुस्पष्ट अक्षरों में भरा जावे।
3. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
4. समस्त शैक्षणिक योग्यता के अलावा जन्मतिथि प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति एवं स्थाई निवास प्रमाण पत्र, समग्र आई.डी. एवं अन्य योग्यता/अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वसत्यापित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।
5. आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी को नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया जायेगा।
6. साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
7. चयन के संबंध में अंतिम निर्णय उपसंचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया का मान्य होगा।
8. सूची, संबंधित नोडल अधिकारी के कार्यालय में नोटिस बोर्ड में चस्पा की जावेगी।
9. सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बताये समस्त कार्यवाही निरस्त करने का अधिकार होगा। किसी भी विवाद के लिए अधिकार क्षेत्र न्यायालय, उमरिया होगा।
10. इच्छुक उम्मीदवार को आवेदन पत्र के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा साथ में एक अतिरिक्त लिफाफा टिकट एवं पत्र व्यवहार पते के साथ लगाना आवश्यक होगा।
11. पात्र आवेदकों को साक्षात्कार की सूचना पृथक से दी जावेगी।

आवेदन पत्र
सहायक महावत के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन का नमूना
वन विभाग

स्वयं हस्ताक्षरित अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ यहाँ चिपकायें

पद - **सहायक महावत**

1. उम्मीदवार का नाम - ....
2. पिता/पति का नाम - ....
3. पुरुष/महिला - ....
4. विवाहित/अविवाहित - ....
5. मोबाइल नं./दूरभाष क्र. - ....
6. जीवित संतानों का विवरण - ....

अनु.क्र.	नाम	जन्मतिथि
1		
2		
3		
4		

7. पत्र व्यवहार का पता - ....
8. क्या म.प्र. के मूल निवासी हैं, यदि हाँ तो किस जिले के ....
9. जन्म तिथि - ....
10. .... को आयु.......... वर्ष .... माह .... दिन ....
11. शैक्षणिक योग्यता - ....
12. अनुभव प्रमाण पत्र - ....
13. किस प्रवर्ग के हैं - ....
14. समग्र आई.डी.नं. - ....

सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि सहायक महावत के पद हेतु आवेदन पत्र के अनुक्रमांक 01 से 12 तक दर्शाया गया विवरण पूर्णतया सत्य है। उपरोक्त विवरण गलत पाये जाने पर सहायक महावत के पद पर मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

स्थल : **आवेदक के हस्ताक्षर**
दिनांक : **नाम :** ....

टीप :- आवेदन पत्र के साथ स्वयं का सत्यापित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, मूल निवासी, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र तथा विभागीय हाथियों के साथ कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र आदि की स्वयं की सत्यापित फोटोकॉपी आवश्यक रूप से संलग्न की जावे, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

उपसंचालक
जी-14825/47311/2022 **बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया (म.प्र.)**

कार्यालय अतिरिक्त परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
निर्माण भवन, प्लाट नं. - 27-28, अरेरा हिल्स, भोपाल

एनआईटी नं.- 08/2022/निविदा/सा/एपीडी/ **भोपाल, दिनांक : 20.07.2022**

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है :-

स. क्र.	पोर्टल टेंडर क्रमांक	कार्य का नाम	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)
1	2022_ PWPIU_ 200824_3	जिला मुख्यालय बैतूल में तहसील भवन का निर्माण कार्य। तृतीय निविदा	बैतूल	524.23	524230/-	15000/-	14 माह वर्षाकाल सहित
2	2022_ PWPIU_ 212793_1	हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन यूनालोहमा में 10 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य।	बैतूल	156.72	156720/-	10000/-	08 माह वर्षाकाल सहित
3	2022_ PWPIU_ 184305_4	हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन बेलकुड़ में 10 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य चतुर्थ निविदा।	बैतूल	319.91	319910/-	15000/-	12 माह वर्षाकाल सहित
4	2022_ PWPIU_ 212460_1	शासकीय जे.एच. महाविद्यालय बैतूल में ऑडिटोरिम भवन का शेष कार्य।	बैतूल	109.54	109540/-	10000/-	08 माह वर्षाकाल सहित
5	2022_ PWPIU_ 212363_1	अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में एफ टाइप, जी टाइप, आई टाइप के द्वितीय तल पर एक फ्लोर का एवं स्टुडियो अपार्टमेंट का निर्माण तथा चिल्ड्रन पार्क के निर्माण कार्य।	भोपाल	148.93	148930/-	12500/-	12 माह वर्षाकाल सहित
6	2022_ PWPIU_ 212446_1	प्रशासन अकादमी परिसर शाहपुरा भोपाल में (गैर आवासीय भवनों) में अनुरक्षण/मरम्मत कार्य।	भोपाल	100.00	100000/-	12500/-	12 माह वर्षाकाल सहित
7	2022_ PWPIU_ 212477_1	प्रशासन अकादमी परिसर शाहपुरा भोपाल में (आवासीय भवनों) में अनुरक्षण/मरम्मत कार्य।	भोपाल	100.00	100000/-	12500/-	12 माह वर्षाकाल सहित
8	2022_ PWPIU_ 212496_1	पी.आई.यू. भोपाल परिक्षेत्र के कार्यालयों में टेक्निकल असिस्टेंट/ कम्प्यूटर ऑपरेटर तैनात करना।	भोपाल	129.74	129740/-	12500/-	24 माह वर्षाकाल सहित
9	2022_ PWPIU_ 212498_1	भोपाल जिले के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न लघु मूल कार्यों, शेष कार्यों एवं पी.जी. अंतर्गत बाह्य एवं आंतरिक विद्युतीकरण MOW, MISC कार्य।	भोपाल	101.88	101880/-	12500/-	12 माह वर्षाकाल सहित
10	2022_ PWPIU_ 212816_1	भोपाल जिले के अंतर्गत संविदाकार द्वारा छोड़े गये कार्य, शेष कार्य, पी.जी. अंतर्गत शेष कार्य एवं लघु मूल कार्य।	भोपाल	99.00	99000/-	10000/-	12 माह वर्षाकाल सहित
11	2022_ PWPIU_ 200970_2	नगरीय तहसील कोलार भोपाल के लिये संयुक्त तहसील भवन निर्माण कार्य।	भोपाल	524.23	524230/-	20000/-	14 माह वर्षाकाल सहित
12	2022_ PWPIU_ 212352_1	जिला देवास अंतर्गत शेष कार्य, पी.जी. अंतर्गत सुधार कार्य एवं अन्य कार्य।	देवास	110.00	110000/-	12500/-	12 माह वर्षाकाल सहित
13	2022_ PWPIU_ 212371_1	एमपीपीडब्ल्यूडी पीआईयू देवास में वर्ष 2022-23 में विभिन्न भवनों के निर्माण के लिए आर्किटेक्चर डिजाइन और डीपीआर सेवाएं।	देवास	5000.00	100000/-	12500/-	12 माह वर्षाकाल सहित
14	2022_ PWPIU_ 212439_1	कंस्ट्रक्शन ऑफ माईनर ओरिजिनल वर्क/लेफ्ट ओवर वर्क बाय दि कॉन्ट्रेक्टर एंड वर्क अंडर परफॉरमेंस गारंटी ऑफ बिल्डिंग्स फ्राम दि डिपाजिट्स ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रेक्टर अंडर पी.आई.यू. नर्मदापुरम डिविजन (जोनल कांट्रेक्ट) (सातवां आमंत्रण)	नर्मदापुरम	88.37	88370/-	10000/-	12 माह वर्षाकाल सहित
15	2022_ PWPIU_ 212440_1	कंस्ट्रक्शन ऑफ संयुक्त तहसील कार्यालय भवन होशंगाबाद नगरीय तहसील नर्मदापुरम जिला नर्मदापुरम (द्वितीय आमंत्रण)	नर्मदापुरम	524.23	524230/-	20000/-	14 माह वर्षाकाल सहित
16	2022_ PWPIU_ 212442_1	कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट एट सी.एच.सी. पिपरिया जिला नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	43.47	50000/-	5000/-	04 माह वर्षाकाल सहित
17	2022_ PWPIU_ 201071_2	रायसेन जिला रायसेन में संयुक्त अनुविभागीय कार्यालय राजस्व कार्यालय भवन का निर्माण कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	रायसेन	704.59	704590/-	20000/-	14 माह वर्षाकाल सहित
18	2022_ PWPIU_ 212464_1	तहसील बरेली जिला रायसेन में एक न्यायालय कक्ष का निर्माण कार्य।	रायसेन	65.25	65250/-	10000/-	08 माह वर्षाकाल सहित

(शेष अगले पृष्ठ पर)

स्किल इंडिया मिशन के 7 साल पूरे

कौशल से संवर रहा है देश के युवाओं का भविष्य

जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। छोटे से छोटे ज्ञान को प्रयोग के तौर पर सफल बनाने के लिए कौशल का होना आवश्यक है। किसी भी उद्यम की सफलता में पूंजी, सहयोग, नियामक तंत्र और सबसे आवश्यक वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान तथा कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश की सबसे बड़ी शक्ति युवाओं की शिक्षा और उनके कौशल विकास में होती है, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कौशल विकास हेतु कई पहलें शुरू की गई हैं। उन्हीं में से एक अहम मिशन का नाम है 'स्किल इंडिया मिशन'। इस मिशन के तहत 15 जुलाई, 2015 (विश्व युवा कौशल दिवस पर) को भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाणन योजना 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' यानी PMKVY शुरू की गई थी। हाल ही में इस योजना के सात वर्ष पूरे हो गए हैं। 15 जुलाई, 2015 से लेकर अब तक देश में 1.37 करोड़ युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण मिल चुका है और आज यही युवा उभरते भारत की पहचान बन चुके हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में 'स्किल इंडिया' का नारा बुलंद करते हुए सुनहरे भविष्य के लिए आईआईटी के साथ-साथ आईटीआई को तवज्जो देने की वकालत की थी।

वैश्विक कौशल राजधानी बनने की दिशा में भारत ने बढ़ाए कदम

कौशलवान बनने की दिशा में भारत ने बीते 7 साल में काफी सुधार किया है। सरकार ने भारत को विश्व की स्किल कैपिटल यानी कौशल राजधानी बनाने की दिशा में कई कदम बढ़ाए हैं। इसके लिए भारत सरकार ने लघु अवधि की ट्रेनिंग शुरू की है, जिसके तहत अभी तक 67 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण मिल चुका है। वहीं सरकार द्वारा स्पेशल प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं, इनके तहत 3 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण मिला है। हर साल 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिल रहा है। वहीं सरकार द्वारा 40 से अधिक कौशल विकास योजनाएं लागू की गई हैं। देश का कोई हिस्सा पीछे न रह जाए इसके मद्देनजर देश के हर जिले को कवर करते हुए 700 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं।

'स्किल इंडिया मिशन' के तहत, सरकार देश के युवाओं को अत्याधुनिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित कर रही है। केंद्र सरकार के प्रयासों से बीते 8 साल में देश में कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में कौशल औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों (ITI) में करीब 24 फीसदी की वृद्धि की गई है। इतना ही नहीं 2018 से अब तक इन आईटीआई में 4 लाख से भी ज्यादा सीटें जोड़ी जा चुकी हैं। इस तरह भारत सरकार देश में कौशल प्रशिक्षण को गति प्रदान कर रही है।

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत अप्रेंटिसशिप के अवसरों से भी देश के युवाओं को कौशल में बढ़ावा मिला है। केंद्र सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की थी। अप्रेंटिसशिप प्रदान करने वाले 28 हजार से भी ज्यादा प्रतिष्ठान देश में कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं। अप्रेंटिसशिप नियम 1992 में सुधार के परिणामस्वरूप प्रशिक्षुओं के नामांकन में भी वृद्धि दर्ज की गई है जिसके तहत अभी तक विभिन्न उद्योगों से 12 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को भी जोड़ा जा चुका है।

जन शिक्षण संस्थान (JSS) से पारंपरिक कौशल को बढ़ावा

बाजार की जरूरतों के मुताबिक प्रासंगिक कौशलों की पहचान कर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने 'जन शिक्षण संस्थान' (JSS) खोले हैं। इन संस्थानों में आज स्किल और अपस्किलिंग के माध्यम से पारंपरिक कौशल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे गैर साक्षर और नव साक्षरों को कौशल प्रशिक्षण एवं 8वीं कक्षा तक के उम्मीदवार तथा 12वीं कक्षा तक के ड्रॉपआउट को भी स्किल्स सिखाई जाती हैं, ताकि वह जीविकोपार्जन कर अपने परिवार का और अपना पेट भर सकें। यहां पर एससी, एसटी, दिव्यांगों और बीपीएल धारकों को निःशुल्क प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता है।

उज्ज्वल भविष्य के लिए कौशल विकास पर जोर देती नई शिक्षा नीति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि भारत विश्व के लिए कुशल कार्यबल उपलब्ध कराने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश बन सकता है। भारत सरकार के इन तमाम प्रयासों और देश के युवाओं की मेहनत से साफ होता है कि देश इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार उज्ज्वल भविष्य के लिए युवाओं के कौशल के विकास के लिये स्कूली शिक्षा के तौर-तरीकों में व्यापक बदलाव कर रही है। इस कड़ी में सरकार देश में नई शिक्षा नीति (NEP) लेकर आई है। 'नई शिक्षा नीति 2020' में कौशल आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण पर काफी जोर दिया गया है। इसी को मूल आधार बनाते हुए साल 2025 तक कम से कम 50 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक कौशल प्रदान किया जाएगा। 9,500 अटल टिंकरिंग लैब्स से युवाओं में जिज्ञासा रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में लगभग 75 लाख से अधिक छात्र इसी के तहत सक्रिय रूप से नवीन कौशल सीखने में जुटे हैं। नई शिक्षा नीति और अटल टिंकरिंग लैब्स जैसी पहलों के माध्यम से, सरकार नवाचार आधारित भविष्य के लिए युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे रही है।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) को निःशुल्क अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने, देश में कौशल विकास को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए 2015 में शुरू किया गया था। PMKVY 1.0 यानी प्रथम चरण (2015-16 में) के दौरान, 19.85 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था।
- पहले चरण के बाद PMKVY 2.0 (2016-20) को सरकार के अन्य मिशनों जैसे- मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत आदि के साथ संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। कोविड काल में हमें इसका खासा असर देखने को मिला। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए PMKVY के तहत करीब एक लाख से अधिक प्रोफेशनलों को तैयार करने की योजना बनाई गई, ताकि इस महामारी से लड़ाई लड़ी जा सके। इसमें ट्रेनिंग के दौरान सभी को बेसिक केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, एडवांस्ड केयर सपोर्ट, सैम्पल कलेक्शन सपोर्ट, होम केयर सपोर्ट, मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट जैसे अहम कामों का प्रशिक्षण दिया गया।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण (PMKVY 3.0) आरंभ किया। इसमें 2020-2021 की योजना अवधि के दौरान करीब आठ लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की गई थी। यह 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- ई-लर्निंग पोर्टल भारत स्किल्स अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया था। यह पोर्टल छात्रों और प्रशिक्षकों के लिए एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सामग्री, वीडियो, प्रश्न बैंक और मॉक टेस्ट प्रदान करता है।
- इंडिया स्किल्स, देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है। भारत कौशल (इंडिया स्किल्स) प्रतियोगिता हर दो साल में राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से आयोजित की जाती है।

- रश्मि रंजन

(लेखिका, समसामयिक मुद्दों पर लेखन करती हैं।)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

19	2022_ PWPIU_ 212473_1	तहसील गौहरगंज जिला रायसेन में एक न्यायालय कक्ष का निर्माण कार्य।	रायसेन	65.25	65250/-	10000/-	08 माह वर्षाकाल सहित
20	2022_ PWPIU_ 212445_1	सिविल अस्पताल गैरतगंज जिला रायसेन में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण कार्य।	रायसेन	43.47	50000/-	5000/-	08 माह वर्षाकाल सहित
21	2022_ PWPIU_ 212684_1	वाणिज्यिक का कार्यालय भवन निर्माण कार्य राजगढ़ जिला राजगढ़	राजगढ़	250.59	250590/-	15000/-	12 माह वर्षाकाल सहित
22	2022_ PWPIU_ 212722_1	सिविल अस्पताल सारंगपुर जिला राजगढ़ में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण कार्य।	राजगढ़	43.46	50000/-	5000/-	08 माह वर्षाकाल सहित
23	2022_ PWPIU_ 212779_1	संयुक्त तहसील कार्यालय भवन (सीहोर नगरीय तहसील) का निर्माण सीहोर जिला सीहोर (म.प्र.) (द्वितीय आमंत्रण)	सीहोर	524.23	524230/-	20000/-	14 माह वर्षाकाल सहित
24	2022_ PWPIU_ 212790_1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्यामपुर में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण।	सीहोर	42.29	50000/-	5000/-	06 माह वर्षाकाल सहित

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन **दिनांक 20.07.2022 समय 10.30 से दिनांक 04.08.2022 समय 05.30 तक** खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

अतिरिक्त परियोजना संचालक
(मुख्य अभियंता)
लो.नि.वि. पी.आई.यू. भोपाल

जी-14802/47308/2022

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों से की चर्चा

भोपाल, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम 2021 के अधीन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, निर्वाचन संचालन नियम 1961 में परिवर्तन किये गये हैं एवं आयोग से प्राप्त विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 कार्यक्रम के सम्बंध में प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश श्री अनुपम राजन द्वारा की गयी।

बैठक में निर्वाचकों से आधार क्रमांक की जानकारी संग्रहण करने के प्रावधान तथा प्रक्रिया की जानकारी उपस्थित अधिकारियों को दी गयी। यह भी बताया गया कि दिनांक 1 अगस्त 2022 से यह प्रक्रिया प्रदेश में प्रारंभ की जा रही है। यदि निर्वाचक के पास आधार कार्ड नहीं है तो अन्य 11 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सकेंगे। दिनांक 1 अगस्त 2022 को राजनैतिक दलों की बैठक तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किये जावें, इसी दिन बी.एल.ओ., अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं का आधार नम्बर दर्ज करें। आवेदन पत्र बी.एल.ओ. या ई.आर.ओ. को भौतिक रूप से तथा ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन एप, NVSP एवं वोटर पोर्टल के माध्यम भर सकते हैं।

निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने की अर्हता तिथि पूर्व में 1 जनवरी रखी गयी थी परंतु अब वर्ष में चार दिनांकों में अर्हता तिथि रखी गयी है जो उस वर्ष की 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर होगी। इससे उन निर्वाचकों को जो इन तिथियों में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अपना नाम निर्वाचक नामावली में जुड़वाने की पात्रता हो जाती है। आवेदक अब पूर्व से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं, जो बाद में 18 वर्ष पूर्ण करेंगे।

पूर्व में निर्वाचक के पत्नी के रिश्ते का उल्लेख था, अब उसके स्थान पर अब Spouse (पति/पत्नी) का प्रावधान किया गया है।

निर्वाचकों के नाम जोड़ने, नाम हटाने, नाम में संशोधन करने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम का स्थानांतरण करने में जिन फार्मों की आवश्यकता पड़ती थी। उनमें भी संशोधन किया गया है। नवीन मतदाता के लिये प्रारूप-6, आधार संग्रहण हेतु प्रारूप-6 (ख), किसी निर्वाचक के नाम हटाने अथवा जोड़ने के विरुद्ध प्रारूप-7 एवं एपिक कार्ड बदलने, दिव्यांग जन चिन्हांकित करने, निवास स्थानांतरण तथा एक से अन्य विधानसभा में नाम स्थानांतरण हेतु प्रारूप-8 निर्धारित किया गया है।

वोटर लिस्ट के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गयी जिसमें अवगत कराया गया कि 4 अगस्त, 2022 से 24 अक्टूबर, 2022 तक पुनरीक्षण पूर्व की कार्यवाही अर्थात तैयारी की जाएगी। 9 नवम्बर, 2022 से वोटर लिस्ट का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिनांक से 8 दिसम्बर, 2022 तक नाम जोड़ने तथा आपत्तियों के आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे। 26 दिसम्बर, 2022 तक आवेदन पत्रों का निराकरण होगा तथा 5 जनवरी 2023 को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिलों द्वारा की जा रही कार्यवाही के कार्य की प्रगति की समीक्षा की गयी। जिनमें लंबित आवेदन पत्रों की समीक्षा की गयी। लंबित आवेदन पत्रों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये गये। जिन जिलों में महिला मतदाता का प्रतिशत कम हो, बढ़ाया जावे। प्राप्त शिकायतों का निपटारा शीघ्र किया जावे। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किये जायें उपलब्ध बजट का शीघ्र उपयोग किया जावे।

मध्यप्रदेश के जिलों को जानिए

भगवान महाकाल की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है उज्जैन

उज्जैन, मध्यप्रदेश के उज्जैन संभाग का एक जिला है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिए एक प्रमुख धार्मिक नगर है। उज्जैन जिले का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर, 1956 को किया गया था।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के पश्चिम में स्थित इस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। उज्जैन जिला पूर्व में शाजापुर, उत्तर में आगर-मालवा, पश्चिम में रतलाम, दक्षिण में धार, इंदौर तथा देवास जिले से घिरा हुआ है।

यह शहर महाराजा विक्रमादित्य के शासनकाल में उनके राज्य की राजधानी थी। इसे भगवान महाकाल और कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। उज्जैन में हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला (सिंहस्थ) आयोजित होता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक 'महाकालेश्वर' इसी नगरी में है। उज्जैन के अन्य प्राचीन प्रचलित नाम हैं- 'अवन्तिका', 'उज्जयिनी', 'कनकश्रन्गा' आदि। उज्जैन मन्दिरों का नगर है। यहां अनेक तीर्थ स्थल हैं।

इतिहास

उज्जैन की ऐतिहासिकता का प्रमाण सैकड़ों-हजारों वर्ष पूर्व मिलता है। तत्कालीन समय में भारत में जो सोलह जनपद थे उनमें अवंति जनपद भी एक था। अवंति उत्तर एवं दक्षिण दो भागों में विभक्त था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन और दक्षिण भाग की महिष्मति थी। उस समय चंद्रप्रद्योत यहां के शासक थे। उनके वंशजों का उज्जैन पर तीसरी शताब्दी तक प्रभुत्व था।

इसके बाद यहां का शासन मौर्य साम्राज्य के पास रहा। इस दौरान सम्राट अशोक ने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उज्जैन शकों और सातवाहनों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया। शकों के पहले आक्रमण को उज्जैन के वीर शासक विक्रमादित्य के नेतृत्व में यहां की जनता ने विफल कर दिया था।

1000 से 1300 ई. तक मालवा परमार-शक्ति द्वारा शासित रहा। काफी समय तक उनकी राजधानी उज्जैन रही। इस काल में सीयक द्वितीय, मुंजदेव, भोजदेव, उदयादित्य, नरवर्मन जैसे महान शासकों ने साहित्य, कला एवं संस्कृति की अभूतपूर्व वृद्धि की। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में, उज्जैन और मालवा मराठों के शासन में चला गया। इस दौरान उज्जैन के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किया गया था। उज्जैन अंततः 1750 में सिंधिया शासकों के हाथों में चला गया और 1810 तक जब दौलत राव सिंधिया द्वारा ग्वालियर में अपनी नई राजधानी स्थापित करने की तब उज्जैन उनके प्रभुत्व का प्रमुख शहर था।

यह शहर मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र बना रहा।

अर्थव्यवस्था

उज्जैन जिला काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। यह मिट्टी कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। जिले में मुख्य रूप से गेहूं, चना, सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। उज्जैन जिले में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसलिए यहां वर्ष 1983 में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थापित किया गया था। नागदा में कृत्रिम रेशे का कारखाना और महिदपुर में सरकारी शक्कर कारखाना स्थित है।

जिले में धार्मिक पर्यटन में इजाफा होने का सबसे बड़ा फायदा भी अर्थव्यवस्था को हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर बढ़ रहे हैं इससे लोगों की आजीविका बेहतर हो रही है। यहां वस्त्र निर्माण, सीमेंट, पोहा, नमकीन आदि पर आधारित उद्योग रोज़गार का प्रमुख जरिया बने हुए हैं।

उज्जैन जिला प्रमुख तथ्य

1. जिले का गठन- 1 नवंबर, 1956
2. संभाग- उज्जैन
3. जिला मुख्यालय- उज्जैन
4. क्षेत्रफल- 6091 वर्ग किलोमीटर
5. जनसंख्या- 19,86,864 (पुरुष-10,16,289, महिलाएं-9,70,575)
6. लिंग अनुपात- 954
7. जनघनत्व- 326 प्रति वर्ग किलोमीटर
8. साक्षरता- 72.34 प्रतिशत
9. तहसीलें- 11 (उज्जैन शहर, उज्जैन ग्रामीण, उज्जैन कोठी महल, घट्टिया, तराना, माकडोन, महिदपुर, झार्डा, बड़नगर, खाचरोद और नागदा)
10. विकासखंड- 6
11. ग्राम पंचायत- 609
12. ग्राम- 1106
13. नगर परिषद- 5
14. नगर निगम- 1
15. नगर पंचायत- 2
16. विधानसभा क्षेत्र- 7 (उज्जैन (उत्तर), उज्जैन (दक्षिण), खाचरोद-नागदा, महिदपुर, तराना, घट्टिया और बड़नगर)
17. लोकसभा क्षेत्र- 1 (उज्जैन)
18. भाषा एवं बोली - हिन्दी, मालवी

(सभी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार)

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

- उज्जैन करीब 5000 साल पुराना ऐतिहासिक शहर है। यह आदि ब्रह्म पुराण में सबसे अच्छे शहर के रूप में वर्णित है। इसे अग्निपुराण और गरुड़ पुराण में मोक्षदा और भक्ति-मुक्ति कहा जाता है। एक समय था जब यह शहर एक बड़े साम्राज्य की राजधानी रहा था।
- उज्जैन का वर्णन स्कंदपुराण में भी मिलता है और इसे मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। स्कंदपुराण के अनुसार उज्जैन में 84 महादेव, 64 योगिनियां, 8 भैरव और 6 विनायक हैं। जिले में स्थित मंगलनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यही वह स्थान है, जहां मंगल का जन्म हुआ था।
- उज्जैन का एक बड़ा महत्व वैज्ञानिक रूप से इसका केंद्रीय स्थान होना भी है। मान्यता है कि यहीं से ज्योतिष की शुरुआत और विकास हुआ। 6वीं और 7वीं शताब्दी में उज्जैन गणित और खगोल विज्ञान का प्रधान केंद्र रहा है। उज्जैन ने ही समय की गणना की प्रणाली प्रदान की है। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य का प्रयोग सबसे पहले उज्जैन में किया था।
- जंतर-मंतर तथा यंत्रमहल के नाम से जानी जाने वाली वेधशाला शहर से 01 किलोमीटर की दूरी पर क्षिप्रा तट पर स्थित है। ज्योतिषशास्त्र की दृष्टि से यह ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। इसका निर्माण करीब 300 साल पहले जयपुर के महाराजा जयसिंह ने करवाया था।
- उज्जैन में स्थित प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की महत्ता इसलिए भी है कि यह देश का एक मात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन से कर्क रेखा गुजरती है, जिसके केंद्र के रूप में कर्कराजेश्वर मंदिर विद्यमान है।
- मान्यता है कि जिले में स्थित सांदीपनि आश्रम में ही भगवान कृष्ण तथा उनके मित्र सुदामा ने विद्या अध्ययन किया था। यहां महर्षि सांदीपनि की मूर्ति के साथ-साथ श्रीकृष्ण, बलराम और सुदामा की मूर्तियां भी हैं।
- जिले में स्थित डांगवाला पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। यहां उत्खनन में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता से लेकर परमार काल तक की सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- हरसिद्धी देवी मंदिर, संतोषी माता मंदिर, बड़े गणेशजी मंदिर, चौबीस खंबा मंदिर, श्री चिंतामन गणेश मंदिर, काल भैरव मंदिर आदि जिले में स्थित अन्य धार्मिक महत्व के स्थल हैं।

- रीता मोदी
(लेखिका, समसामयिक विषय पर लेखन कार्य करती हैं)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न

सामान्य ज्ञान - खेल

1. नारायण कार्तिकेयन किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं?
(अ) हॉकी (ब) घुड़सवारी
(स) तलवारबाजी (द) फॉर्मूला-वन

2. टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं?
(अ) रोहित शर्मा
(ब) वीरेंद्र सहवाग
(स) सुरेश रैना
(द) दिनेश कार्तिक

3. वर्ष 2022 में किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप जीती है?
(अ) जॉर्डन स्पीथ
(ब) ब्रूक्स कोएप्का
(स) डस्टिन जॉनसन
(द) मैट्स फिट्जपैट्रिक

4. मैक्स वर्स्टापेन ने अब तक कितनी फॉर्मूला-वन रेस जीती हैं?
(अ) 26 (ब) 27
(स) 31 (द) 33

5. टोक्यो ओलिंपिक में टेनिस में महिला एकल वर्ग की चैम्पियन बनी थीं?
(अ) एलिना रेबाकिना
(ब) बेलिंडा बेनकिक
(स) एश्ले बार्टी
(द) इलिना स्वितोलिना

6. वर्ष 2010 में किस देश ने आईसीसी टी-20 वर्ल्डकप जीता था?
(अ) इंग्लैंड (ब) वेस्टइंडीज
(स) श्रीलंका (द) ऑस्ट्रेलिया

7. तेजिंदर पाल सिंह तूर किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं?
(अ) भाला फेंक
(ब) गोला फेंक
(स) चक्का फेंक
(द) इनमें से कोई नहीं

8. इनमें से किस देश ने दो बार फीफा वर्ल्डकप की मेजबानी नहीं की है?
(अ) ब्राजील (ब) जर्मनी
(स) रूस (द) मेक्सिको

9. फ्रेंच फुटबॉलर किलियन एम्बाप्पे प्रोफेशनल फुटबॉल में किस क्लब के लिए खेलते हैं?
(अ) बायर्न म्युनिख
(ब) पेरिस सेंट जर्मेन
(स) मैनचेस्टर यूनाइटेड
(द) एसी मिलान

10. इनमें से कौन-सा भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है?
(अ) सुमित नागल
(ब) लक्ष्य सेन
(स) समीर वर्मा
(द) किदांबी श्रीकांत

11. वर्ष 2021 में किस देश ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का खिताब जीता है?
(अ) भारत (ब) इंग्लैंड
(स) ऑस्ट्रेलिया (द) न्यूजीलैंड

12. किस क्लब ने सबसे ज्यादा बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है?
(अ) लिवरपूल
(ब) टॉटनहम हॉटस्पुर
(स) मैनचेस्टर यूनाइटेड
(द) चेल्सी

13. एशियन गेम्स-2018 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन-सा पदक जीता था?
(अ) स्वर्ण पदक
(ब) रजत पदक
(स) कांस्य पदक
(द) इनमें से कोई नहीं

14. फुटबॉलर लुका मोड्रिच ने किस वर्ष बेलोन डि ओर अवॉर्ड हासिल किया है?
(अ) वर्ष 2015 (ब) वर्ष 2017
(स) वर्ष 2018 (द) वर्ष 2021

15. इस वर्ष किस देश ने एफएफसी वूमेंस एशियन कप का खिताब जीता है?
(अ) कतर (ब) चीन
(स) जापान (द) किर्गिस्तान

16. वर्ष 2021 में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने क्रेमलिन कप जीता था?
(अ) मारिया सक्कारी
(ब) एलिना वेस्निना
(स) सिमोना हालेप
(द) एनेट कोंटावेट

17. भारत ने किस वर्ष डेविस कप के फाइनल में जगह बनाई थी?
(अ) वर्ष 1960 (ब) वर्ष 1964
(स) वर्ष 1966 (द) वर्ष 1970

18. वन-डे और टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान हैं?
(अ) जेसन होल्डर
(ब) आंद्रे रसेल
(स) कार्लोस ब्रेथवेट
(द) निकोलस पूरन

19. रंगास्वामी कप किस खेल की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है?
(अ) फुटबॉल (ब) कुश्ती
(स) हॉकी (द) मुक्केबाजी

20. गीत सेठी किस खेल में भारत के दिग्गज खिलाड़ी रह चुके हैं?
(अ) बिलियर्ड्स
(ब) निशानेबाजी
(स) मुक्केबाजी
(द) इनमें से कोई नहीं

21. इस वर्ष बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप में महिला एकल वर्ग की चैम्पियन बनी हैं?
(अ) पी.वी. सिंधु
(ब) वांग झीयी
(स) अकाने यामागुची
(द) आन से यंग

22. कार्लोस अलकराज ने इस वर्ष इनमें से कौन-सा टूर्नामेंट नहीं जीता है?
(अ) इटेलियन ओपन
(ब) मैड्रिड ओपन
(स) रियो ओपन
(द) बार्सिलोना ओपन

23. टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी हैं?
(अ) विराट कोहली
(ब) महेंद्र सिंह धोनी
(स) रोहित शर्मा
(द) गौतम गंभीर

24. इनमें से कौन-सा देश अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन करता है?
(अ) भारत (ब) पाकिस्तान
(स) मलेशिया (द) इंडोनेशिया

25. इनमें से कौन-सा खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम का सदस्य नहीं रहा है?
(अ) धनराज पिल्लै
(ब) दिलीप तिर्की
(स) शिवेंद्र सिंह
(द) बाईचुंग भूटिया

उत्तर

1. (द), 2. (स), 3. (द), 4. (ब), 5. (ब), 6. (अ), 7. (ब), 8. (स), 9. (ब), 10. (अ), 11. (द), 12. (स), 13. (ब), 14. (स), 15. (ब), 16. (द), 17. (स), 18. (द), 19. (स), 20. (अ), 21. (ब), 22. (अ), 23. (ब), 24. (स), 25.(द)।

- पुष्पेंद्र कुमार सवित
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले विषयों पर लेखन करते हैं।)

नशामुक्त भारत अभियान

सफल क्रियान्वयन में प्रदेशों में मध्यप्रदेश और जिलों में दतिया अव्वल

दतिया, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 'नशामुक्त भारत अभियान' को प्रदेश में पूरी संजीदगी से क्रियान्वित किया गया है। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के सशक्त नेतृत्व का ही परिणाम है कि प्रदेश को अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिये 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अभियान से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

डॉ. मिश्रा ने बताया है कि राज्यों की श्रेणी में मध्यप्रदेश को 'बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट' और जिलों की श्रेणी में प्रदेश के दतिया जिले को 'बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट' का पुरस्कार भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिया जा रहा है। पुरस्कार केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 30 जुलाई को सुबह 10 बजे पंजाब राजभवन (चंडीगढ़) में दिये 'नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एण्ड नेशनल सिक्योरिटी' में दिये जायेंगे।

सामाजिक न्याय मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ दतिया जिला प्रशासन को भी बेहतरीन कार्य करने के लिये बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश के सभी 15 'नशामुक्त भारत अभियान' के चिन्हित जिलों के अधिकारी और कर्मचारियों ने जिस निष्ठा और लगन के साथ लोगों को जागरूक किया, अभियान चलाया, उसके सकारात्मक परिणाम आज सामने हैं।

दतिया कलेक्टर करेंगे पुरस्कार ग्रहण

नशामुक्त भारत अभियान की जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर दतिया श्री संजय कुमार पुरस्कार प्राप्त करेंगे। साथ ही दतिया में अभियान के क्रियान्वयन संबंधी गतिविधियों का प्रजेन्टेशन देंगे।

खेल चर्चा

बीसीसीआई बढ़ायेगा घरेलू टूर्नामेंट की इनामी राशि

मुंबई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट्स की इनामी राशि बढ़ाने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने यह फैसला मुंबई में आयोजित बोर्ड की अपेक्स काउंसिल की बैठक में लिया। बीसीसीआई ने कहा कि रणजी ट्रॉफी सहित सभी घरेलू प्रतियोगिताओं की इनामी राशि में इजाफा होगा। रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम को अब दो करोड़ रुपये की इनामी राशि मिलेगी। यह फैसला इसी सत्र से लागू होगा। रणजी चैंपियन मध्यप्रदेश को दो करोड़ रुपये दिये जायेंगे। बीसीसीआई की अपेक्स काउंसिल ने व्यस्त शेड्यूल के कारण देवधर ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला किया है।

वर्स्टापेन ने जीती फ्रैंच ग्रांप्री

पेरिस, फॉर्मूला-वन वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन का फॉर्मूला-वन में शानदार प्रदर्शन जारी है। वर्स्टापेन ने फ्रैंच ग्रांप्री फॉर्मूला-वन रेस का खिताब भी अपने नाम किया। 53 लैप वाली फ्रैंच ग्रांप्री रेस को वर्स्टापेन ने एक घंटा 30 मिनट 02.112 सेकेंड में पूरा किया। रेस में सात बार के वर्ल्ड चैंपियन लुईस हैमिल्टन दूसरे, जॉर्ज रसेल तीसरे, सर्जियो पेरेज चौथे तथा कार्लोस सेंज पांचवें स्थान पर रहे। वर्स्टापेन ने लगातार दूसरी बार फ्रैंच ग्रांप्री जीती है, वे वर्ष 2021 में भी इस रेस के विजेता बने थे। इस जीत के साथ वर्स्टापेन ने इस वर्ष ड्राइवर चैंपियनशिप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। वर्स्टापेन चैंपियनशिप में 233 अंक लेकर शीर्ष पर चल रहे हैं। वर्स्टापेन ने इस वर्ष अब तक सात रेस जीती हैं।

लोरेंजो मुसेटी ने जीता हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन खिताब

हैम्बर्ग, इटली के टेनिस खिलाड़ी लोरेंजो मुसेटी ने जर्मनी में आयोजित हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। मुसेटी ने टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में स्पेन के कार्लोस अलकराज को 6-4, 6-7, 6-4 से हराया। इस जीत के साथ मुसेटी ने पिछले चार टूर्नामेंट से फाइनल में अलकराज के विजय अभियान को रोक दिया है। मुसेटी ने दो घंटे 47 मिनट तक चले मुकाबले में अलकराज को मात दी। ये मुसेटी का एटीपी टूर स्तर का पहला खिताब है।

मेक्योन बने ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे युवा शतकवीर

वांता, फ्रांस के युवा क्रिकेटर गुस्ताव मेक्योन ने ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में

नया इतिहास रच दिया है। गुस्ताव ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गये हैं। 18 वर्षीय गुस्ताव ने यह उपलब्धि आईसीसी ट्वेंटी-20 विश्वकप यूरोप क्वालिफायर टूर्नामेंट में स्विट्जरलैंड के खिलाफ खेले गये मैच में हासिल की। मैच में गुस्ताव ने 61 गेंदों में 109 रनों की पारी खेली। गुस्ताव से पहले ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई के नाम था। जजई ने 20 वर्ष की उम्र में आयरलैंड के खिलाफ शतक बनाया था।

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप

नीरज ने रजत पदक जीतकर रचा इतिहास

यूजीन, भारत के ओलिंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। नीरज विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय एथलीट बन गये हैं। इसके अलावा नीरज विश्व चैंपियनशिप के भाला फेंक स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बने हैं। नीरज ने भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर का थ्रो कर रजत पदक अपने नाम किया। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने अपने नाम किया।

विश्व चैंपियनशिप के भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में नीरज का पहला प्रयास फाउल रहा, जबकि दूसरे प्रयास में नीरज ने 82.39 मीटर का थ्रो किया। तीसरे प्रयास में नीरज ने बेहतर प्रदर्शन कर 86.37 मीटर थ्रो कर चौथा स्थान हासिल किया। चौथे राउंड में नीरज ने 88.13 मीटर का थ्रो कर रजत पदक पर दावा ठोक दिया। नीरज का यह प्रदर्शन ओलिंपिक में किये गये 87.58 मीटर से बेहतर था। पांचवें और छठवें राउंड में नीरज के प्रयास फाउल रहे। चैंपियनशिप में चेक गणराज्य के याकूब वाल्डेश तीसरे स्थान पर रहे।

विश्व चैंपियनशिप में एंडरसन पीटर्स का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। एंडरसन ने अपने छह में से तीन प्रयासों में 90 मीटर के थ्रो किये। एंडरसन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन छठवें राउंड में आया। एंडरसन ने छठे प्रयास में 90.54 मीटर का थ्रो किया। नीरज और एंडरसन में काफी समय से जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है। नीरज कई बार एंडरसन को पटखनी दे चुके हैं, लेकिन इस वर्ष एंडरसन बेहतरीन लय में हैं। इससे पहले स्टॉकहोम डायमंड लीग में नीरज और एंडरसन की भिड़ंत हुई थी। इस टूर्नामेंट में नीरज ने 89.94 मीटर का थ्रो कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन एंडरसन ने 90.31 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एंडरसन ने वर्ष 2019 में दोहा में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था।

- **नीरज से पहले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली एक मात्र भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज थीं।**
- **अंजू ने वर्ष 2003 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था।**
- **नीरज ने टोक्यो ओलिंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है।**

राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर हुये नीरज

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले नीरज चोट के कारण राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर हो गये हैं। नीरज को विश्व चैंपियनशिप के दौरान चोट लगी है। फाइनल में नीरज जांघ पर पट्टी लपेटकर खेलने उतरे थे। भारतीय ओलिंपिक संघ के महासचिव श्री राजीव मेहता ने नीरज के राष्ट्रमंडल खेलों में न खेलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि एमआरआई स्कैन के बाद नीरज के पैर में चोट का पता चला है। ऐसे में नीरज को एक महीने आराम की सलाह दी गई है। नीरज राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक के मजबूत दावेदार थे। नीरज के बाहर होने के बाद भाला फेंक स्पर्धा में डीपी मनु और रोहित यादव भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

मास्टरकार्ड बना भारतीय क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सर

मुंबई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारतीय क्रिकेट के टाइटल स्पॉन्सरशिप में बदलाव किया है। भारतीय टीम के अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अलावा घरेलू मैचों में पेटीएम की जगह अब मास्टरकार्ड टाइटल स्पॉन्सर होगा। डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने बीसीसीआई के साथ समय से पहले ही अपनी डील खत्म करने का फैसला लिया है, जिसे बीसीसीआई ने स्वीकार कर लिया है। पेटीएम ने बीसीसीआई से कहा कि वह अब उसके मैचों में टाइटल स्पॉन्सर नहीं रहना चाहता है। पेटीएम ने यह अधिकार मास्टरकार्ड को देने की बात कही थी।

महिला जिम्नास्टिक टीम के कोच बने बिश्वेश्वर नंदी

नई दिल्ली, भारतीय ओलिंपिक संघ (आईओए) ने बिश्वेश्वर नंदी को राष्ट्रमंडल खेलों के लिये भारतीय महिला जिम्नास्टिक कोच नियुक्त किया है। बिश्वेश्वर नंदी स्टार जिम्नास्ट दीपा कर्माकर के कोच रह चुके हैं। नंदी के मार्गदर्शन में दीपा ने रियो ओलिंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चौथा स्थान हासिल किया था। नंदी को रोहित जायसवाल की जगह कोच बनाया गया है। जायसवाल को कुछ दिन पहले ही कोच बनाया गया था, लेकिन एक विवाद के चलते उन्हें हटाया गया है।

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलेगा भारत

इंदौर तीन अक्टूबर को करेगा ट्वेंटी-20 मैच की मेजबानी

मुंबई, भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी ट्वेंटी-20 विश्वकप से पहले ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ट्वेंटी-20 सीरीज खेलेगी। ये दोनों सीरीज सितम्बर-अक्टूबर में खेली जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया तीन मैचों की ट्वेंटी-20 सीरीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन-तीन मैचों की ट्वेंटी-20 और वन-डे सीरीज खेलेगी।

ऑस्ट्रेलिया से सितम्बर में सीरीज

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला ट्वेंटी-20 मोहाली में 20 सितम्बर, दूसरा ट्वेंटी-20 नागपुर में 23 सितम्बर और तीसरा ट्वेंटी-20 मैच हैदराबाद में 25 सितम्बर को खेला जाएगा। इसके बाद भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ट्वेंटी-20 सीरीज खेलकर ट्वेंटी-20 विश्वकप के लिए अपनी तैयारियों को अंजाम देगी।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ट्वेंटी-20 और वन-डे सीरीज

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला ट्वेंटी-20 त्रिवेंद्रम में 28 सितम्बर, दूसरा ट्वेंटी-20 गुवाहाटी में एक अक्टूबर और तीसरा ट्वेंटी-20 मैच इंदौर में तीन अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके बाद टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वन-डे सीरीज भी खेलेगी। इसका पहला मैच छह अक्टूबर को रांची में, दूसरा मैच नौ अक्टूबर को लखनऊ में और तीसरा मैच 11 अक्टूबर को दिल्ली में खेला जाएगा।

वन-डे सीरीज का रिप्लेसमेंट

यह वन-डे सीरीज 2020 में कैंसिल हुई वन-डे सीरीज के रिप्लेसमेंट के तौर पर खेली जाएगी। दरअसल, 2020 में कोरोना की वजह से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वन-डे सीरीज को रद्द कर दिया गया था।

कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया वन-डे

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वन-डे कोलकाता में खेला जाना था, लेकिन तब दुर्गा पूजा की वजह से पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए इसे कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है।

भारत वर्ष 2025 में करेगा महिला वनडे विश्वकप की मेजबानी

बर्मिंघम, भारत वर्ष 2025 में होने जा रहे महिला एक दिवसीय विश्वकप की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इसकी घोषणा भी कर दी है। भारत में इससे पहले 2013 में महिला विश्वकप आयोजित किया गया था।

भारत ने बर्मिंघम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में वर्ष 2025 में 50 ओवर के महिला विश्वकप की मेजबानी के लिये सफलतापूर्वक बोली लगाई। बैठक में पांच वर्ष का भविष्य दौरा कार्यक्रम तय किया गया। महिलाओं का ट्वेंटी-20 विश्वकप वर्ष 2024 में बांग्लादेश और वर्ष 2026 में इंग्लैंड में होगा। पहली महिला ट्वेंटी-20 चैंपियनशिप वर्ष 2027 में श्रीलंका में होगी।

यह दूसरा अवसर होगा जब बांग्लादेश महिला ट्वेंटी-20 विश्वकप की मेजबानी करेगा। मेजबानों का चयन क्लेयर कॉनोर, सौरव गांगुली और रिकी स्केरिट के साथ मार्टिन स्नेडेन की अध्यक्षता में एक बोर्ड उप-समिति की देखरेख में एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था।

बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली

ने इस अवसर पर कहा कि हम आईसीसी महिला क्रिकेट विश्वकप-2025 की मेजबानी करने के इच्छुक थे और हमें खुशी है कि हमें महिला कैलेंडर पर इस महत्वपूर्ण खेल आयोजन की मेजबानी के अधिकार मिले हैं। बीसीसीआई, आईसीसी के साथ मिलकर काम करेगा और सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा कि हमें वर्ष 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्वकप की मेजबानी करने की खुशी है। उन्होंने कहा कि हम खेल के प्रोफाइल को ठीक करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं।

भारत-वेस्टइंडीज वन-डे सीरीज

भारत ने लगातार 12वीं बार जीती सीरीज

पोर्ट ऑफ स्पेन, शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज दौरे पर इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को वन-डे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। शिखर धवन वेस्टइंडीज को उसी के घर में किसी द्विपक्षीय वन-डे सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गये हैं। इसके अलावा भारत की यह वेस्टइंडीज के खिलाफ वन-डे क्रिकेट में लगातार 12वीं सीरीज जीत है।

तीसरे मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और शुभमन गिल ने भारत को मजबूत शुरुआत दिलाते हुये पहले विकेट के लिये 113 रनों की साझेदारी की। धवन 58 रन बनाकर आउट हुये। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने शुभमन का साथ निभाया और 44 रनों की पारी खेली, वहीं शुभमन 98 रन बनाकर नाबाद रहे। बारिश के कारण मैच प्रभावित हुआ। भारत की पारी में 24 ओवर बाद बारिश हुई, जिससे मैच 40-40 ओवर का हुआ। भारतीय पारी के 36 ओवर के बाद फिर बारिश हुई, जिससे मैच में ओवर की संख्या घटाकर 35-35 की गई और भारत की पारी 225 रन पर खत्म हो गई।

- **भारत की किसी एक देश के खिलाफ यह लगातार 12वीं वन-डे सीरीज जीत है।**
- **इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वन-डे में लगातार 11 सीरीज जीती हैं।**

वेस्टइंडीज को 35 ओवरों में जीत के लिये 257 रनों का लक्ष्य मिला। वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही। वेस्टइंडीज की पारी के दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने काइल मायर्स और शमारा ब्रुक्स को बिना खाता खोले पवेलियन लौटा दिया। वहीं शाई होप भी 22 रन बनाकर चहल का शिकार बने। इसके बाद ब्रैंडन किंग और निकोलस पूरन ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने 42-42 रनों की पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद वेस्टइंडीज की पारी बिखर गई। वेस्टइंडीज की टीम 26 ओवरों में 137 रन बनाकर ऑलआउट हो गई।

भारत के लिये युजवेंद्र चहल ने 4, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 तथा अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1-1 विकेट लिये। भारत ने यह मैच डकवर्थ लुईस नियम के तहत 119 रनों से जीता।

दलीप ट्रॉफी से शुरू होगा भारत का घरेलू क्रिकेट सत्र

मुंबई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने देश में घरेलू क्रिकेट सत्र 2022-23 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। घरेलू क्रिकेट सत्र की शुरुआत दलीप ट्रॉफी से होगी। दलीप ट्रॉफी का आगाज आठ सितम्बर को होगा, जो 25 सितम्बर तक चलेगा। वहीं सबसे बड़ी घरेलू प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 13 दिसम्बर, 2022 से शुरू होगी और 28 फरवरी तक चलेगी। इसके अलावा पिछले तीन सत्र से नहीं खेली गई ईरानी ट्रॉफी को इस सत्र में जगह मिली है। ईरानी ट्रॉफी का आयोजन एक से पांच अक्टूबर तक होगा। ईरानी ट्रॉफी में मौजूदा रणजी चैंपियन और शेष भारत टीम के बीच टेस्ट मैच खेला जाता है। घरेलू क्रिकेट सत्र में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी को भी जगह मिली है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-20 तथा विजय हजारे ट्रॉफी वन-डे फॉर्मेट में खेली जाती है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

सामयिकी

विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन समारोह में फायरिंग

फिलीपींस के राजधानी क्षेत्र के एक विश्वविद्यालय परिसर में एक बंदूकधारी ने पूर्व मेयर सहित कम से कम तीन लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी और एक व्यक्ति घायल हो गया। दो पिस्तौलों से लैस बंदूकधारी को उपनगरीय क्यूजोन शहर में एटेनियो डी मनीला विश्वविद्यालय के गेट के पास गोलीबारी के बाद पकड़ लिया गया। पुलिस ने कहा कि हमले के बाद विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया और एक लॉ स्कूल में स्नातक समारोह रद्द कर दिया गया। यह जानकारी समाचार एजेंसी एपी ने दी है।

अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अलेक्जेंडर गेसमुंडो, जिन्हें समारोह में वक्ता होना चाहिए था, हमले के समय विश्वविद्यालय जा रहे थे और उन्हें वापस लौटने की सलाह दी गई। क्यूजोन शहर के मेयर जॉय बेलमोंटे ने हमले की निंदा की। उन्होंने एक बयान में कहा, इस तरह की घटना का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। इसकी उच्चतम स्तर तक निंदा की जानी चाहिए।

साबर डेयरी में 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

किसानों के लिए आय के वैकल्पिक साधन बनाने की रणनीति के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के साबरकांठा में गढ़ोदा चौकी के निकट साबर डेयरी में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से स्थानीय किसानों और दूध उत्पादकों को सशक्त बनाया जाएगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। इससे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुकन्या समृद्धि योजना के लाभार्थियों और शीर्ष महिला दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित भी किया। सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज साबर डेयरी का विस्तार हुआ है। सैकड़ों करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट यहां लग रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस मिल्क पाउडर प्लांट और ए-सेप्टिक पैकिंग सेक्शन में एक और लाइन जुड़ने से साबर डेयरी की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी।'

- **साबर डेयरी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) का एक हिस्सा है, जो अमूल ब्रांड के तहत दूध और दूध उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला बनाती है और उसका विपणन करती है।**

प्रधानमंत्री ने दो दशक पहले अभाव और सूखे की स्थिति को याद किया। उन्होंने याद करते हुए कहा कि कैसे उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में लोगों के सहयोग से क्षेत्र में स्थिति को सुधारने का प्रयास किया।

उन्होंने कहा कि पशुपालन और डेयरी उस प्रयास का प्रमुख तत्व है। उन्होंने चारा, दवा उपलब्ध कराकर पशुपालन को बढ़ावा देने और मवेशियों के लिए आयुर्वेदिक उपचार को बढ़ावा देने के बारे में भी बताया। उन्होंने विकास के उत्प्रेरक के रूप में गुजरात ज्योतिग्राम योजना के बारे में चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि पिछले दो दशकों में उठाए गए कदमों के कारण गुजरात में डेयरी बाजार 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने 2007 और 2011 में अपनी पिछली यात्राओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के अपने अनुरोध की याद दिलाई। अब ज्यादातर समितियों में महिलाओं का अच्छा प्रतिनिधित्व है। उन्होंने कहा कि दूध का भुगतान ज्यादातर महिलाओं को किया जाता है।

उन्होंने कहा कि ये प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किए जा रहे हैं। देश में आज 10,000 किसान उत्पादक संघ- एफपीओ के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इन एफपीओ के माध्यम से छोटे किसान फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी, एक्सपोर्ट से जुड़ी वैल्यू और सप्लाई चेन से सीधे जुड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि इसका बहुत अधिक लाभ गुजरात के किसानों को भी होने वाला है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए आय के वैकल्पिक साधन तैयार करने की रणनीति के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। बागवानी, मत्स्य पालन, शहद उत्पादन से किसानों को अच्छी आमदनी हो रही है। खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार एक लाख करोड़ से अधिक हो गया है। इस क्षेत्र में गांवों में 1.5 करोड़ से अधिक नए रोज़गार सृजित हुए। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने जैसे उपाय किसानों के लिए नए रास्ते तैयार कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद यूरिया की नीम-कोटिंग, बंद पड़े उर्वरक संयंत्रों को खोलना, नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देना और सस्ती कीमतों पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे कदमों से देश और गुजरात के किसानों को फायदा हुआ है। सुजलाम सुफलाम योजना से साबरकांठा जिले की कई तहसीलों को पानी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह जिले और आसपास के क्षेत्रों में अभूतपूर्व पैमाने पर कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है। रेलवे और राजमार्ग परियोजनाओं से क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी से पर्यटन और युवाओं के लिए रोज़गार सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है।

'बैन तालिबान' अभियान

अफगानों ने ट्विटर पर चलाया

तालिबान से जुड़े कंटेंट और पेजों पर मेटा (फेसबुक) की कार्रवाई के बाद, अफगानों ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर पर एक हैशटैग के साथ तालिबान पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। हैशटैग 'बैन तालिबान' एक वैश्विक स्तर पर सनसनी बन गया है। जिसके समर्थन में अब तक हजारों से अधिक ट्वीट किए जा चुके हैं। इस अभियान ने तेजी से रफ्तार पकड़ी है। इस ट्रेंड ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, यूरोप और भारत के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका से भी समर्थन प्राप्त किया है। अफगानिस्तान पीस वॉच की रिपोर्ट में अफगान पत्रकार और नागरिक कार्यकर्ता ट्विटर पर सभी तालिबान सदस्यों तक पहुंच न बनाने का आग्रह कर रहे हैं।

अफगान पीस वॉच के संस्थापक ने लिखा है, 'लड़कियों को स्कूलों में प्रतिबंधित कर दिया गया है, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और पूर्व ANDSF के सदस्यों को व्यवस्थित रूप से प्रताड़ित और लक्षित किया जाता है, तालिबान नागरिकों के खिलाफ अत्याचार के लिए जिम्मेदार है।' '# बैन-तालिबान' मेटा के एक प्रवक्ता ने कहा, 'तालिबान को अमेरिकी कानून के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित किया गया है और उन्हें हमारी सेवाओं का उपयोग करने से बैन कर दिया गया है।'

आईएईए कैमरे

परमाणु समझौते के शुरू होने तक ईरान बंद रखेगा

पिछले माह जून में हटाए गए यूएस वॉचडॉग के कैमरों को फिलहाल दोबारा नहीं लगाया जाएगा। परमाणु समझौते की बहाली तक के लिए ऐसा फैसला लिया गया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संस्थान (Iran's Atomic Energy Organisation) ने बताया ईरान इन कैमरों को ऑन नहीं करेगा। यह जानकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में दी गई है। मोहम्मद इस्लामी ने कहा, 'ये कैमरे परमाणु समझौते से संबंधित हैं। यदि पश्चिमी देश इस समझौते में फिर से शामिल होते हैं तो हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि वे किसी तरह की गलती या धोखेबाजी नहीं करेंगे। हम इन कैमरों से जुड़े फैसले लेंगे।'

ज्ञात रहे कि पिछले महीने के अंत में ईरान ने अपने परमाणु स्थलों से दो दर्जन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के कैमरों को हटा दिया था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसके परमाणु कार्यक्रम पर नजर न रख सके। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 2018 में ईरान परमाणु समझौते से हटने के बाद तेहरान ने अपने परमाणु कार्य को तेज कर दिया था और अब यूरेनियम को पहले से कहीं अधिक हथियार-ग्रेड स्तर के करीब समृद्ध कर लिया है।

बता दें कि दुनिया के कुछ बड़े देशों के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत अभी रुकी हुई है जिसे दोबारा शुरू करने की कवायद हो रही है। इस बीच ईरान के एक कदम ने अमेरिका समेत अन्य शक्तिशाली देशों को भी अलर्ट कर दिया है। उल्लेखनीय है कि ईरान ने अंतरिक्ष में एक ठोस ईंधन वाला राकेट लॉन्च किया है, जिसने दुनिया में हलचल मचा दी है।

रूस से समझौते के बाद

यूक्रेन के बंदरगाह से शुरू हो जाएगा अनाज का निर्यात

यूक्रेन ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि रूस-यूक्रेन समझौते के बाद काला सागर के माध्यम से अनाज का निर्यात शुरू हो जाएगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही इन दोनों देशों के बीच अनाज निर्यात को लेकर यूएन की निगरानी में एक अहम समझौता हुआ था। इस समझौते का मकसद वैश्विक खाद्य संकट को कम करना है। कीव की तरफ से वरिष्ठ अधिकारियों ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया समझौते के तहत अनाज की पहली खेप कोर्नोमोर्स्क बंदरगाह से चली जाएगी। यूक्रेन के इन्फ्रास्ट्रक्चर मंत्री अलेक्जेंडर कुब्राकोव ने कहा कि अगले दो सप्ताह के अंदर देश के सभी बंदरगाहों से ये शिपमेंट जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके तहत कितनी मात्रा में अनाज बाहर भेजा जाएगा। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच समझौता तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में हुआ था।

यूक्रेन ने कहा कि वो शिपमेंट भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देश के सभी बंदरगाह इसके लिए काम करेंगे। चोरनोमोर्स्क का बंदरगाह इस मामले में पहला होगा। इसके बाद ओडेसा, फिर पिवडेनी का बंदरगाह होगा। रूस ने समझौते के तहत यूक्रेन के अनाज को सुरक्षित रास्ता देने का विश्वास दिलाया है। बता दें कि यूक्रेन से समझौते के एक ही दिन बाद रूस ने ओडेसा पर हमला किया था। हालांकि रूस का कहना था कि उसने केवल यूक्रेन के मिलिट्री ठिकाने पर ही हमला किया था।

इस समझौते से अब उन देशों में अनाज का निर्यात शुरू हो जाएगा जो देश खाद्य संकट का सामना कर रहे थे। आपको यह भी बता दें कि कई देश हर साल यूक्रेन से अनाज खरीदते हैं। हालांकि इस हमले के बाद रूस की मंशा पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। हालांकि रूस इस समझौते में यूएन और तुर्किये के होने की वजह से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे उसके ऊपर सवाल उठें।

पहली जर्मन वायु रक्षा प्रणाली पहुंची यूक्रेन

यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने घोषणा की कि जर्मनी से पहली गेपर्ड वायु रक्षा प्रणाली युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में पहुंच गई है। उक्रेइंस्का प्रावदा के अनुसार उन्हें हजारों राउंड गोला-बारूद मिले हैं। तीन वायु रक्षा प्रणाली यूक्रेन पहुंच चुकी हैं। ये विमान-रोधी प्रणालियाँ हैं, जिनके लिए यूक्रेन को दसियों हजार राउंड गोला-बारूद मिले हैं। इस महीने की शुरुआत में, जर्मनी ने हथियारों की एक आधिकारिक सूची की घोषणा की थी, जिसमें 30 गेपर्ड वायु रक्षा प्रणालियों सहित यूक्रेन को भेजने की योजना थी।

यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने ट्वीट कर कहा - 'हम अपने आसमान की रक्षा करने की अपनी क्षमता को मजबूत करेंगे। यूक्रेन ने गेपर्ड स्व-चालित विमान-रोधी प्रणाली प्राप्त करना शुरू कर दिया है।'

तुर्किये ने अफगान प्रवासियों को काबुल वापस भेजा

अफगानिस्तान में पिछले साल अगस्त में तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात बिल्कुल बदल गए हैं। देश तमाम मानवीय संकट से जूझ रहा है। यही नहीं देश एक बड़े बदलाव के दौर से भी गुजर रहा है, जिसका सीधा असर यहां की आम जनता पर पड़ रहा है। देश के ऐसे हालत के बीच, लाखों की तादाद में अफगानी नागरिकों ने दूसरे देशों की ओर पलायन किया। वहीं अब अफगान प्रवासियों की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि तुर्किये के जबरन निर्वासन के बाद, 215 अनिर्दिष्ट अफगान प्रवासियों को कई उड़ानों से इस्तांबुल से काबुल वापस भेजा जा रहा है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, खामा प्रेस ने तुर्किये राज्य की अनातोलियन एजेंसी का हवाला देते हुए बताया कि अवैध प्रवासी जो अब अफगान धरती पर वापस भेजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें उत्तर-पश्चिमी तुर्किये में एडिरने से इस्तांबुल स्थानांतरित कर दिया गया है।

प्रवासन प्रबंधन निदेशालय ने अपने बयान में कहा, 'अनियमित प्रवासियों ने अवैध रूप से देश में प्रवेश किया, वीजा और रेजिडेंसी कानूनों को तोड़ा, बिना परमिट के काम किया, धोखाधड़ी में लिप्त हुए, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। 15 मई से 22 मई के बीच निर्धारित नौ चार्टर उड़ानें 1,054 अनिर्दिष्ट प्रवासियों को वापस अफगानिस्तान ले गईं।'

ज्ञात रहे पिछले साल 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से, युद्धग्रस्त राष्ट्र से बाहर निकलने के लिए दसियों हजार अफगानों, जिनमें ज्यादातर युवा हैं, ने खतरनाक तरीकों का सहारा लिया था। वहीं इससे पहले जून में, तुर्किये में शरण लेने वाले कुल 136 अनिर्दिष्ट अफगान शरणार्थियों को कड़े सुरक्षा उपायों के अधीन रहते हुए वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया था।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

स्वामी "मध्यप्रदेश माध्यम" की ओर से प्रकाशक, मुद्रक राघवेन्द्र कुमार सिंह, मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित एवं डी.बी. कार्प द्वारा दैनिक भास्कर, प्लाट नंबर-10, सेक्टर-बी, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित। सम्पादक - पुष्पेन्द्र पाल सिंह।